



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03102022-239280
CG-DL-E-03102022-239280

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 231]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 29, 2022/आश्विन 7, 1944

No. 231]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 29, 2022/ASVINA 7, 1944

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2022

अंतिम जांच परिणाम

केस सं. (एडी-ओआई-06/2021)

विषय : चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित अर्ध निर्मित ओप्यलमिक लेंसों के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच।

फा. सं. 6/6/2021-डीजीटीआर.—समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (इसके बाद इसे “अधिनियम” भी कहा गया है) और समय समय पर यथा-संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे “नियमावली” या “एडी नियमावली” “एडीडी नियमावली” भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए:

क. मामले की पृष्ठभूमि

1. जीकेबी ओप्यलमिक लिमिटेड (जिसे आगे “घरेलू उद्योग” या “आवेदक” या “याचिकाकर्ता” या “जीकेबी ओप्यलमिक्स” भी कहा गया है) ने निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे “प्राधिकारी” भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है जिसमें संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों द्वारा घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति

पहुँचाए जाने का उल्लेख करते हुए चीन जन.गण. जिसे (जिसे आगे “संबद्ध देश” भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित अर्ध निर्मित ओप्टिकल लेंस (जिसे आगे “संबद्ध वस्तु” या “विचाराधीन उत्पाद” या “पीयूसी” भी कहा गया है) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरुआत करने ने का अनुरोध किया गया है।

2. प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथमदृष्टया साक्ष्य के आधार पर भारत के राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 30 सितंबर, 2021 की अधिसूचना सं. 6/6/2021-डीजीटीआर के माध्यम से एक सार्वजनिक सूचना जारी की, जिसके तहत नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार संबद्ध जांच की शुरुआत की गई ताकि संबद्ध देश के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित संबद्ध वस्तु के कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव निर्धारित किए जा सकें और पाटनरोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश की जा सके, जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई कथित क्षति की समाप्ति के लिए पर्याप्त होगी।

ख. प्रक्रिया

3. इस जांच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया का पालन किया गया है:
 - (i) प्राधिकारी ने चीन जन.गण. से संबद्ध वस्तु के आयातों से संबंधित जांच की शुरुआत करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित दिनांक 30.09.2021 को एक अधिसूचना जारी की।
 - (ii) प्राधिकारी ने एडी नियमावली के नियम 6(2) के अनुसार जांच शुरुआत अधिसूचना की एक-एक प्रति भारत में संबद्ध देश के दूतावास, चीन जन.गण. से ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में ज्ञात आयातकों/प्रयोक्तों और घरेलू उद्योग को आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए पतों के अनुसार भेजी थी और इस जांच शुरुआत अधिसूचना के 30 दिनों के भीतर अपने विचारों से अवगत कराने का अनुरोध किया था। सूचना प्रस्तुत करने की समय सीमा पहले 11.01.2022 तक और उसके बाद 18.01.2022 तक बढ़ाया गया था।
 - (iii) प्राधिकारी ने संबंधित नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों तथा संबद्ध देश के भारत में स्थित दूतावास के जरिए उसकी सरकार को आवेदन के अगोपनीय अंश की एक प्रति उपलब्ध कराई। आवेदन के अगोपनीय अंश की एक प्रति अनुरोध करने पर ई-मेल के जरिए अन्य हितबद्ध पक्षकारों को भी उपलब्ध कराई।
 - (iv) प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार संगत सूचना मंगाने के लिए चीन जन.गण. में निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को निर्यातक प्रश्नावलियां भेजी, जिनके ब्यौरे आवेदक ने उपलब्ध कराए थे।
 - क) डांयांग लिजेंड ऑप्टिकल कंपनी लिमिटेड
 - ख) डांयांग होंगसुन ऑप्टिकल ग्लास
 - ग) डांयांग चेगसिन ऑप्टिकल ग्लासेस फैक्टरी
 - घ) डांयांग एचएंडसी ऑप्टिकल ग्लासेस कंपनी लिमिटेड
 - ड.) जियांगसु जुनशि ऑप्टिक्स कंपनी लिमिटेड
 - च) डांयांग हेनरी ऑप्टिकल कंपनी लिमिटेड
 - छ) शंघाई कानेंट ऑप्टिक्स कंपनी लिमिटेड
 - ज) जियांगसु केएमडी-ऑप्टिकल कंपनी लिमिटेड
 - झ) डांयांग लेंस ऑप्टिक्स टेक्नोलॉजी
 - (v) चीन जन.गण. से निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर दिया है:
 - क) डायेजिओन डाइमयुंग ऑप्टिकल (हांगझोऊ) कंपनी लिमिटेड
 - ख) कानेंट ऑप्टिक्स (जियांगसु) कंपनी लिमिटेड
 - ग) शंघाई कानेंट ऑप्टिक्स कंपनी लिमिटेड
 - घ) झेजियांग वेइक्सिंग ऑप्टिकल कंपनी लिमिटेड
 - ड) शंघाई वेइक्सिंग ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड

- च) कार्ल जेसिस विज़न (चीन) लिमिटेड
 छ) जियांगसु युलि ऑप्टिक्स स्पेकटेकल्स लिमिटेड
 ज) केमाइल्स कारपोरेशन
 झ) जियांगसु फ्यूचर विजन कंपनी लिमिटेड
 ञ) डेल्टा लेंस प्राइवेट लिमिटेड
 ट) एसिलर अमेरा पीटीई. लिमिटेड
 ठ) शंघाई एसिलर ऑप्टिकल कंपनी, लिमिटेड
- (vi) प्राधिकारी ने जांच शुरुआत अधिसूचना की एक प्रति भारत में निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं/प्रयोक्ता एसोसिएशनों, जिनके पते प्राधिकारी को उपलब्ध कराए गए थे, भेजी थी और उन्हें नियम 6(4) के अनुसार प्राधिकारी द्वारा विहित समय-सीमा के भीतर लिखित में अपने विचारों से अवगत कराने की सलाह दी थी:
- क) एसिलर मैन्युफैक्चरिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
 ख) एसिलर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
 ग) जीकेबी आरएक्स लेंस प्राइवेट लिमिटेड
 घ) रे बान सन ऑप्टिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
 ङ) कार्ल जेसिस इंडिया (बंगलौर) प्राइवेट लिमिटेड
 च) जेकेबी हाई-टेक लेंसेस प्राइवेट लिमिटेड
 छ) लेंसटेक ऑप्टिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 ज) ट्रांसवर्ल्ड कमर्शियल इंटरप्राइजेज
 झ) जेकेबी विजन प्राइवेट लिमिटेड
 ञ) लेंसकार्ट सॉल्युशंस प्राइवेट लिमिटेड
 ट) टाइटन कंपनी लिमिटेड
 ठ) विजन आरएक्स प्राइवेट लिमिटेड
 ड) होया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
 ढ) इंडियन ऑप्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
 ण) त्रिशूल ऑप्टिक्स
 त) सन ऑप्टिकल आई केस हास्पिटल
 थ) नयनसुख ऑप्टिशियन्स
 द) विनोद ऑप्टिकल्स वर्क्स
 ध) यश लेंसेस
- (vii) निम्नलिखित आयातकों/प्रयोक्ताओं/उपभोक्ताओं ने आयातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है:
- क) लेंसकार्ट सॉल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड
 ख) कार्ल जेसिस इंडिया(बंगलौर) प्राइवेट लिमिटेड
 ग) आर.के. ऑप्टिकल सर्विसेस
 घ) इंडिया ऑप्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
 ङ) यश ऑप्टिक्स एंड लेंस प्राइवेट लिमिटेड

- च) एसिलर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
- छ) एसिलर मैनुफैक्चरिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
- ज) जीकेबी विजन प्राइवेट लिमिटेड
- झ) सी वर्ल्ड ऑप्टिकल कंपनी, लिमिटेड
- ञ) विजन आरएक्स लैब्स प्राइवेट लिमिटेड
- ट) रेबन सन ऑप्टिकल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
- (viii) ऐसे विदेशी उत्पादक/निर्यातक जिन्होंने प्राधिकारी को उत्तर नहीं दिया है या इस जांच से संगत सूचना प्रदान नहीं की है, को असहयोगी हितबद्ध पक्षकार माना जाना प्रस्तावित है।
- (ix) गोपनीय आधार पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत सूचना की गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई थी। सतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने जहां आवश्यक हो, गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को इसका प्रकटन नहीं किया है। जहां कहीं संभव हो, गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना का पर्याप्त अगोपनीय अंश प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया है।
- (x) प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों के अगोपनीय अंश उपलब्ध कराए हैं। सभी हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची इस अनुरोध के साथ डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की गई थी कि वे सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोधों का अगोपनीय अंश ईमेल कर दें क्योंकि वर्तमान कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण सार्वजनिक फाइल भौतिक रूप में उपलब्ध नहीं थी।
- (xi) वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि 1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 (12 महीने) ("पीओआई") की है। क्षति जांच अवधि में 1 अप्रैल, 2017-31 मार्च, 2018, 1 अप्रैल 2018-31 मार्च 2019, 1 अप्रैल 2019 – 31 मार्च, 2020 और पीओआई की अवधि शामिल है।
- (xii) आवेदक और अन्य हितबद्ध पक्षकारों से आवश्यक समझी गई सीमा तक अतिरिक्त/पूरक सूचना मांगी गई थी। घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदत्त आंकड़ों का इस जांच के प्रयोजनार्थ आवश्यक समझी गई सीमा तक सत्यापन किया गया था।
- (xiii) सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) और एडी नियमावली के अनुबंध-III के आधार पर भारत में संबद्ध वस्तु की उत्पादन लागत और उसे बनाने और बेचने की लागत के अनुसार घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त सूचना के आधार पर क्षति रहित कीमत (एनआईपी) निर्धारित की गई थी। एनआईपी को इसलिए ज्ञात किया गया ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कम शुल्क घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।
- (xiv) वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) और डीजी-सिस्टम्स से क्षति अवधि के लिए संबद्ध वस्तु के आयातों के सौदा-वार व्यौरे उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था। आयातों की मात्रा और मूल्य गणना के लिए उन पर भरोसा किया गया है।
- (xv) नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने 21.04.2022 को हुई मौखिक सुनवाई में सभी हितबद्ध पक्षकारों को मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर दिया, जिसमें हितबद्ध पक्षकारों ने भाग लिया था। कोविड-19 महामारी से उत्पन्न विशेष परिस्थितियों के मद्देनजर, मौखिक सुनवाई वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई थी। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को 30.04.2022 तक अपेक्षित प्रपत्र में संशोधित याचिका प्रस्तुत करने का निदेश दिया था। मौखिक सुनवाई में भाग लेने वाले सभी पक्षकारों को घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत संशोधित याचिका के अगोपनीय अंश की प्राप्ति के बाद लिखित अनुरोध करने और तत्पश्चात् खंडन अनुरोध प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था।
- (xvi) इस जांच की प्रक्रिया के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों पर संगत पाए जाने पर इन अंतिम जांच परिणामों में प्राधिकारी द्वारा ध्यान दिया गया है।

- (xvii) जहां कहीं भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच की प्रक्रिया के दौरान सूचना देने से मना किया या अन्यथा आवश्यक सूचना उपलब्ध नहीं कराई है या जांच में अत्यधिक बाधा डाली है, वहां प्राधिकारी ने ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर इस अंतिम जांच परिणाम को दर्ज किया है।
- (xviii) नियमावली के नियम 16 के अनुसार जांच के अनिवार्य तथ्य दिनांक 09 सितंबर, 2022 के प्रकटन विवरण द्वारा ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट किए गए थे और उन पर प्राप्त टिप्पणियों पर प्राधिकारी द्वारा संगत पाए जाने पर इन अंतिम जांच परिणामों में ध्यान दिया गया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रकटन के पश्चात हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अधिकांश अनुरोध, उनके पूर्व अनुरोधों का केवल दोहराव हैं। तथापि, प्रकटन पश्चात के अनुरोधों की इस अंतिम जांच परिणाम में संगत समझी गई सीमा तक जांच की गई है।
- (xix) इस अंतिम जांच परिणाम में *** चिन्ह हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई और प्राधिकारी द्वारा नियमावली के अंतर्गत गोपनीय मानी गई सूचना को दर्शाता है।
- (xx) पीओआई के दौरान प्राधिकारी द्वारा संबद्ध जांच के लिए अपनाई गई विनियम दर 1 अमरीकी डॉलर = 75.22 रुपए है।

ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

4. जांच शुरुआत के स्तर पर में विचाराधीन उत्पाद को निम्नानुसार परिभाषित किया गया था:

“विचाराधीन उत्पाद में प्लास्टिक से निर्मित अर्ध-निर्मित ओप्टिकल लेंस शामिल हैं और इन्हें रिफ्रेक्टिव सूचकांकों जैसे 1.498, 1.56, 1.60, 1.67 और 1.74 आदि के अनुसार अभिज्ञात किया जाता है। इन पीयूसी को 65, 70 और 75 मि.मी. आदि व्यास वाले विभिन्न आकारों में भी विनिर्मित किया जाता है। तथापि, विभिन्न आकारों से पीयूसी की कीमत प्रभावित नहीं होगी। तथापि, उत्पाद के निम्नलिखित प्रकारों को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा गया है:

- (i) पोलराइज्ड लेंस
- (ii) पोलिकारबोनेट लेंस
- (iii) ट्रांजिशन लेंस
- (iv) हाई और स्पेशल पर्पज लेंस

अर्ध-निर्मित ओप्टिकल लेंसों को आईटीसी एचएस कोड 9001.5000 के अन्तर्गत सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 के अध्याय 90 के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जाता है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।”

5. जांच की प्रक्रिया के दौरान उचित तुलना के लिए कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने उत्पाद नियंत्रण संख्या(पीसीएन) पद्धति का प्रस्ताव किया था। प्राधिकारी ने पीसीएन पद्धति के संबंध में 02.12.2021 को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के ज़रिए सभी हितबद्ध पक्षकारों के साथ एक विचार-विमर्श आयोजित किया था और पीसीएन पद्धति के संबंध में उनकी टिप्पणियां भी मांगी थी।
6. प्राधिकारी ने 10.12.2021 को अंतिम पीसीएन पद्धति जारी की थी। सभी हितबद्ध पक्षकारों के साथ वीडियो कान्फ्रेंसिंग के ज़रिए आवश्यक विचार-विमर्श और उनके लिखित अनुरोधों पर विचार करने के बाद निम्नलिखित पीसीएन पद्धति को अंतिम रूप दिया गया है:

क्र.सं.	पीसीएन मापदंड	पीसीएन विवरण	पीसीएन कोड	डिजिट/कैरेक्टर की संख्या
1.	रिफ्रेक्टिव इंडेक्स(आरआई)	1.49 1.50 1.55 1.56 1.57 1.59	149/150/155 आदि	3

		1.60 1.67 1.74		
2.	व्यास	60 एमएम से कम या उसके बराबर 60 एमएम से अधिक किंतु 70 एमएम से कम या उसके बराबर 70 एमएम से अधिक किंतु 80 एमएम से कम या उसके बराबर 80 एमएम से अधिक	ए बी सी डी	1
3.	एसफेरिक/ एसफेरिकल	एसफेरिक एसफेरिकल	ए- एसफेरिक एस- एसफेरिकल	1
4.	विजन का प्रकार	सिंगल बाइफोकल प्रोग्रेसिव	1 = सिंगल 2 = बाइफोकल 3 = प्रोग्रेसिव	1

घ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

7. जांच की प्रक्रिया के दौरान अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- जांच शुरुआत अधिसूचना या घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत याचिका में उत्पाद प्रकार की प्रत्येक बाहर रखी गई श्रेणी के संबंध में तकनीकी विशेषताओं का कोई स्पष्टीकरण का विवरण नहीं दिया गया है।
- प्राधिकारी को बाहर रखे गए प्रत्येक उत्पाद की श्रेणी के तहत तकनीकी विशेषताओं के वर्णन को शामिल करना चाहिए ताकि पीयूसी से बाहर रखे गए उत्पाद प्रकारों के कार्यक्षेत्र के संबंध में कोई अस्पष्टता ना हो।
- प्राधिकारी द्वारा पीयूसी को कोई तकनीकी विशेषता या गुण की पहचान और निर्धारित किए बिना परिभाषित किया गया है। इसमें यह नहीं बताया गया है कि “अर्ध-निर्मित” क्या है और ओप्टिकल लेंस के विनिर्माण के कौन से स्तर को “अर्ध-निर्मित ओप्टिकल लेंस” माना जा सकता है। प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित पीसीएन इस पहलू को कवर नहीं करता है।
- अर्ध-निर्मित ओप्टिकल लेंस और तैयार ओप्टिकल लेंस दोनों को एचएस कोड 9001 5000 के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जाता है। अर्ध-निर्मित ओप्टिकल लेंसों का स्टीक और संक्षिप्त विवरण/स्पष्टीकरण के अभाव में उस उत्पाद के बारे में अस्पष्टता हो सकती है जिस पर पाटनरोधी शुल्क लगाया जाएगा।
- अन्य घरेलू उत्पादक टेक्ट्रान पोलिनेसेस लिमिटेड (“टीपीएल”) द्वारा प्रस्तुत पत्र में पीयूसी का तकनीकी वर्णन निम्नानुसार है:

“अर्ध-निर्मित ब्लैंक्स ऐसे ओप्टिकल लेंस होते हैं जिनकी बाहर सतह ओप्टिकल गुणवत्ता के लेंस से बनी होती है और पिछली सतह अर्ध-निर्मित होती है। अर्ध-निर्मित लेंस अनेक रूपों, सिंगल विजन, बाई फोकल और मल्टीफोकल (प्रोग्रेसिव) प्रकारों में आते हैं जिनके विभिन्न स्टाइल और आकार होते हैं। अर्ध-निर्मित ब्लैंक्स को वांछित विहित पावर के लिए तैयार लेंस बनाने हेतु सतह पर तैयार किया जाता है।”

- अर्ध-निर्मित लेंस राँ ब्लैंक लेंस होते हैं जिनका रोगी की पर्ची के अनुसार अलग-अलग आरएक्स लेंस बनाने में प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार, प्राधिकारी को अंतिम जांच परिणाम में अर्ध-निर्मित ओप्टिकल लेंसों के अर्थ और दायरे को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना चाहिए ताकि आयात के समय कोई अस्पष्टता न हो।

- vii. घरेलू उद्योग उनकी वेबसाइट पर उनके द्वारा दी गई सूचना के अनुसार निम्नलिखित प्रकार के अर्ध-निर्मित ओप्टिकलमिक लेंसों का उत्पादन नहीं करता है।
- क. रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1.6 ब्लू कट के अर्ध-निर्मित ओप्टिकलमिक लेंस
- ख. रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1.6 क्लियर के अर्ध-निर्मित ओप्टिकलमिक लेंस
- ग. रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1.67 ब्लू कट के अर्ध-निर्मित ओप्टिकलमिक लेंस
- घ. रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1.67 क्लियर के अर्ध-निर्मित ओप्टिकलमिक लेंस
- ड. रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1.74 ब्लू कट के अर्ध-निर्मित ओप्टिकलमिक लेंस
- च. रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1.74 क्लियर के अर्ध-निर्मित ओप्टिकलमिक लेंस
- viii. इस प्रकार घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित नहीं होने वाले उक्त उत्पाद प्रकारों को पीयूसी के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए।
- ix. याचिकाकर्ता ने यह दर्शाने के लिए अलग आंकड़े नहीं दिए हैं कि वे विभिन्न पीसीएन प्रकारों की संबद्ध वस्तु उत्पादित करते हैं।
- x. प्राधिकारी को नोट करना चाहिए कि विभिन्न रिफ्रेक्टिव इंडेक्सों और व्यासों में पीयूसी का उत्पादन और बिक्री होती है, जो उत्पाद की कीमत को प्रभावित करते हैं। यदि आकार अलग हो तो निविष्टि की जरूरत अलग होती है और लागत और कीमतें भी अलग होती हैं। आवेदन इस पहलू पर मूक है।
- xi. याचिका में पीयूसी और गैर-पीयूसी को अलग करने के लिए पद्धति नहीं बताई गई है। इसके सत्यापन के लिए हितबद्ध पक्षकारों को सौदा-वार आंकड़े प्रदान करने चाहिए।
- xii. रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1.59 वाले पीयूसी को केवल 'पोलिकारबोनेट' सामग्री से विनिर्मित किया जा सकता है। पोलिकारबोनेट सामग्री पीयूसी के दायरे से बाहर है। पीयूसी के दायरे से पोलिकारबोनेट लेंसों को बाहर रखने का अर्थ 1.59 के रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वाले अर्ध-निर्मित लेंसों को पीयूसी के दायरे से बाहर करना है। याचिकाकर्ता ने यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया है कि 1.59 के रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वाले पीयूसी को किसी अन्य कच्ची सामग्री के प्रयोग से निर्मित किया जा सकता है।
- xiii. प्राधिकारी द्वारा दिनांक 10 दिसंबर, 2021 की फाइल सं. 6/6/2021-डीजीटीआर के माध्यम से बनाई गई पीसीएन पद्धति में 1.59 रिफ्रेक्टिव इंडेक्स की संबद्ध वस्तु एक पीसीएन वर्णन के रूप में शामिल है। यदि 1.59 रिफ्रेक्टिव इंडेक्स की संबद्ध वस्तु को पीसीएन विवरण में बाहर रखने सहित पीयूसी के दायरे से बाहर रखा जाता है तो इससे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा और अवैध है। तैयार पीसीएन मापदंड पीयूसी के दायरे से बाहर नहीं हो सकते।

घ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

8. जांच की प्रक्रिया के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- याचिकाकर्ता अर्ध-निर्मित ओप्टिकलमिक लेंसों का एक प्रमुख विनिर्माता है, जिनका प्रयोग अंतिम उपभोक्ताओं की जरूरतों के अनुसार तैयार लेंसों के उत्पादन हेतु आप्टिकल प्रयोगशालाओं द्वारा किया जाता है। ऐसे लेंस प्लास्टिक से बने होते हैं और रिफ्रेक्टिव इंडेक्स जैसे 1.498, 1.50, 1.56, 1.60, 1.67 और 1.74 आदि के अनुसार अभिज्ञात होते हैं और 65,70 और 75 मि.मी. आदि के व्यास वाले विभिन्न आकारों में विनिर्मित होते हैं।
- पीयूसी से बाहर उत्पादों में से प्रत्येक का विवरण निम्नानुसार हो सकता है:
 - **पोलराइज्ड लेंस:** पोलराइज्ड लेंस में एक विशेष रसायनिक अणु होता है जिसे असंगत प्रकाश को लेंस से होकर गुजरने से विशेष रूप से रोका जाता है। केवल लाइट किरणें जो उर्ध्वाधर रूप से आंखों की ओर आती हैं, उनसे होकर निकल सकती हैं। ये लेंस किसी सतह से निकलने वाली सभी क्षतिज प्रकाश तरंगों को ब्लॉक करती हैं। इस फिल्टरिंग के परिणामस्वरूप जो छवि आपको दिखती है वह सामान्य से थोड़ी डार्क होती है। पोलराइज्ड लेंसों से वस्तुएं साफ और स्पष्ट दिखती हैं और शब्द आसानी से देखे जा सकते हैं।

- **पोलिकारबोनेट लेंस:** पोलिकारबोनेट एक विशिष्ट प्रकार का प्लास्टिक होता है, जो काफी मजबूत होता है और उसका प्रयोग विभिन्न प्रयोजनों जैसे आईग्लास लेंस, कार हेडलाइट और अन्य औद्योगिक अनुप्रयोगों में होता है। पोलिकारबोनेट शीशे से 200 गुना से भी अधिक मजबूत होता है और प्रायः अन्य प्रकार के लेंसों से पतला होता है। चूंकि हल्के और पतले आईग्लास की नाक पर से फिसलने की संभावना कम होती है और प्रतिदिन पहनने के लिए अधिक आरामदायक होते हैं, इसलिए पोलिकारबोनेट लेंसों का आईग्लास लेंस के रूप में व्यापक रूप से प्रयोग होता है।
 - **ट्रांजिशन लेंस:** ट्रांजिशन लेंस या फोटोक्रोमिक लेंस धूप में काले हो जाते हैं और कम उजाले या अंधेरे में हल्के रंग के होते हैं। ये आपकी पर्ची के चश्मे की तुलना में इन्हें पहनने के बिना सनग्लासेस के लिए आदर्श होते हैं या इन्हें बार-बार बदलना भी नहीं पड़ता है। ये इलैक्ट्रॉनिक डिवाइसों के हानिकारक चमक को भी कम कर सकते हैं, जो इन्हें उत्कृष्ट लेंस सामग्री बनाता है।
 - **उच्च और विशेष प्रयोजन लेंस:** विशेष प्रयोजन लेंस वाइड एंगल फोटोग्राफिक लेंस होते हैं जिनमें विभिन्न फोकल लेंस या फीचर होते हैं जो विषय-वस्तु का आकार बदल देते हैं और विशिष्ट रूप से कैमरा में प्रयुक्त होते हैं। इनका उद्देश्य अधिक विषय वस्तु जैसे- वाइड एंगल, सुदूर वस्तुओं की बड़ी छवि बनाना – टेलीफोटो, अलग अलग इमेज आकार के विकल्प सहित – जूम और छोटी वस्तुओं की बड़ी इमेज बनाना – मैक्रो एनलार्जिंग सहित विशेष प्रभाव डालना है।
- iii. याचिकाकर्ता रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1.49, 1.50 और 1.56 वाले पीयूसी बनाता है। पीयूसी के अन्तर्गत अन्य पीसीएन प्रयोक्ता द्वारा चुने गए चुने गए थोड़े विभिन्न गुणवत्ता मानकों के साथ बदलने योग्य और प्रतिस्थापनीय हैं।
 - iv. 1.56 रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के लेंस 1.58 और 1.60 के रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के लेंस को प्रतिस्थापित कर सकते हैं क्योंकि रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1.56 के लेंस की मोटाई 1.58 और 1.60 रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के लेंसों की मोटाई के समान है और यह खुली आंखों से स्पष्ट नहीं दिखता है।
 - v. 1.67, 1.70 और 1.74 रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वाले लेंस 1.56 रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वाले लेंसों से पूरी तरह प्रतिस्थापनीय नहीं हैं क्योंकि लेंसों की मोटाई में अंतर खुली आंखों से देखा जा सकता है। 1.67, 1.70 और 1.74 रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के अर्ध-निर्मित आप्थलमिक लेंसों से 1.56 रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वाले लेंसों की तुलना में अधिक महंगे होते हैं अर्ध-निर्मित आप्थलमिक लेंसों के कुल आयातों में कम हिस्सा रखते हैं।
 - vi. अत्यधिक उच्च पावर जैसे -16.00 या -20.00 (विश्व उपयोग के 1 प्रतिशत से कम) को कोवल 1.67 और 1.74 जैसे उच्च इंडेक्स के लेंसों से बनाया जा सकता है। शेष अर्ध-निर्मित आप्थलमिक लेंस विभिन्न सामग्रियों द्वारा प्रतिस्थापनीय है।
 - vii. याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित अर्ध-निर्मित आप्थलमिक लेंसों का प्रयोग विभिन्न पावर के लेंसों में होता है एक अपवाद अत्यधिक उच्च पावर जैसे -16.00 या -20.00 का दुर्लभ मामला है (जो विश्व उपयोग के 1 प्रतिशत से कम है और जहां 1.67 और 1.74 जैसे उच्च इंडेक्स वाले लेंस का प्रयोग करना चाहिए) है, विश्व में शेष लेंस विभिन्न सामग्रियों से प्रतिस्थापनीय हैं।
 - viii. उच्चतर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स उत्पाद कमतर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स उत्पादों को प्रतिस्थापित कर सकते हैं।
 - ix. याचिकाकर्ता को चीन जन.गण. से संबद्ध वस्तु के लगातार पाटन के कारण क्षति हो रही है। अतः 1.56 से अधिक रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वाले लेंस का विनिर्माण करना व्यवहार्य नहीं है। सभी रिफ्रेक्टिव इंडेक्सों के लिए कास्टिंग प्रक्रिया समान है। परिवर्तन केवल किसी विशेष रिफ्रेक्टिव इंडेक्सों के उत्पादन के लिए मोनोमर और अभिवर्धकों का होता है।
 - x. याचिकाकर्ता के पास रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1.6, 1.67 और 1.74 वाले पीयूसी के उत्पादन के लिए पर्याप्त अवसंरचना और तकनीकी क्षमताएं हैं। याचिकाकर्ता के पास पूर्वोक्त रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वाले लेंसों के उत्पादन के लिए सक्षम पूरा कारखाना ढांचा है, परंतु चीन जन.गण. से संबद्ध वस्तु के आयात के कारण क्षति की वजह से उत्पादन शुरू नहीं कर सकता है।

- xi. याचिकाकर्ता लैंसों के वर्तमान खंड में प्रवेश स्तर के उत्पादों का इस समय निर्माण कर रहा है और पीयूसी का हिस्सा नहीं बने, शेष उत्पादों को शामिल करने के लिए विस्तार की इच्छा रखता है। बशर्ते कि उसे पाटनरोधी शुल्क लागू करने में भारत सरकार का सहयोग मिले।
- xii. डीआई द्वारा विनिर्मित उत्पाद सभी गुणवत्ता मानकों को पूरा करता है और अंतर्राष्ट्रीय रूप से उत्पादित उत्पादों से तुलनीय है। डीआई के पास यूरोप, मध्य पूर्व और यूएस से उपभोक्ता हैं और वह कड़े गुणवत्ता मानकों का पालन करता है।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

9. विभिन्न हितवद्ध पक्षकारों ने वर्तमान मामले में विचाराधीन उत्पाद के दायरे के संबंध में अनेक मुद्दे उठाए हैं। हितवद्ध पक्षकारों ने इन आधारों पर कतिपय उत्पाद प्रकारों को पीयूसी के दायरे से बाहर रखने की मांग की है कि घरेलू उद्योग वांछित उत्पाद प्रकार का उत्पादन और आपूर्ति नहीं कर रहा है। हितवद्ध पक्षकारों के तर्कों की हितवद्ध पक्षकारों द्वारा रिकॉर्ड में प्रस्तुत साक्ष्यों पर विचार करने के बाद जांच की गई है।
10. 1.56 से अधिक के रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वाले अर्ध-निर्मित ओप्टिकलमिक लैंसों को बाहर रखने के संबंध में घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि वह रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1.49, 1.50 और 1.56 के अर्ध-निर्मित ओप्टिकलमिक लैंसों का विनिर्माण करता है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि 1.56 रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के अर्ध-निर्मित ओप्टिकलमिक लैंस 1.58 और 1.60 के रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के अर्ध-निर्मित ओप्टिकलमिक लैंसों को तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से स्थापित कर सकता है क्योंकि 1.56 रिफ्रेक्टिव इंडेक्स तथा 1.58 और 1.60 रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वाले लैंसों की मोटाई समान है और यह आंखों से स्पष्ट नहीं है।
11. याचिकाकर्ता ने स्वीकार किया है कि रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1.67, 1.70 और 1.74 के अर्ध-निर्मित ओप्टिकलमिक लैंस 1.56 रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वाले अर्ध-निर्मित ओप्टिकलमिक लैंस से पूरी तरह प्रतिस्थापनीय नहीं हैं क्योंकि लैंसों की मोटाई में अंतर खुली आंखों से देखा जा सकता है। 1.67, 1.70 और 1.74 रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के अर्ध-निर्मित ओप्टिकलमिक लैंस 1.56 रिफ्रेक्टिव इंडेक्सों की तुलना में काफी अधिक महंगे हैं और अर्ध-निर्मित ओप्टिकलमिक लैंस के कुल आयातों में कम हिस्सा रखते हैं। याचिकाकर्ता ने यह भी स्वीकार किया है कि अत्यधिक उच्च पावर जैसे - 16.00 या -20.00 के लैंस केवल 1.67 और 1.74 जैसे उच्च इंडेक्स के लैंसों से बनाए जा सकते हैं।
12. प्राधिकारी नोट करते हैं कि 1.58 और 1.60 के रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वाले अर्ध-निर्मित ओप्टिकलमिक लैंस 1.56 रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वाले अर्ध-निर्मित ओप्टिकलमिक लैंस से तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय नहीं हैं। तथापि, भारत में आयातित 1.67, 1.70 और 1.74 रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वाले अर्ध-निर्मित ओप्टिकलमिक लैंसों को घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित 1.56 रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वाले अर्ध-निर्मित ओप्टिकलमिक लैंसों से तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से स्थापनीय नहीं माना जा सकता है। अतः, प्राधिकारी मानते हैं कि 1.60 से अधिक रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के अर्ध-निर्मित ओप्टिकलमिक लैंस विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर हैं। 1.60 के बराबर या 1.60 से कम रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वाले सभी अन्य अर्ध-निर्मित ओप्टिकलमिक लैंस पीयूसी के दायरे के भीतर शामिल हैं।
13. घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि उसके पास 1.67, 1.70 और 1.74 रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वाले अर्ध-निर्मित ओप्टिकलमिक लैंसों के विनिर्माण की क्षमता है। इस संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने 1.67, 1.70 और 1.74 रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वाले अर्ध-निर्मित ओप्टिकलमिक लैंसों का उत्पादन नहीं किया है और इस दावे को सिद्ध करने का कोई सकारात्मक साक्ष्य नहीं दिया है कि उसके पास 1.67, 1.70 और 1.74 रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वाले अर्ध-निर्मित ओप्टिकलमिक लैंसों के विनिर्माण की क्षमता है। यह भी स्वीकृत स्थिति है कि 1.60 से अधिक रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वाले अर्ध-निर्मित ओप्टिकलमिक लैंसों की पर्याप्त मांग है, जिस घरेलू उद्योग द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता है। अतः प्राधिकारी 1.60 से अधिक रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वाले अर्ध-निर्मित ओप्टिकलमिक लैंसों को पीयूसी के दायरे में शामिल करना उचित नहीं समझते हैं।
14. इस आधार पर 1.59 के रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वाले अर्ध-निर्मित ओप्टिकलमिक लैंसों को बाहर रखने के विशिष्ट अनुरोध के संबंध में कि उसे केवल पोलिकारबोनेट सामग्री से बनाया जा सकता है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने पोलिकारबोनेट लेंस को पीयूसी के दायरे से विशिष्ट रूप से बाहर रखा है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि यदि 1.59 के रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वाले अर्ध-निर्मित ओप्टिकलमिक लैंसों को केवल पोलिकारबोनेट सामग्री के प्रयोग से बनाया जाता है तो 1.59 के रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वाले अर्ध-निर्मित ओप्टिकलमिक लैंसों को बाहर रखने की कोई अतिरिक्त आवश्यकता नहीं होगी।

15. इस दावे के संबंध में कि पीयूसी का तकनीकी विवरण उपलब्ध कराया जाए ताकि सीमा शुल्क प्राधिकारी द्वारा पाटनरोधी शुल्क लगाने में कोई अस्पष्टता ना हो, प्राधिकारी पीयूसी का निम्नलिखित विवरण प्रदान करने का निर्णय लेते हैं:

“अर्ध-निर्मित ओप्टिकल लेंस अर्ध-निर्मित ब्लैक्स होते हैं जिनमें में लेंस की बाहरी सतह ओप्टिकल गुणवत्ता के लेंस से बनी होती है और पिछली सतह अ-निर्मित होती है। अर्ध-निर्मित ब्लैक्स को तैयार लेंस बनाने के लिए वांछित विहित पावर तक सतह पर तैयार किया जाता है। अर्ध-निर्मित ओप्टिकल लेंस सिंगल विजन, बाई फोकल और मल्टीफोकल (प्रोग्रेसिव) प्रकारों जैसे विभिन्न रूपों में आते हैं जिनके विभिन्न रिफ्रेक्टिव इंडेक्स स्टाइल और आकार होते हैं।”

16. प्राधिकारी प्रत्येक बाहर की गई श्रेणी के संबंध में तकनीकी विशेषताओं के वर्णन प्रदान करने संबंधी हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध को नोट करते हैं। प्राधिकारी अपवर्जित उत्पादों के निम्नलिखित वर्णन को मानते हैं:

क) **पोलराइज्ड लेंस:** पोलराइज्ड लेंस में एक विशेष रसायनिक अणु होता है जिसे असंगत प्रकाश को लेंस से होकर गुजरने से विशेष रूप से रोका जाता है। केवल लाइट किरणें जो उर्ध्वाधर रूप से आंखों की ओर आती हैं, उनसे होकर निकल सकती हैं। ये लेंस किसी सतह से निकलने वाली सभी क्षतिज प्रकाश तरंगों को ब्लॉक करती हैं। इस फिल्टरिंग के परिणामस्वरूप जो छवि आपको दिखती है वह सामान्य से थोड़ी डार्क होती है। पोलराइज्ड लेंसों से वस्तुएं साफ और स्पष्ट दिखती हैं और शब्द आसानी से देखे जा सकते हैं।

ख) **पोलिकार्बोनेट लेंस:** पोलिकार्बोनेट एक विशिष्ट प्रकार का प्लास्टिक होता है, जो काफी मजबूत होता है और उसका प्रयोग विभिन्न प्रयोजनों जैसे आईग्लास लेंस, कार हेडलाइट और अन्य औद्योगिक अनुप्रयोगों में होता है। पोलिकार्बोनेट शीशे से 200 गुना से भी अधिक मजबूत होता है और प्रायः अन्य प्रकार के लेंसों से पतला होता है। चूंकि हल्के और पतले आईग्लास की नाक पर से फिसलने की संभावना कम होती है और प्रतिदिन पहनने के लिए अधिक आरामदायक होते हैं, इसलिए पोलिकार्बोनेट लेंसों का आईग्लास लेंस के रूप में व्यापक रूप से प्रयोग होता है।

ग) **ट्रांजिशन लेंस:** ट्रांजिशन लेंस या फोटोक्रोमिक लेंस धूप में काले हो जाते हैं और कम उजाले या अंधेरे में हल्के रंग के होते हैं। ये आपकी पर्ची के चश्मे की तुलना में इन्हें पहनने के बिना सनग्लासेस के लिए आदर्श होते हैं या इन्हें बार-बार बदलना भी नहीं पड़ता है। ये इलैक्ट्रानिक डिवाइसों के हानिकारक चमक को भी कम कर सकते हैं, जो इन्हें उत्कृष्ट लेंस सामग्री बनाता है।

घ) **उच्च और विशेष प्रयोजन लेंस:** विशेष प्रयोजन लेंस वाइड एंगल फोटोग्राफिक लेंस होते हैं जिनमें विभिन्न फोकल लेंस या फीचर होते हैं जो विषय-वस्तु का आकार बदल देते हैं और विशिष्ट रूप से कैमरा में प्रयुक्त होते हैं। इनका उद्देश्य अधिक विषय वस्तु जैसे- वाइड एंगल, सुदूर वस्तुओं की बड़ी छवि बनाना – टेलीफोटो, अलग अलग इमेज आकार के विकल्प सहित – जूम और छोटी वस्तुओं की बड़ी इमेज बनाना – मैक्रो एनलार्जिंग सहित विशेष प्रभाव डालना है।

17. तदनुसार, वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद का संशोधित कार्यक्षेत्र निम्नानुसार है:

“विचाराधीन उत्पाद में प्लास्टिक से निर्मित अर्ध-निर्मित ओप्टिकल लेंस शामिल हैं। अर्ध-निर्मित ओप्टिकल लेंस ऐसे अर्ध-निर्मित ब्लैक्स होते हैं जिनकी बाहरी सतह ओप्टिकल गुणवत्ता के लेंस से बनी होती है और पिछली सतह अ-निर्मित होती है। अर्ध-निर्मित ब्लैक्स को तैयार लेंस के उत्पादन के लिए वांछित विहित पावर में सतहीकृत किया जाता है। अर्ध-निर्मित ओप्टिकल लेंस अनेक रूपों, सिंगल विजन, बाई फोकल और मल्टीफोकल (प्रोग्रेसिव) प्रकारों में आते हैं जिनके विभिन्न रिफ्रेक्टिव इंडेक्स स्टाइल और आकार होते हैं।”

उत्पाद के निम्नलिखित प्रकारों को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा गया है:

(i) 1.60 से अधिक रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वाले अर्ध-निर्मित ओप्टिकल लेंस।

(ii) पोलराइज्ड लेसेस – पोलराइज्ड लेंस में एक विशेष रसायनिक अणु होता है जिसे असंगत प्रकाश को लेंस से होकर गुजरने से विशेष रूप से रोका जाता है। केवल लाइट किरणें जो उर्ध्वाधर रूप से आंखों की ओर आती हैं, उनसे होकर निकल सकती हैं। ये लेंस किसी सतह से निकलने वाली सभी क्षतिज प्रकाश तरंगों को ब्लॉक करती हैं। इस फिल्टरिंग के परिणामस्वरूप जो छवि आपको दिखती है वह सामान्य से थोड़ी डार्क होती है। पोलराइज्ड लेंसों से वस्तुएं साफ और स्पष्ट दिखती हैं और शब्द आसानी से देखे जा सकते हैं।

- (iii) पोलिकारबोनेट लेंस: पोलिकारबोनेट एक विशिष्ट प्रकार का प्लास्टिक होता है, जो काफी मजबूत होता है और उसका प्रयोग विभिन्न प्रयोजनों जैसे आईग्लास लेंस, कार हेडलाइट और अन्य औद्योगिक अनुप्रयोगों में होता है। पोलिकारबोनेट शीशे से 200 गुना से भी अधिक मजबूत होता है और प्रायः अन्य प्रकार के लेंसों से पतला होता है। चूंकि हल्के और पतले आईग्लास की नाक पर से फिसलने की संभावना कम होती है और प्रतिदिन पहनने के लिए अधिक आरामदायक होते हैं, इसलिए पोलिकारबोनेट लेंसों का आईग्लास लेंस के रूप में व्यापक रूप से प्रयोग होता है।
- (iv) ट्रांजिशन लेंस - ट्रांजिशन लेंस या फोटोक्रोमिक लेंस धूप में काले हो जाते हैं और कम उजाले या अंधेरे में हल्के रंग के होते हैं। ये आपकी पर्ची के चश्मे की तुलना में इन्हें पहनने के बिना सनग्लासेस के लिए आदर्श होते हैं या इन्हें बार-बार बदलना भी नहीं पड़ता है। ये इलैक्ट्रॉनिक डिवाइसों के हानिकारक चमक को भी कम कर सकते हैं, जो इन्हें उत्कृष्ट लेंस सामग्री बनाता है।
- (v) उच्च और विशेष प्रयोजन लेंस: विशेष प्रयोजन लेंस वाइड एंगल फोटोग्राफिक लेंस होते हैं जिनमें विभिन्न फोकल लेंस या फीचर होते हैं जो विषय-वस्तु का आकार बदल देते हैं और विशिष्ट रूप से कैमरा में प्रयुक्त होते हैं। इनका उद्देश्य अधिक विषय वस्तु जैसे- वाइड एंगल, सुदूर वस्तुओं की बड़ी छवि बनाना – टेलीफोटो, अलग अलग इमेज आकार के विकल्प सहित – जूम और छोटी वस्तुओं की बड़ी इमेज बनाना – मैक्रो एनलार्जिंग सहित विशेष प्रभाव डालना है।

अर्ध-निर्मित ओप्टिकल लेंसों को आईटीसी एचएस कोड 9001.5000 के अन्तर्गत सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 के अध्याय 90 के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जाता है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।"

घ. घरेलू उद्योग का दायरा और स्थिति

घ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

18. जांच की प्रक्रिया के दौरान अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- आवेदक द्वारा प्रस्तुत मूल याचिका के अनुसार आवेदक के पास भारत में संबद्ध वस्तु के कुल उत्पादन का *** प्रतिशत हिस्सा है। तथापि, टेकट्रान पोलिलेसेस लिमिटेड ("टीपीएल") को मूल याचिका में भारत में संबद्ध वस्तु का ज्ञात उत्पादक नहीं माना गया था। आवेदक द्वारा दायर संशोधित याचिका में टीपीएल को भारत में संबद्ध वस्तु के ज्ञात उत्पादक के रूप में माना गया था। तथापि, टीपीएल को शामिल करने के बाद भी कुल भारतीय उत्पादन में आवेदक के हिस्से में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।
- जीकेबी ओप्टिकलमिक्स लिमिटेड एक 100 प्रतिशत नियोजित मुख इकाई (ईओयू) है। आवेदक संबद्ध जांच की शुरुआत की अपनी याचिका में ईओयू की अपनी स्थिति को घोषित करने में विफल रहा है। ईओयू इकाईयों को किसी पाटनरोधी जांच के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग का हिस्सा नहीं माना जा सकता है।
- चूंकि याचिकाकर्ता एक ईओयू है, इसलिए याचिकाकर्ता की केवल घरेलू बिक्रियों पर घरेलू उद्योग की स्थिति के निर्धारण के समय विचार किया जाना चाहिए। क्षति जांच के प्रयोजनार्थ केवल संबंधी विकास आयुक्त द्वारा यथा-अनुमोदित क्षमता और उत्पादन के हिस्से पर ही विचार किया जा सकता है।
- याचिकाकर्ता जीकेबी ओप्टिकलमिक्स लिमिटेड ने अपनी याचिका में नोट किया है कि जीकेबी विजन प्राइवेट लिमिटेड उसकी संबद्ध कंपनी है। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में यह भी बताया है कि जीकेबी विजन प्राइवेट लिमिटेड भारत में पीयूसी का एक ज्ञात आयातक है। याचिकाकर्ता जीकेबी ओप्टिकलमिक्स लिमिटेड और जीकेबी विजन प्राइवेट लिमिटेड के साझे शेरधारक हैं और ये श्री के.जी. गुप्ता और श्री विक्रम गुप्ता के साझे नियंत्रण के अधीन हैं। यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता जीकेबी ओप्टिकलमिक्स लिमिटेड संबद्ध वस्तु के ज्ञात आयातक जीकेबी विजन प्राइवेट लिमिटेड से संबंधित है। अतः आवेदक के पास एडी नियमावली के नियम 2(ख) के अनुसार यह आवेदन दायर करने की कोई स्थिति नहीं है।
- जीकेबी विजन प्राइवेट लिमिटेड संबद्ध देश से पीओआई सहित क्षति अवधि के दौरान भारी मात्रा में संबद्ध वस्तु का आयात कर रहा है। अतः आवेदक के पास एडी नियमावली के नियम 2(ख) के अनुसार यह आवेदन दायर करने की कोई स्थिति नहीं है।

- vi. प्राधिकारी को जांच अवधि और क्षति अवधि के दौरान याचिकाकर्ता और उसके संबंधित पक्षकारों द्वारा किए गए आयातों की मात्रा और मूल्य की जांच करनी चाहिए।
- vii. याचिकाकर्ता एसिलर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और एसिलर मैनुफैक्चरिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो संबद्ध वस्तु के आयातक हैं, से भी अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित हैं। एसिलर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और एसिलर मैनुफैक्चरिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने संयुक्त रूप से जीकेबी विजन प्राइवेट लिमिटेड में *** प्रतिशत से अधिक शेयर रखे हैं, जैसा कि जीकेबी विजन प्राइवेट लिमिटेड के वित्तीय विवरण से स्पष्ट है। चूंकि जीकेबी विजन प्राइवेट लिमिटेड, एसिलर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और एसिलर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, एसिलर मैनुफैक्चरिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, एसिलर समूह का हिस्सा है, इसलिए याचिकाकर्ता भारत को चीन जन.गण. से पीयूसी के निर्यातक और भारत में आयातक एसिलर समूह से अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित हैं।
- viii. जीकेबी ओप्यलमिक लिमिटेड के पास जीकेबी विजन प्राइवेट लिमिटेड (एक एसिलर ग्रुप कंपनी) की गोपनीय सूचना है। यह अनुरोध है कि प्राधिकारी को किसी एसिलर ग्रुप की कंपनी के बारे में ऐसी किसी सूचना या आंकड़े को अस्वीकृत करना चाहिए जो याचिकाकर्ता द्वारा इस जांच में प्रस्तुत की गई है।
- ix. टीपीएल ने संबद्ध पाटनरोधी जांच में समर्थक माने जाने के लिए अपेक्षित प्रपत्र में आवश्यक दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं किए हैं।
- x. टीपीएल ने स्वीकार किया है कि उसने उत्पादन बंद कर दिया था और अक्टूबर 2021 में अपने प्रचालन पुनः शुरू किए हैं, अक्टूबर 2021 पीओआई में शामिल नहीं है। अतः टीपीएल को समर्थक नहीं माना जा सकता है।

घ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

19. जांच की प्रक्रिया के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- i. याचिकाकर्ता अर्ध-निर्मित ओप्यलमिक लेंसों का एक प्रमुख विनिर्माता है जिसका भारत में कुल उत्पादन में *** प्रतिशत हिस्सा है। इसमें उसकी निर्यातोन्मुखी इकाई और डीटीए इकाई में विनिर्मित पीयूसी शामिल है।
- ii. याचिकाकर्ता का समग्र घरेलू उत्पादन समान वस्तु के कुल उत्पादन का 50 प्रतिशत से अधिक बनता है। इस प्रकार, पाटनरोधी कार्यवाही की शुरुआत का आवेदन एडी नियमावली के नियम 5(3) और नियम 2(ख) के अनुसार घरेलू उद्योग द्वारा किया गया है।
- iii. याचिकाकर्ता 1.56 रिफ्रेक्टिव इंडेक्स तक के अर्ध-निर्मित ओप्यलमिक लेंसों का विनिर्माण करता है। याचिकाकर्ता जीकेबी विजन प्राइवेट लिमिटेड को अर्ध-निर्मित ओप्यलमिक लेंसों की आपूर्ति करता है जो उनमें विनिर्माण प्रचालनों के लिए एक निविष्ट है। याचिकाकर्ता द्वारा विनिर्मित नहीं हुए उच्चतर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के उत्पाद जीकेबी विजन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा उसके व्यापार प्रचालनों हेतु आयातित किए जाते हैं।
- iv. महामारी के आरंभिक चरण में अप्रैल 2020 से जून 2020 की सरकारी अधिदेशित लॉकडाउन अवधि के दौरान याचिकाकर्ता की विनिर्माण सुविधाएं बंद थीं और इसलिए यह अप्रत्याशित अपवाद है, जीकेबी विजन प्राइवेट लिमिटेड ने अर्ध-निर्मित ओप्यलमिक लेंसों की उन श्रेणियों का आयात किया है जो वह याचिकाकर्ता से खरीदता था। ये आयात अपने हितों के संरक्षण और नेत्र रोगियों के स्वास्थ्य के लिए अपवादिक परिस्थिति में जीकेबी विजन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किए गए थे। महामारी के कारण पीयूसी के आयात की आपवादिक परिस्थिति को एडी नियमावली के नियम 2(ख) के प्रयोजनार्थ आयात नहीं माना जाना चाहिए।
- v. *स्टेट ऑफ गुजरात फर्टिलाइजर्स एंड केमि. लि. बनाम अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी* [2012(286) ई.एल.टी.348 (काल.) मामले में माननीय उच्च न्यायालय ने यह समुक्ति की थी कि रुके हुए उत्पादन के समय उपभोक्ता मांग को पूरा करने के लिए संबद्ध वस्तु के आयात और कम मात्रा में आयात घरेलू उद्योग को अयोग्य नहीं ठहरा सकते हैं। ऐसे मामूली आयातों में शामिल व्यक्ति को एडी नियमावली के नियम 2(ख) के अनुसार आयातक नहीं माना जा सकता है।
- vi. परिणामस्वरूप, संबद्ध वस्तु के कथित आयातक जीकेबी विजन प्राइवेट लिमिटेड का याचिकाकर्ता से संबंधित होने का आरोप असंगत है क्योंकि एडी नियमावली के नियम 2(ख) के अनुसार आयातक होने के नाते जीकेबी विजन की पूर्व शर्त पूरी नहीं होगी।

- vii. जीकेबी ओप्यलमिक्स लिमिटेड ने विशिष्ट रूप से याचिका में जीकेबी विजन प्राइवेट लिमिटेड को एक संबद्ध कंपनी बताया है और यह विनिर्दिष्ट किया है कि जीकेबी विजन प्राइवेट लिमिटेड पीयूसी का आयातक नहीं है। परिणामस्वरूप, यह दावा कि एसिलर ग्रुप के पास जीकेबी विजन प्राइवेट लिमिटेड के शेयर हैं और वह याचिकाकर्ता से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है और इसलिए याचिकाकर्ता को एडी नियमावली के नियम 2(ख) के अनुसार घरेलू उद्योग नहीं माना जाना चाहिए, भी गलत है।
- viii. याचिकाकर्ता ने जीकेबी ओप्यलमिक्स लिमिटेड और जीकेबी विजन प्राइवेट लिमिटेड की शेयरधारिता, प्रबंधन और प्रचालन नियंत्रण से संबंधित अपेक्षित सूचना प्रस्तुत की है। याचिकाकर्ता के पास जीकेबी विजन प्राइवेट लिमिटेड का कोई शेयर नहीं है और उस पर प्रचालनात्मक या प्रबंधकीय नियंत्रण नहीं है। नियम 2(ख) के स्पष्टीकरण के नोट में कहा गया है कि 'इस स्पष्टीकरण के प्रयोजनार्थ किसी उत्पादक को दूसरी कंपनी का नियंत्रक तब माना जाएगा जबकि वह कानूनी या प्रचालनात्मक रूप से दूसरे के ऊपर अवरोधी या निर्देश का प्रयोग करने की स्थिति में होगा'। जीकेबी विजन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बताया गए शेयरहोल्डिंग पैटर्न से पता चलता है कि अधिकांश शेयर एसिलर ग्रुप के पास हैं, जिससे उन्हें जीकेबी विजन प्राइवेट लिमिटेड पर प्रचालनात्मक या प्रबंधकीय नियंत्रण का अधिकार मिल जाता है।
- ix. कंपनी अधिनियम में प्रदत्त "नियंत्रण" का अर्थ वर्तमान पाटनरोधी जांच और एडी नियमावली के प्रयोजनार्थ संगत नहीं है। सोल्वे पेट्रोक्सीथाई लिमिटेड बनाम भारत संघ 218(363) ई.एल.टी. 743 (ट्राई-डेल) मामले में यह माना गया है कि कंपनी अधिनियम के प्रावधान या विशेष समाधान के प्रावधान पाटनरोधी मामलों में संगत नहीं हैं।
- x. एसिलर ग्रुप के पास याचिकाकर्ता के प्रचालनों या निर्णयों के संबंध में नियंत्रण या निदेश देने का प्रचालनात्मक या कानूनी रूप से कोई प्राधिकार नहीं है। इस पर विचार करते हुए एसिलर ग्रुप की कंपनियां एडी नियमावली के नियम 2(ख) के स्पष्टीकरण के अनुसार याचिकाकर्ता से संबंधित नहीं हैं।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

20. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग निम्नलिखित रूप में परिभाषित है:

"(ख) 'घरेलू उद्योग' का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में 'घरेलू उद्योग' पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।"

21. पाटनरोधी शुल्क के लागू करने के अनुरोध वाला आवेदन भारत में संबद्ध वस्तु के उत्पादक जीकेबी ओप्यलमिक्स लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक ने बताया है कि उसने पीओआई के दौरान संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का आयात नहीं किया है।
22. अनेक हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि आवेदक जीकेबी विजन प्राइवेट लिमिटेड से संबंधित है, जो संबद्ध वस्तु का ज्ञात आयातक है और इसलिए आवेदक एडी नियमावली के अनुसार घरेलू उद्योग बनने का पात्र नहीं है।
23. प्राधिकरण नोट करते हैं कि जीकेबी ऑप्यलमिक्स लिमिटेड और जीकेबी विजन प्राइवेट लिमिटेड स्पष्ट रूप से एक दूसरे से संबंधित हैं। प्राधिकरण नोट करता है कि एसिलर समूह जीकेबी विजन प्राइवेट लिमिटेड में बहुमत शेयर (***%) रखता है और जीकेबी विजन प्राइवेट लिमिटेड पर परिचालन और कानूनी नियंत्रण रखता है। हालाँकि, जीकेबी विजन प्राइवेट लिमिटेड की जीकेबी ऑप्यलमिक्स लिमिटेड में कोई शेयरधारिता नहीं है और इसलिए एसिलर ग्रुप का जीकेबी ऑप्यलमिक्स लिमिटेड पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं है। प्राधिकरण आगे नोट करता है कि जीकेबी ऑप्यलमिक्स लिमिटेड भी सीधे एसिलर समूह से संबंधित नहीं है क्योंकि श्री के जी गुप्ता और श्री विक्रम गुप्ता परिवार के अन्य सदस्यों के साथ जीकेबी ऑप्यलमिक्स लिमिटेड के बहुसंख्यक शेयरधारक (***%) हैं। इसलिए, एसिलर ग्रुप जीकेबी विजन प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जीकेबी ऑप्यलमिक्स लिमिटेड को नियंत्रित नहीं कर रहा है।
24. प्राधिकरण आगे नोट करते हैं कि एसिलर ग्रुप को जीकेबी विजन प्राइवेट पर नियंत्रण करने के लिए जीकेबी ऑप्यलमिक्स लिमिटेड के समर्थन की आवश्यकता नहीं है। Ltd. इसलिए, जीकेबी ऑप्यलमिक्स लिमिटेड और

एस्सिलोर ग्रुप को AD नियमों के नियम 2 (b) के स्पष्टीकरण के खंड (c) के संदर्भ में संबंधित नहीं कहा जा सकता है।

25. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(बी) के तहत, प्राधिकारी के पास घरेलू उत्पादक को पात्र घरेलू उद्योग के रूप में मानने का विवेकाधिकार है जब घरेलू उत्पादक आयात की मात्रा को ध्यान में रखते हुए भारत में कथित पाटित वस्तु के आयातक से संबंधित है। आयात का उद्देश्य, आयात की आवृत्ति और घरेलू उत्पादक की आवश्यक व्यावसायिक गतिविधि।
26. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जीकेबी विजन प्राइवेट लिमिटेड तैयार ओप्यलमिक्स लैंस का एक उत्पादक है। तैयार ओप्यलमिक्स लैंसों के उत्पादन के लिए जीकेबी विजन प्राइवेट लिमिटेड अर्ध-निर्मित ओप्यलमिक्स लैंस याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित रिफ्रेक्टिव इंडेक्सेस तक जीकेबी ओप्यलमिक्स लिमिटेड से खरीदता है। जीकेबी विजन प्राइवेट लिमिटेड उन रिफ्रेक्टिव इंडेक्सेस के अर्ध-निर्मित ओप्यलमिक्स लैंस का आयात करता है, जिनका उत्पादन जीकेबी ओप्यलमिक्स लिमिटेड नहीं करता है। जीकेबी विजन प्राइवेट लिमिटेड, चीन जन.गण. से तैयार ओप्यलमिक्स लैंसों का भी आयात करता है।
27. जीकेबी विजन प्राइवेट लिमिटेड ने बताया है कि उसने उन रिफ्रेक्टिव इंडेक्सेस के अर्ध-निर्मित ओप्यलमिक्स लैंसों का आयात किया है, जिनका कोविड-19 लॉकडाउन के कारण व्यापारिक आपदा के चलते पीओआई के दौरान जीकेबी ओप्यलमिक्स लिमिटेड ने उत्पादन नहीं किया है। जीकेबी विजन प्राइवेट लिमिटेड ने प्राधिकारी को पीओआई के दौरान किए गए पीयूसी के आयातों संबंधी पीसीएन-वार सूचना भी दी है जो निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित है:

पीसीएन	मात्रा (पीस)	मूल्य (आईएनआर)
149 बीएस1	***	***
149 बीएस 2	***	***
150 बीएस 1	***	***
150 बीएस 2	***	***
150 बीएस 3	***	***
156 बीएस 1	***	***
156 बीएस 2	***	***
कुल	***	***

28. आवेदक ने अनुरोध किया है कि पीओआई के दौरान, जीकेबी विजन प्राइवेट लिमिटेड ने अर्ध-निर्मित ओप्यलमिक्स लैंसों का आयात किया है क्योंकि आवेदक, जो जीकेबी विजन प्राइवेट लिमिटेड को अर्ध-निर्मित ओप्यलमिक्स लैंसों की आपूर्ति करता था, पीओआई की कतिपय अवधि के दौरान, सरकार अधिदेशित लॉकडाउन के कारण बंद था। जीकेबी विजन प्राइवेट लिमिटेड के लिए अपने व्यापार प्रचालनों को जारी रखने के लिए इस आपवादिक स्थिति में संबद्ध वस्तु का आयात करना अपेक्षित था।
29. प्राधिकारी ने जीकेबी विजन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत सूचना का सत्यापन किया है और नोट करते हैं कि जीकेबी विजन प्राइवेट लिमिटेड तैयार ओप्यलमिक्स लैंसों का एक उत्पादक है और याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित रिफ्रेक्टिव इंडेक्सों तक जीकेबी ओप्यलमिक्स लिमिटेड से अर्ध-निर्मित ओप्यलमिक्स लैंसों की खरीद करता है। यह भी नोट किया गया है कि जीकेबी विजन प्राइवेट लिमिटेड ने पीओआई के दौरान चीन जन.गण. से कोई अर्ध-निर्मित का आयात किया है परंतु ये आयात प्राथमिक रूप से अप्रैल से जून 2020 की लॉकडाउन अवधि के दौरान किए गए हैं जब याचिकाकर्ता ने उन्हें अर्ध-निर्मित ओप्यलमिक्स लैंसों की आपूर्ति करने में असमर्थ था। रुके हुए उत्पादन की अवधि के दौरान उपभोक्ता की मांग को पूरा करने के लिए जीकेबी विजन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संबद्ध वस्तु के आयात से याचिकाकर्ता की घरेलू उद्योग के रूप में स्थिति प्रभावित नहीं हो सकती है। पीओआई के दौरान जीकेबी विजन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किए गए आयात व्यापार प्रचालन की सामान्य प्रक्रिया में नहीं हैं और वह जीकेबी विजन प्राइवेट लिमिटेड का प्राथमिक व्यापार कार्यकलाप नहीं है। अप्रैल से जून 2020 लॉकडाउन अवधि के दौरान

संबद्ध वस्तु के आयात पर प्राधिकारी ने पाटन और क्षति जांच में भी विचार नहीं किया है। प्राधिकारी मानते हैं कि अप्रैल से जून, 2020 लॉकडाउन अवधि के दौरान जीकेबी विजन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किए गए संबद्ध वस्तु के आयात जीकेबी ऑप्टिमिक्स लिमिटेड को एडी नियमावली के नियम 2(ख) के अनुसार घरेलू उद्योग होने से वंचित नहीं करेंगे।

30. हितबद्ध पक्षकारों के इस दावे के संबंध में कि जीकेबी ऑप्टिमिक्स लिमिटेड एक ईओयू है और घरेलू उद्योग के आधार के निर्धारण के प्रयोजन के लिए केवल इसकी घरेलू बिक्री पर विचार किया जाना चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि केवल जीकेबी ऑप्टिमिक्स लिमिटेड की घरेलू बिक्री पर ही घरेलू उद्योग के रूप में जीकेबी ऑप्टिमिक्स लिमिटेड के आधार के निर्धारण के लिए विचार किया गया है।
31. रिकॉर्ड में उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार, भारत में समान वस्तुओं के घरेलू उत्पादन में आवेदक के उत्पादन का प्रमुख अनुपात है। तदनुसार, प्राधिकारी मानते हैं कि भारत में कुल उत्पादन में *** प्रतिशत हिस्सा रखने वाला घरेलू उद्योग नियमावली के नियम 2(ख) के अभिप्राय से कुल घरेलू उत्पादन में प्रमुख अनुपात में हिस्सा रखने वाला पात्र घरेलू उद्योग है और यह कि आवेदन पत्र नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार आधार के मानदंडों को पूरा करता है।

ड. गोपनीयता

ड.1. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

32. गोपनीयता के मुद्दे के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा कोई अनुरोध नहीं किए गए हैं।

ड.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

33. जांच की प्रक्रिया के दौरान अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. निम्नलिखित संगत मापदंड हैं, जिनके लिए घरेलू उद्योग ने व्यापार सूचना सं. 10/2018 दिनांक 07 सितंबर, 2018 के उल्लंघन में अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है:

- व्यापक चरण-वार विनिर्माण प्रक्रिया में राइट-अप।
- याचिकाकर्ता के संबद्ध वस्तु के विदेशी उत्पादकों/निर्यातकों/आयातकों/घरेलू उत्पादकों के साथ संबंध, यदि कोई हों।
- आरएंडडी व्यय
- पीयूसी के उत्पादन में प्रयुक्त प्रमुख कच्ची सामग्रियों के नाम।
- याचिका में सामान्य मूल्य के देश-वार अनुमान।
- याचिका में निर्यात कीमत के देशवार अनुमान।
- जुटाई गई निधियां:

(क) इक्विटी

(ख) ऋण और अग्रिम

(ग) कार्यशील पूंजी

(घ) अन्य, यदि कोई हो

ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

34. सूचना की गोपनीयता के संबंध में नियमावली के नियम 7 में निम्नलिखित प्रावधान है:-

(1) " गोपनीय सूचना: (1) नियम 6 के उपनियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट

होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

- (2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

उप नियम (2) में निहित किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।

35. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीयता के संबंध में किए गए अनुरोधों की संगत समझी गई सीमा तक प्राधिकारी द्वारा जांच की गई थी और तदनुसार समाधान किया गया था। प्राधिकारी नोट करते हैं कि गोपनीय आधार पर सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदत्त सूचना की गोपनीयता के दावों की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई थी। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने जहां आवश्यक हो, गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उसका प्रकटन नहीं किया है। जहां संभव हो, गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना का पर्याप्त अगोपनीय अंश प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था। सभी हितबद्ध पक्षकारों ने अपनी व्यापार संबंधित संवेदनशील सूचना के गोपनीय होने का दावा किया है।
36. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने ऐसी समस्त सूचना जो वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ, संगत है, का अगोपनीय अंश प्रस्तुत किया है।

च. विविध अनुरोध

च.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

37. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित विविध अनुरोध किए गए हैं:

- याचिकाकर्ता पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद, याचिका में खामियों को सुधारने में लगातार विफल रहा है। याचिकाकर्ता संशोधित याचिका में अनुसूची I – पाटन का साक्ष्य में भी माप की इकाई देने में विफल रहा है। प्राधिकारी को एडी नियमावली के नियम 14(ख) के अनुसार साक्ष्य के अभाव में जांच समाप्त करनी चाहिए या याचिकाकर्ता को याचिका वापस लेने का निर्देश देना चाहिए।
- एडी नियमावली के नियम 5(2) में अधिदेशित है कि आवेदन को प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट रूप में प्रस्तुत करना होता है और वह (क) पाटन; (ख) क्षति; (ग) कारणात्मक संबंध के साक्ष्यों द्वारा समर्थित होना चाहिए। अधिक महत्वपूर्ण रूप से नियम में विनिर्दिष्ट है कि आवेदन निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा यथा-विनिर्दिष्ट प्रपत्र में होगा। तथापि, याचिकाकर्ता ने न तो प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रपत्र का पालन किया है और न ही नियमावली और विभिन्न व्यापार सूचनाओं के अन्तर्गत विहित तरीके से दस्तावेज दिए हैं।
- याचिकाकर्ता ने बिल्कुल अधूरी याचिका प्रस्तुत की है, जो एडी नियमावली के नियम 5(2) और नियम 5(3) तथा पाटनरोधी संबंधी डब्ल्यूटीओ करार के अनुच्छेद 5.2 और 5.3 के अन्तर्गत निर्धारित किसी साक्ष्य संबंधी मानक को पूरा करने में विफल है।
- प्राधिकारी को आंकड़ों का तिमाही-वार विश्लेषण करना चाहिए और अप्रैल –जून, 2020 की तिमाही को बाहर रखना चाहिए क्योंकि उस समय उत्पादन और मांग पर कोविड-19 का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था।
- दृष्टि के संरक्षण और सुधार के लिए लेंस की आवश्यकता बढ़ रही है। पाटनरोधी शुल्क लगाने से चश्मे प्रयोक्ताओं के लिए और अधिक महंगे हो जाएंगे। तैयार चश्मों के लेंस की बिक्री कीमत में पीयूसी की लागत लगभग 20-30 प्रतिशत बनती है। अतः, पाटनरोधी शुल्क लगाने से तैयार चश्मों की कीमत बढ़ जाएगी और दृष्टि की समस्या से ग्रस्त लोगों के लिए यह और महंगे हो जाएंगे।

- vi मूल याचिका की तुलना में संशोधित याचिका में चीन जन.गण. से संबद्ध वस्तु की आयात मात्रा और मूल्य में काफी संशोधन किया गया है। परिणामस्वरूप, संशोधित याचिका में मूल याचिका की तुलना में चीन जन.गण. से संबद्ध वस्तु के पहुंच मूल्य में भारी परिवर्तन किया गया है।
- vii. याचिकाकर्ता पहुंच मूल्य के निर्धारण हेतु मूल सीमा शुल्क ("बीसीडी") और सामाजिक कल्याण अधिभार ("एसडब्ल्यूएस") के लिए उचित समायोजन करने में विफल रहा है।
- viii. घरेलू उद्योग द्वारा बेचे गए उत्पाद की गुणवत्ता चीन जन.गण. से आयातित उत्पादों की तुलना में बिल्कुल घटिया है। आयातित पीयूसी की बिक्री कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से अधिक है।

च.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

38. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित विविध अनुरोध किए गए हैं:

- i. याचिकाकर्ता ने 26 जुलाई, 2021 को यथा लागू विहित प्रपत्र में अपेक्षित सूचना का प्रकटन किया है और निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा मांगे जाने पर अतिरिक्त सूचना भी प्रस्तुत की है।
- ii. 2021 की व्यापार सूचना 10 दिनांक 4 अगस्त, 2021 स्पष्ट करती है कि हितार्थियों के पास 31 अक्तूबर, 2021 तक पूर्ववर्ती प्रपत्रों/अनुबंधों/प्रश्नावलियों के अनुसार अनुरोध करने का विकल्प होगा। अतः 26 जुलाई, 2021 को याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन जो पूर्ववर्ती प्रपत्र में है, लागू कानून के अनुपालन में है। मौखिक सुनवाई के पश्चात, 29 अप्रैल, 2022 को प्रस्तुत संशोधित याचिका 31 अक्तूबर, 2021 के बाद अनुरोधों के लिए विहित नए प्रपत्र के अनुपालन में है।

च.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

- 39. इस अनुरोध के संबंध में कि घरेलू उद्योग ने समस्त संगत सूचना वाले विहित प्रपत्र में याचिका प्रस्तुत नहीं की है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने संबद्ध जांच की शुरुआत से पहले उनके द्वारा प्रस्तुत याचिका में अपने अधिकांश आर्थिक मापदंडों के संबंध में सूचना प्रस्तुत की है। तथापि, अनेक हितबद्ध पक्षकारों द्वारा जांच की प्रक्रिया के दौरान यह अनुरोध कि घरेलू उद्योग द्वारा दायर याचिका अपूर्ण है और उसमें विहित प्रपत्र के अनुसार समस्त अपेक्षित सूचना नहीं है। हितबद्ध पक्षकारों के दावों की जांच के बाद, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को मौखिक सुनवाई के अनुपालन में संशोधित याचिका दायर करके नहीं दी गई सूचना प्रस्तुत करने का निदेश दिया था।
- 40. इस संबंध में यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग एक एमएसएमई इकाई है और वह याचिका की प्रक्रिया और आंकड़ों की जरूरत से पूर्णतः परिचित नहीं है। इसलिए इस पहलू पर विचार करते हुए प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को उसकी याचिका में खामियों में सुधार करने का अवसर दिया था। घरेलू उद्योग ने मौखिक सुनवाई के अनुपालन में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर संशोधित याचिका दायर की थी। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा दायर संशोधित याचिका की समीक्षा की है और संशोधित याचिका में कुछ खामियों संबंधी अन्य हितबद्ध पक्षकारों के दावों की भी समीक्षा की है। प्राधिकारी मानते हैं कि संशोधित याचिका में प्रदत्त सूचना ने मूल याचिका की खामियों को दूर कर दिया है।
- 41. इस दावे के संबंध में कि घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किया गया उत्पाद आयातित उत्पाद की गुणवत्ता की तुलना में घटिया है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने, घरेलू बाजार में निरंतर संबद्ध उत्पाद की बिक्री की है और यह दर्शाने वाला कोई साक्ष्य नहीं है कि घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किए जा रहे उत्पाद की गुणवत्ता के संबंध में कोई शिकायत है। इसके अलावा, आयातित उत्पाद की बेहतर गुणवत्ता के परिणामस्वरूप आयातित उत्पाद की कीमत घरेलू बिक्री कीमत की तुलना में अधिक होनी चाहिए और यह मौजूदा कीमतों पर उत्पाद के निर्यात को न्यायोचित नहीं ठहरा सकता है।
- 42. इस अनुरोध के संबंध में कि 1 अप्रैल, 2020- 31 मार्च 2021 (12 महीने) कोविड-19 के प्रभावों के कारण प्रतिनिधि अवधि नहीं है, प्राधिकारी अपनी पाटन और क्षति जांच में अप्रैल 2020 से जून 2020 की लॉकडाउन अवधि को शामिल नहीं करते हैं ताकि भारत में लॉकडाउन के कारण घरेलू उद्योग को हुई किसी क्षति, यदि कोई हो, के लिए संबद्ध देश से पाटित आयातों को जिम्मेदार न ठहराया जाए।

छ. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण

43. अधिनियम की धारा 9क(1)(ग) के अनुसार, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है:

- i. व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा
- ii. जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:-
- क. समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो; अथवा
- ख. उपधारा- (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उद्गम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत;

बशर्ते यदि उक्त वस्तु का आयात उद्गम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल यानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उद्गम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

छ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

44. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- i. प्राधिकारी को पाटन मार्जिन के निर्धारण के लिए उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत सूचना पर विचार करना चाहिए।
- ii. थाइलैंड को प्रतिनिधि देश मानते हुए चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण उचित नहीं है।
- iii. थाइलैंड को संबंधित देश के विकास के स्तर और जांचाधीन उत्पाद को ध्यान में रखते हुए बाजार अर्थव्यवस्था वाला एक उचित तीसरा देश नहीं माना जा सकता है। घरेलू उद्योग द्वारा दायर याचिका में बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के रूप में थाइलैंड की उपयुक्तता के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है। पीयूसी के संबंध में चीन जन.गण. में विकास और पैमाने की किफायतें थाइलैंड के साथ परिकलित नहीं की जा सकती है।
- iv. चीन के एक्सेसन प्रोटोकॉल का अनुच्छेद 15 दिसंबर, 2016 में समाप्त हो गया है और अब, गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की धारणा स्वचालित नहीं है। याचिकाकर्ता के लिए यह सिद्ध करना अपेक्षित है कि देश में पर्याप्त सरकारी हस्तक्षेप मौजूद है जिससे वस्तु की उचित मूल्य के आधार पर सामान्य मूल्य(एनवी) परिकलित करना संभव नहीं है।
- v. डायेजोइन डायेमयुंग ऑप्टिकल (हांगझोऊ) कंपनी लिमिटेड ने विहित प्रपत्र के अनुसार एमईटी प्रश्नावली का विधिवत ढंग से उत्तर प्रस्तुत किया है और यह अनुरोध करता है कि पाटनरोधी नियम के अनुबंध I के पैरा 8 (3) के परंतुक के अनुसार इस बात के पर्याप्त साक्ष्य हैं कि प्रतिवादी निर्यातक के लिए बाजार अर्थव्यवस्था की दशाएं विद्यमान हैं, जैसा कि विस्तृत स्पष्टीकरण द्वारा समर्थित है और एमईटी प्रश्नावली के उत्तर में प्रदर्शित है।
- vi. याचिकाकर्ता उचित तुलना के लिए पीसीएन-वार निर्यात कीमत के ब्यौरे उपलब्ध कराने में विफल रहा है। प्राधिकारी को सहयोगी निर्यातकों द्वारा प्रदत्त आंकड़ों के आधार पर निर्यात कीमत पर विचार करना चाहिए।

छ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

45. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- i. चीन जन.गण. पीयूसी का एक प्राथमिक निर्यातक है और काफी कम कीमतों पर भारत को निर्यात करता रहा है, जिससे घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है।
- ii. सामान्य मूल्य, जिस पर विनिर्माता अपने घरेलू बाजार में पीयूसी को बेचता है और वह कीमत जिस पर भारत को पीयूसी निर्यातित होती है, इस विचार की पुष्टि करती है कि चीन जन.गण. के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए। सामान्य मूल्य नियमावली के अनुबंध I के पैरा 7 और 8 के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए।
- iii. संबद्ध जांच की शुरुआत के समय याचिकाकर्ता ने बताया है कि सामान्य मूल्य भारत को थाइलैंड से निर्यात कीमत के आधार पर निर्धारित होना चाहिए। तथापि, यह नोट किया जाता है कि पीयूसी के 90 प्रतिशत से अधिक आयात चीन जन.गण. से होते हैं। आयातों की मात्रा या मूल्य के अनुसार चीन जन.गण. के आयातों की तुलना में कोई तुलनीय देश नहीं हैं। अतः एक अवशिष्ट विकल्प के रूप में सामान्य मूल्य भारत में उत्पादन लागत के आधार पर परिकलित किया जाना चाहिए।
- iv. अनेक निर्यातकों और आयातकों ने दावा किया है कि उन्होंने क्षति रहित कीमत के 2-3 गुना पर अर्ध-निर्मित ओपथलमिक लैंसों का निर्यात/आयात किया है। याचिकाकर्ता ऐसे निर्यातकों और आयातकों से उन घोषणाओं को शेयर करने का अनुरोध करता है कि पीयूसी को प्राधिकारी द्वारा निर्धारित क्षति रहित कीमत से कम पर आयात नहीं किया जाएगा।
- v. चीन जन.गण. से आयातित पीयूसी का पाटन मार्जिन काफी अधिक और न्यूनतम सीमा से अधिक है।

छ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

46. प्राधिकारी ने चीन जन.गण. से ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को प्रश्नावलियां भेजी थी और उन्हें प्राधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र और ढंग से सूचना देने की सलाह दी थी। चीन जन.गण. से निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर दिया है:
 - i. डायेजिओन डाइमयुंग ऑप्टिकल (हांगझोऊ) कंपनी लिमिटेड
 - ii. कानेंट ऑप्टिक्स (जियांग्सु) कंपनी लिमिटेड
 - iii. शंघाई कानेंट ऑप्टिक्स कंपनी लिमिटेड
 - iv. झेजियांग वेइक्सिंग ऑप्टिकल कंपनी लिमिटेड
 - v. शंघाई वेइक्सिंग ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड
 - vi. कार्ल जेसिस विज़न (चीन) लिमिटेड
 - vii. जियांग्सु युलि ऑप्टिक्स स्पेकटेकल्स लिमिटेड
 - viii. केमाइल्स कारपोरेशन
 - ix. जियांग्सु फ्यूचर विज़न कंपनी लिमिटेड
 - x. डेल्टा लेंस प्राइवेट लिमिटेड
 - xi. एसिलर अमेरा पीटीई. लिमिटेड
 - xii. शंघाई एसिलर ऑप्टिकल कंपनी, लिमिटेड
47. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग सहित हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों का विश्लेषण किया है और तदनुसार सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन निर्धारित किया है।

सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण

48. डब्ल्यूटीओ में चीन के एक्सेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15 में निम्नानुसार प्रावधान है:

“जीएटीटी 1994 का अनुच्छेद VI, टैरिफ और व्यापार संबंधी सामान्य करार, 1994 (“पाटनरोधी करार”) के अनुच्छेद VI के कार्यान्वयन संबंधी करार और एससीएम करार एक डब्ल्यूटीओ सदस्य में चीन के मूल के आयातों की संलिप्तता की कार्यवाहियों में लागू होंगे जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

“(क) जीएटीटी 1994 के अनुच्छेद- VI और पाटनरोधी करार के तहत कीमत तुलनात्मकता का निर्धारण करने में, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन की कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे अथवा उस पद्धति का उपयोग करेंगे, जो निम्नलिखित नियमों के आधार पर घरेलू कीमतों या चीन में लागतों के साथ सख्ती से तुलना करने पर आधारित नहीं है:

(i) यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां रहती है तो निर्यात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।

(ii) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त अनुपालन पर आधारित नहीं है, यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग हैं।

(ख) एससीएम समझौते के पैरा II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित राजसहायता को बताते समय एससीएम समझौते के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे, तथापि, उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाईयां हों, तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए तब पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखती है और चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती है। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य हो, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों का उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यमान निबंधन और शर्तों को ठीक करना चाहिए।

(ग) आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैरा (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी कार्य समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को कमिटी ऑन सब्सिडीज और काउंटर वेलिंग मैसर्स के लिए अधिसूचित करेगा।

(घ) आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य को राष्ट्रीय कानून के तहत चीन ने एक बार यह सुनिश्चित कर लिया है कि यह एक बाजार अर्थव्यवस्था है, तो उप पैराग्राफ के प्रावधान (क) समाप्त कर दिए जाएंगे, बशर्ते आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में प्राप्ति की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ (क) (II) के प्रावधान प्राप्ति की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त होंगे। इसके अलावा, आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं, उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागू नहीं होंगे।”

49. आवेदक ने चीन के एक्सेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क)(i) तथा एडी नियमावली के अनुबंध I के पैरा 7 पर भरोसा किया है। आवेदक ने दावा किया है कि चीन जन.गण. के उत्पादकों को यह दर्शाने के लिए कहा जाना चाहिए कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उनके उद्योग में विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और बिक्री की संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की दशाएं मौजूद हैं। आवेदक ने यह बताया है कि यदि चीन के उत्पादक यह दर्शाने में सक्षम नहीं हों कि उनकी लागत और कीमत सूचना बाजार चालित है तो सामान्य मूल्य को नियमावली के अनुबंध-I पैरा 7 और 8 के प्रावधानों के अनुसार परिकलित किया जाना चाहिए।

50. यह नोट किया जाता है कि यद्यपि अनुच्छेद 15(क)(ii) में दिए गए प्रावधान 11.12.2016 को समाप्त हो गए हैं, तथापि एक्सेसन प्रोटोकॉल के 15(क)(i) के अधीन दायित्व के साथ पठित डब्ल्यूटीओ के अनुच्छेद 2.2.1.1 के अंतर्गत प्रावधानों में भारत की नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 8 में निर्धारित मापदंड को बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे के दावे संबंधी पूरक प्रश्नावली में दी जाने वाली सूचना/आंकड़ों के ज़रिए पूरा करना अपेक्षित है।

51. प्राधिकारी नोट करते हैं कि डाये जिओन डायेमयुंग ऑप्टिकल (हांगझोऊ) कं. लिमिटेड को छोड़कर चीन जन.गण. से किसी अन्य सहयोगी उत्पादक/निर्यातक ने पूरक प्रश्नावली प्रस्तुत नहीं की है।

52. चूंकि चीन जन.गण. से अन्य किसी उत्पादक ने अपनी खुद की घरेलू बिक्रियों और उत्पादन लागत के आधार पर सामान्य मूल्य के निर्धारण का दावा नहीं किया है, इसलिए सामान्य मूल्य एडी नियमावली के अनुबंध-I के पैराग्राफ 7 के अनुसार निर्धारित किया गया है, जिसका पाठ निम्नानुसार है:

“गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयात के मामले में, उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए भारत में समान उत्पाद के लिए वास्तविक रूप से भुगतान किया गया अथवा भुगतान योग्य, आवश्यकतानुसार पूर्णतया समायोजित कीमत रहित, सामान्य मूल्य का निर्धारण तीसरे देश के बाजार अर्थव्यवस्था में कीमत अथवा परिकलित मूल्य के आधार पर अथवा भारत सहित ऐसे किसी तीसरे देश से अन्य देशों के लिए कीमत अथवा जहां यह संभव नहीं है, या किसी अन्य उचित आधार पर किया जाएगा। संबद्ध देश के विकास के स्तर तथा संबद्ध उत्पाद को देखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा यथोचित पद्धति द्वारा एक समुचित बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश का चयन किया जाएगा और चयन के समय पर उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना पर यथोचित रूप से विचार किया जाएगा। बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी अन्य तीसरे देश के संबंध में किसी समयानुरूपी मामले में की जाने वाली जांच के मामले में जहां उचित हों, समय-सीमा के भीतर कार्रवाई की जाएगी। जांच से संबंधित पक्षकारों को किसी अनुचित विलंब के बिना बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के चयन के विशेष में सूचित किया जाएगा और अपनी टिप्पणियां देने के लिए एक समुचित समयावधि प्रदान की जाएगी।”

53. प्राधिकारी नोट करते हैं कि अनुबंध 1 के पैरा 7 के प्रावधानों के अन्तर्गत सामान्य मूल्य को किसी तीसरे देश में कीमत या परिकलित मूल्य या ऐसे देश से भारत सहित अन्य देशों को कीमत के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। तथापि, जब ऐसा आधार संभव न हो, केवल तभी प्राधिकारी भारत में प्रदत्त या देय कीमत सहित किसी अन्य तर्कसंगत आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित कर सकते हैं।
54. यह भी नोट किया जाता है कि संबद्ध जांच की शुरुआत के समय सामान्य मूल्य भारत को थाइलैंड से विधिवत ढंग से समायोजित कीमत के आधार पर निर्धारित किया गया है। जांच की प्रक्रिया के दौरान घरेलू उद्योग तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों, दोनों ने अनुरोध किया है कि थाइलैंड की कीमत चीन जन.गण. से संबद्ध वस्तु के आयातों की मात्रा और मूल्य की प्रतिनिधिक नहीं है। जांच की शुरुआत के अनुपालन में प्राधिकारी ने पाटन मार्जिन के निर्धारण के लिए पीसीएन पद्धति भी विहित की है। तथापि, घरेलू उद्योग ने थाइलैंड से आयातों के आधार पर सामान्य मूल्य के पीसीएन-वार ब्यौरे प्रदान नहीं किए हैं। प्राधिकारी थाइलैंड से आयातों के आधार पर पीसीएन-वार सामान्य मूल्य निर्धारित करने की स्थिति में भी नहीं है क्योंकि थाइलैंड से आयातों का विवरण प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पीसीएन पद्धति के अनुसार विभिन्न पीसीएन में आयातों को पृथक् करने की अनुमति नहीं देता है। अतः प्राधिकारी नोट करते हैं कि सामान्य मूल्य अनुबंध-1 के पैरा 7 में प्रदत्त पहली या दूसरी पद्धति के आधार पर निर्धारित नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार, प्राधिकारी मानते हैं कि सामान्य मूल्य तीसरी पद्धति अर्थात् किसी अन्य तर्कसंगत आधार के अनुसार परिकलित किया जाए।
55. प्राधिकारी घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत तथा बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्ययों तथा तर्कसंगत लाभ मार्जिन को तर्कसंगत ढंग से जोड़कर, उसके आधार पर चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य परिकलित करने का निर्णय लेते हैं। चीन के उत्पादकों/निर्यातकों के लिए इस प्रकार निर्धारित परिकलित सामान्य मूल्य पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

डायेजियोन डायेमयुंग ऑप्टिकल (हांगझोऊ) कं. लि. के एमईटी दर्जे का मूल्यांकन

56. डायेजियोन डायेमयुंग ऑप्टिकल (हांगझोऊ) कं. लि. (“डीडीएमओ”) एक कोरियाई कंपनी डायेमयुंग ऑप्टिकल कं. लि. (“डीएमओ”) के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। इस समूह की अंतिम मूल कंपनी होया कारपोरेशन, जापान है, जो टोकियो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है।
57. यथा-संशोधित पाटनरोधी नियमावली के पैराग्राफ 8, अनुबंध-1 के अनुसार गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की मान्यता का खंडन किया जा सकता है, यदि चीन जन.गण. के निर्यातक पैराग्राफ 8 में उप पैराग्राफ (3) में विनिर्दिष्ट मापदंडों के आधार पर सूचना और पर्याप्त साक्ष्य प्रदान करें। चीन जन.गण. से संबद्ध वस्तु के सहयोगी निर्यातकों/उत्पादकों के लिए बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार (एमईटी) प्रश्नावली के उत्तर में पैराग्राफ 8 के उप पैराग्राफ (3) में यथाउल्लिखित आवश्यक सूचना/पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करना अपेक्षित है ताकि निर्दिष्ट प्राधिकारी निम्नलिखित मापदंडों पर विचार करने में सक्षम हो सकें कि क्या:-

(क) चीन जन.गण. में कच्ची समग्रियों प्रौद्योगिकी लागत और श्रम, उत्पादन, बिक्रियों तथा निवेश सहित कीमतों, लागतों तथा निवेशों के संबंध में संबंधित फर्म का निर्णय आपूर्ति तथा मांग को दर्शाने वाले बाजार संकेतों तथा इस संबंध में किसी विशिष्ट राज्य हस्तक्षेप के बिना होता है और यह कि क्या मुख्य निवेशों की लागतें वास्तविक रूप से बाजार मूल्यों को दर्शाती है ;

(ख) ऐसी फर्मों की उत्पादन लागतों तथा वित्तीय स्थिति पूर्ववर्ती गैर- बाजार अर्थव्यवस्था प्रणाली से उठाये गये विशिष्ट विरूपणों के अधीन होती है, खासकर ऋणों की प्रतिपूर्ति द्वारा परिसम्पत्तियों के मूल्यहास, अन्य बढ़े खाते वस्तु विनियम व्यापार तथा ऋणों की क्षतिपूर्ति के जरिए तथा भुगतान के संबंध में ;

(ग) ऐसी फर्म दिवालियापन तथा सम्पत्ति कानून के अधीन होती है जो कि फर्मों के प्रचालन की कानूनी निश्चितता तथा स्थायित्व की गारंटी देता है ; और

(घ) विनियम दर के परिवर्तन बाजार दर पर किये जाते हैं ;

58. प्राधिकारी बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे, बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे के दावे संबंधी पूरक प्रश्नावली के उत्तर सहित प्रश्नावली के उत्तर तथा बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे के दावे के संबंध में डीडीएमओ द्वारा किए गए अतिरिक्त अनुरोधों को भी नोट करते हैं।

59. वर्ष 2020 के लिए डीडीएमओ के वित्तीय विवरण की टिप्पणियों में डीडीएमओ ने अपने व्यापार कार्यकलापों और लागू सरकारी विनियमों/प्रावधानों की सूचना दी है, जिसे नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

“कंपनी मूल रूप से उच्च निष्पादन कम्पोजिट ऑप्टिकल लेंसों, ऑप्टिकल इन्स्ट्रूमेंट और ऑप्टिकल इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स के विनिर्माण, प्रसंस्करण और बिक्री में शामिल है; उच्च निष्पादन कम्पोजिट ऑप्टिकल लेंसों, ऑप्टिकल इन्स्ट्रूमेंट और ऑप्टिकल इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स और अन्य समान उत्पादों के थोक और एजेंसी कमीशन (नीलामी को छोड़कर); आयात और निर्यात संबंधित सेवाओं में कार्यरत है। उपर्युक्त वस्तुओं में कोटा, लाइसेंस प्रबंधन और विशेष प्रावधान प्रबंधन शामिल हैं जिन्हें राज्य के लागू प्रावधानों के अनुसार प्रचालित किया जाएगा।”

60. उक्त पैरा से यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार कोटा, लाइसेंस प्रबंधन और अन्य विशेष प्रावधानों के जरिए डीडीएमओ के व्यापार कार्यकलापों को विनियमित/नियंत्रित करती है।

61. प्राधिकारी ने झेजियांग प्रोविंशियल डिपार्टमेंट आफ फाइनेंस और होंगझाऊ एक्प्लाइमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड सर्विस ब्यूरो द्वारा जारी नोटिस ऑफ फर्दर इम्पूविंग अन-एम्प्लाइमेंट इश्योरेंस एंड स्पोर्टिंग एंटरप्राइजेज टू इस्टेबलिश जॉब के अनुसार बेरोजगारी सब्सिडी और डीडीएमओ प्राप्त अन्य सब्सिडियों से संबंधित सूचना प्रदान करने का अनुरोध किया है। तथापि, डीडीएमओ वर्ष 2020 की वार्षिक रिपोर्ट के बाद भी उसे प्राप्त अन्य सब्सिडियों से संबंधित सूचना देने में विफल रहा है, इसलिए प्राधिकारी ने नोट किया है कि डीडीएमओ को कतिपय अन्य सब्सिडियां प्राप्त हुई हैं, जिन्हें वित्तीय विवरणों में सब्सिडी आय के रूप में दर्ज किया गया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि डीडीएमओ ने स्थानीय सरकार से कतिपय अन्य अनुदान/सब्सिडियां भी प्राप्त की हैं, जिन्हें वित्तीय विवरणों में आरक्षित पूंजी के हिस्से के रूप में बताया गया था।

62. प्राधिकारी नोट करते हैं कि डीडीएमओ ने राज्य सरकार से भूमि उपयोग अधिकार प्राप्त किए हैं। प्राधिकारी ने यह सुनिश्चित करने के लिए साक्ष्य/दस्तावेज प्रदान करने का डीडीएमओ से अनुरोध किया है कि डीडीएमओ द्वारा प्राप्त भूमि उपयोग अधिकार बाजार दरों पर है। तथापि, डीडीएमओ भूमि उपयोग अधिकारों की प्रचलित बाजार दरों संबंधी साक्ष्य प्रदान करने में विफल रहा है।

63. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि सुविधाओं अर्थात् बिजली और पानी की आपूर्ति भी सरकार द्वारा नियंत्रित है। डीडीएमओ प्रचलित बाजार दरों पर बिजली और पानी की व्यवस्था के साक्ष्य देने में विफल रहा है।

64. उपर्युक्त के आलोक में, प्राधिकारी डीडीएमओ द्वारा दावा किए गए बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे को स्वीकार नहीं करने का निर्णय लेते हैं।

निर्यात कीमत

डायेजियोन डायेमयुंग ऑप्टिकल (हांगझोऊ) कं. लि.

65. डायेजियोन डायेमयुंग ऑप्टिकल (हांगझोऊ) कं. लि. चीन जन.गण. में संबद्ध वस्तु का एक उत्पादक है। उसने भारत में असंबंधित उपभोक्ताओं को सीधे संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है। डायेजियोन डायेमयुंग ऑप्टिकल (हांगझोऊ) कं. लि. ने विहित निर्यातक प्रश्नावली प्रपत्र में समस्त संगत सूचना प्रस्तुत की है।

66. डायेजियोन डायेमयुंग ऑप्टिकल (हांगझोऊ) कं. लि. ने निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर के परिशिष्ट 3 क में भारत को संबद्ध वस्तु के निर्यातों से संबंधित पीसीएन –वार सूचना दी है। यह नोट किया गया है कि डायेजियोन डायेमयुंग ऑप्टिकल (हांगझोऊ) कं. लि. ने भारत में असंबंधित ग्राहकों को *** पीस संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है।

डायेजियोन डायेमयुंग आप्टिकल (हांगझोऊ) कं. लि. ने समुद्री भाड़ा, बीमा, अन्तरदेशीय परिवहन, पत्तन और अन्य संबंधित व्ययों, पैकिंग लागत, छूट और ऋण लागत के लिए समायोजनों का दावा किया है, जिनकी प्राधिकारी ने अनुमति दी है।

67. प्राधिकारी ने उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत प्रश्नावली के उत्तर में दी गई निर्यातों की पीसीएन वार सूचना को सत्यापित किया है। यथा-निर्धारित भारित औसत पीसीएन वार कारखानाद्वार निर्यात कीमत पाटन मार्जिन तालिका में दी गई है।

कोनेंट आप्टिक्स (जियांग्सु) कंपनी लिमिटेड और शंघाई कोनेंट आप्टिक्स कं. लि.

68. कोनेंट आप्टिक्स (जियांग्सु) कंपनी लिमिटेड और शंघाई कोनेंट आप्टिक्स कं. लि. चीन जन.गण. में संबद्ध वस्तु के संबंधित उत्पादक हैं उन्होंने भारत को संबद्ध वस्तु का सीधे और असंबंधित उपभोक्ताओं को एक दूसरे के ज़रिए भी निर्यात किया है। कोनेंट आप्टिक्स (जियांग्सु) कंपनी लिमिटेड और शंघाई कोनेंट आप्टिक्स कं. लि. ने विहित निर्यातक प्रश्नावली प्रपत्र में समस्त संगत सूचना प्रस्तुत की है।
69. कोनेंट आप्टिक्स (जियांग्सु) कंपनी लिमिटेड और शंघाई कोनेंट आप्टिक्स कं. लि. ने निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर के परिशिष्ट 3 के और 3 ख में भारत को संबद्ध वस्तु के निर्यातों से संबंधित पीसीएन वार सूचना प्रस्तुत की है। यह नोट किया गया है कि कोनेंट आप्टिक्स (जियांग्सु) कंपनी लिमिटेड ने सीधे संबद्ध वस्तु के ***पीसों का निर्यात किया है और असंबंधित उपभोक्ता को शंघाई कोनेंट आप्टिक्स कं. लि. के ज़रिए *** पीसों का निर्यात किया है। शंघाई कोनेंट आप्टिक्स कं. लि. ने सीधे संबद्ध वस्तु के *** पीसों और भारत में असंबंधित ग्राहकों को कोनेंट आप्टिक्स (जियांग्सु) कंपनी लिमिटेड के ज़रिए *** पीसों का निर्यात किया है। भारत को सभी निर्यात एफओबी आधार पर किए गए हैं। कोनेंट आप्टिक्स (जियांग्सु) कंपनी लिमिटेड और शंघाई कोनेंट आप्टिक्स कं. लि. ने पत्तन और अन्य संबंधित व्ययों, बैंक प्रभारों और ऋण लागत के लिए समायोजनों का दावा किया है, जिनकी प्राधिकारी ने अनुमति दी है।
70. प्राधिकारी ने उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत प्रश्नावली के उत्तर में निर्यातों की पीसीएन वार सूचना सत्यापित की है। कारखानाद्वार स्तर पर पीसीएन वार निर्यात कीमत की तुलना पीसीएन वार पाटन मार्जिन ज्ञात करने के लिए पीसीएन वार सामान्य मूल्य के साथ की गई है। तत्पश्चात, कोनेंट आप्टिक्स (जियांग्सु) कंपनी लिमिटेड और शंघाई कोनेंट आप्टिक्स कं. लि. के लिए भारित औसत पाटन मार्जिन निर्धारित किया गया है और पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

झेजियांग वेइक्सिंग आप्टिकल कंपनी लिमिटेड और शंघाई वेइक्सिंग आप्टिकल टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड

71. झेजियांग वेइक्सिंग आप्टिकल कंपनी लिमिटेड चीन जन.गण. में संबद्ध वस्तु का एक उत्पादक है। उसने एक संबंधित व्यापारिक कंपनी शंघाई वेइक्सिंग आप्टिकल टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड के ज़रिए भारत में असंबंधित ग्राहकों को संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है। झेजियांग वेइक्सिंग आप्टिकल कंपनी लिमिटेड और शंघाई वेइक्सिंग आप्टिकल टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड ने निर्यातक प्रश्नावली के विहित प्रपत्र में समस्त संगत सूचना दी है।
72. झेजियांग वेइक्सिंग आप्टिकल कंपनी लिमिटेड और शंघाई वेइक्सिंग आप्टिकल टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड ने निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर के परिशिष्ट 3 के और 3 ख में भारत को संबद्ध वस्तु के निर्यातों से संबंधित पीसीएन वार सूचना प्रस्तुत की है। यह नोट किया गया है कि झेजियांग वेइक्सिंग आप्टिकल कंपनी लिमिटेड ने भारत में असंबंधित ग्राहकों को शंघाई वेइक्सिंग आप्टिकल टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड के ज़रिए *** पीसों का निर्यात किया है। भारत को सभी निर्यात एफओबी आधार पर किए गए हैं। झेजियांग वेइक्सिंग आप्टिकल कंपनी लिमिटेड और शंघाई वेइक्सिंग आप्टिकल टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड ने अन्तरदेशीय परिवहन, पत्तन और अन्य संबंधित व्ययों, बैंक प्रभारों और ऋण लागत के लिए समायोजनों का दावा किया है, जिनकी प्राधिकारी ने अनुमति दी है।
73. प्राधिकारी ने उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत प्रश्नावली के उत्तर में निर्यातों की पीसीएन वार सूचना सत्यापित की है। कारखानाद्वार स्तर पर पीसीएन वार निर्यात कीमत की तुलना पीसीएन वार पाटन मार्जिन ज्ञात करने के लिए पीसीएन वार सामान्य मूल्य के साथ की गई है। तत्पश्चात, झेजियांग वेइक्सिंग आप्टिकल कंपनी लिमिटेड के लिए भारित औसत पाटन मार्जिन निर्धारित किया गया है और पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

कार्ल जेइस विजन (चीन) लि. और कार्ल जेइस इंडिया (बंगलौर) प्राइवेट लि.

74. कार्ल जेइस विजन (चीन) लिमिटेड चीन जन.गण. में संबद्ध वस्तुओं का उत्पादक है। उसने अपने संबंधित आयातक/प्रयोक्ता कार्ल जेइस इंडिया (बंगलौर) प्राइवेट लि. को भारत में संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है। कार्ल जेइस विजन (चीन) लिमिटेड और कार्ल जेइस इंडिया (बंगलौर) प्राइवेट लि. ने विहित प्रश्नावली प्रपत्र में समस्त संगत सूचना दी है।
75. कार्ल जेइस विजन (चीन) लिमिटेड ने निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर के परिशिष्ट 3क में भारत को संबद्ध वस्तु के निर्यातों से संबंधित पीसीएन वार सूचना दी है। यह नोट किया जाता है कि कार्ल जेइस विजन (चीन) लिमिटेड ने अपने संबंधित आयातक/प्रयोक्ता कार्ल जेइस इंडिया (बंगलौर) प्राइवेट लि. को भारत में ***पीस संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है। कार्ल जेइस विजन (चीन) लिमिटेड ने समुद्री भाड़ा, बीमा और ऋण लागत के लिए समायोजनों का दावा किया है, जिनकी प्राधिकारी ने अनुमति दी है।
76. प्राधिकारी ने उत्पादकों/निर्यातकों/प्रयोक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रश्नावली के उत्तर में निर्यातों की पीसीएन वार सूचना सत्यापित की है। कारखानाद्वारा स्तर पर पीसीएन वार निर्यात कीमत की तुलना पीसीएन वार पाटन मार्जिन ज्ञात करने के लिए पीसीएन वार सामान्य मूल्य के साथ की गई है। तत्पश्चात, कार्ल जेइस विजन (चीन) लिमिटेड के लिए भारत औसत पाटन मार्जिन निर्धारित किया गया है और पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

जियांगसू यूली ऑप्टिक्स स्पेक्ट्रम कं., लिमिटेड, केमिलेंस (जियाक्सिंग) कं., लिमिटेड, केमिल्स कॉर्पोरेशन, जियांगसू फ्यूचर विजन कं., लिमिटेड, एस्सिलोर अमेरा पीटीई. लिमिटेड, सी वर्ल्ड ऑप्टिकल कं., लिमिटेड, शंघाई एस्सिलोर ऑप्टिकल कं., लिमिटेड, डेल्टा लेंस प्राइवेट लिमिटेड, एस्सिलोर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, एस्सिलोर मैनुफैक्चरिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जीकेबी विजन (पी) लिमिटेड और विजन आरएक्स लैब्स प्राइवेट लिमिटेड (जिन्हें यहां सामूहिक रूप से "एस्सिलोर ग्रुप" कहा गया है)

77. एस्सिलोर ग्रुप द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार, केमिलेंस (जियाक्सिंग) कं. लि., जियांगसू फ्यूचर विजन कं. लि., जियांगसू यॉली ऑप्टिक्स स्पेक्टिकल्स कं. लि. और सी वर्ल्ड ऑप्टिकल कं. लि. एस्सिलोर ग्रुप में संबद्ध सामानों के संबद्ध उत्पादक हैं।
78. जियांगसू यॉली ऑप्टिक्स स्पेक्ट्रम कं., लिमिटेड ने भारत को सीधे ही संबद्ध सामानों का निर्यात किया है। केमिलेंस (जियाक्सिंग) कं., लिमिटेड ने अपने संबद्ध निर्यातक केमाइल्स कॉर्पोरेशन के माध्यम से भारत को संबद्ध सामानों का निर्यात किया है। जियांगसू फ्यूचर विजन कं., लिमिटेड ने अपने संबद्ध उत्पादक/निर्यातक सी वर्ल्ड ऑप्टिकल कं., लिमिटेड के माध्यम से भारत को संबद्ध सामानों का निर्यात किया है। सी वर्ल्ड ऑप्टिकल कं., लिमिटेड ने भारत को सीधे ही तथा संबद्ध निर्यातक एस्सिलोर अमेरा पीटीई. लिमिटेड, सिंगापुर के माध्यम से संबद्ध सामानों का निर्यात किया है। शंघाई एस्सिलोर ऑप्टिकल कं., लिमिटेड एस्सिलोर ग्रुप में संबद्ध सामान का संबंधित व्यापारी/निर्यातक है जिसने भारत को विचाराधीन उत्पाद की अधिकतम मात्रा का निर्यात किया है। उपर्युक्त सभी कंपनियों ने निर्यातक प्रश्नावली प्रारूप में सूचना दी है।
79. एस्सिलोर ग्रुप की कंपनियों द्वारा दायर प्रश्नावली के उत्तरों से, प्राधिकारी ने नोट किया है कि एस्सिलोर ग्रुप ने संबद्ध सामानों के *** पीसों का सीधे और संबद्ध निर्यातकों के माध्यम से भारत को निर्यात किया है (डेनयांग आईएलटी ऑप्टिक्स कं., लिमिटेड से खरीदे गए, शंघाई एस्सिलोर ऑप्टिकल कंपनी लिमिटेड द्वारा भारत को किए गए निर्यात को छोड़कर)
80. शंघाई एस्सिलोर ऑप्टिकल कं., लिमिटेड द्वारा दायर प्रश्नावली के उत्तर में, यह दावा किया गया है कि शंघाई एस्सिलोर ऑप्टिकल कं., लिमिटेड ने एक असंबद्ध उत्पादक डेनयांग आईएलटी ऑप्टिक्स कं., लिमिटेड से संबद्ध सामान खरीदे हैं। डेनयांग आईएलटी ऑप्टिक्स कं. लि. से खरीदे गये ये संबद्ध सामान एस्सिलोर अमेरा पीटीई लिमिटेड, सिंगापुर के माध्यम से भारत को शंघाई एस्सिलोर ऑप्टिकल कं. लि. द्वारा पुनः बेचे गए/निर्यात किए गए हैं। डेनयांग आईएलटी ऑप्टिक्स कं., लिमिटेड ने संबद्ध जांच में भाग नहीं लिया है
81. प्राधिकारी ने नोट किया है कि जांच की अवधि के दौरान, शंघाई एस्सिलोर ऑप्टिकल कं., लिमिटेड ने डेनयांग आईएलटी ऑप्टिक्स कं., लिमिटेड से भारत को निर्यात किए गए ***% संबद्ध सामान खरीदे हैं और उसे अपनी संबद्ध कंपनी एस्सिलोर अमेरा पीटीई लिमिटेड को घाटे पर बेचे हैं। उसी सामान को फिर एस्सिलोर अमेरा पीटीई लिमिटेड द्वारा भारत को लाभ पर पुनः बिक्री की गई है/निर्यात किया गया है। शंघाई एस्सिलोर

ऑप्टिकल कं, लिमिटेड और एस्सिलोर अमेरा पीटीई. लिमिटेड ने मिलकर भारत को संबद्ध सामानों का घाटे पर निर्यात किया है।

82. प्राधिकारी द्वारा एक साधारण वेब-खोज से पता चला है कि डेनयांग आईएलटी ऑप्टिक्स कं, लिमिटेड एस्सिलोर ग्रुप की एक समूह कंपनी है। सी वर्ल्ड ऑप्टिकल कं, लिमिटेड की वर्ष 2017 की वार्षिक रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि डेनयांग आईएलटी ऑप्टिक्स कं, लिमिटेड एस्सिलोर ग्रुप से संबद्ध है। शंघाई एस्सिलोर ऑप्टिकल कं, लिमिटेड द्वारा दायर प्रश्नावली के उत्तर से, प्राधिकारी ने नोट किया कि शंघाई एस्सिलोर ऑप्टिकल कं, लिमिटेड द्वारा अपने संबद्ध निर्यातक एस्सिलोर अमेरा पीटीई लिमिटेड, सिंगापुर के माध्यम से भारत को निर्यात किए गए *** पीस संबद्ध सामानों की पूरी मात्रा को शंघाई एस्सिलोर ऑप्टिकल कं, लिमिटेड द्वारा डेनयांग आईएलटी ऑप्टिक्स कं, लिमिटेड से खरीदा गया था। परिणामस्वरूप, प्राधिकारी ने डेनयांग आईएलटी ऑप्टिक्स कं, लिमिटेड और एस्सिलोर ग्रुप के बीच संबंध को समझने के लिए एस्सिलोर ग्रुप से अधिक ब्यौरे और स्पष्टीकरण के लिए अनुरोध करना आवश्यक समझा।
83. तदनुसार, प्राधिकारी ने एस्सिलोर ग्रुप को एक कमी/डेस्क सत्यापन अनुरोध पत्र दिनांक 6 अप्रैल, 2022 जारी किया जिसमें एस्सिलोर ग्रुप और डेनयांग आईएलटी ऑप्टिक्स कं, लिमिटेड के बीच संबंध की स्थिति के संबंध में विस्तृत सूचना का अनुरोध किया गया था। प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए कमी पत्र के उत्तर में एस्सिलोर ग्रुप ने सूचित किया कि डेनयांग आईएलटी ऑप्टिक्स कं. लि. वास्तव में 14 नवंबर, 2018 तक एस्सिलोर ग्रुप की एक समूह कंपनी थी। इसके बाद, एस्सिलोर ग्रुप ने डेनयांग आईएलटी ऑप्टिक्स कं. लि. में अपना निवेश और शेयरधारिता वापस ले ली थी।
84. प्राधिकारी ने वर्ष 2018, 2019 और 2020 के लिए शंघाई एस्सिलोर ऑप्टिकल कं, लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्टों की समीक्षा से यह भी नोट किया कि शंघाई एस्सिलोर ऑप्टिकल कं, लिमिटेड ने समूह में अन्य कंपनियों के साथ एक कोष बनाया और डेनयांग आईएलटी ऑप्टिक्स कं, लिमिटेड को इस तरह के कोष से कम ब्याज दर पर अंतर-कंपनी कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान किया।
85. अतः प्राधिकारी ने डेनयांग आई एल टी ऑप्टिक्स कं. लि. और एस्सिलोर ग्रुप के बीच किसी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष वित्तीय अथवा संविदात्मक संपर्कों के बारे में पूछते हुए दिनांक 7 जून, 2022 का एक दूसरा पत्र जारी किया। एस्सिलोर ग्रुप ने सूचित किया कि 14 नवंबर, 2018 तक ही रियायती ब्याज पर शंघाई एस्सिलोर ऑप्टिकल कंपनी लि द्वारा डेनयांग आईएलटी ऑप्टिक्स कं. लि. को कुछ अंतर-कंपनी कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान किए गए थे और जांच की अवधि के दौरान केवल वही ऋण बकाया थे।
86. डेनयांग आईएलटी ऑप्टिक्स कं. लि. और एस्सिलोर ग्रुप के बीच संबंधों के बारे में पूरी तरह से समझने के लिए, प्राधिकारी ने विशेष रूप से दिनांक 7 जून, 2022 के कमी वाले पत्र में डेनयांग आईएलटी ऑप्टिक्स कं. लि. की वार्षिक रिपोर्टों के लिए अनुरोध किया। तथापि, एस्सिलोर ग्रुप ने दिनांक 7 जून, 2022 के कमी वाले पत्र के उत्तर में डेनयांग आईएलटी ऑप्टिक्स कं, लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्टें उपलब्ध नहीं कराईं।
87. प्राधिकारी नोट करते हैं कि निर्यातक प्रश्नावली के खंड क के भाग 1 के प्रश्न 7 में किसी अन्य कंपनी के साथ किसी वित्तीय अथवा संविदात्मक संबंधों और संयुक्त उद्यमों के प्रकटन की अपेक्षा है।

जांच के तहत उत्पाद के लिए अनुसंधान और विकास, उत्पादन, बिक्री, लाइसेंसिंग, तकनीकी और पेटेंट समझौतों से संबंधित किसी भी वित्तीय या संविदात्मक लिंक और किसी अन्य कंपनी के साथ संयुक्त उद्यम को विस्तार से निर्दिष्ट करें और अंग्रेजी अनुवाद के साथ समझौते की प्रतियां संलग्न करें।

88. शंघाई एस्सिलोर ऑप्टिकल कं, लिमिटेड ने अपने प्रश्नावली के उत्तर में केवल यह नोट किया कि "प्रश्न में वर्णित किसी अन्य कंपनी के साथ ऐसा कोई संपर्क या संयुक्त उद्यम नहीं है"। यह उत्तर गलत तथा शंघाई एस्सिलोर ऑप्टिकल कंपनी लिमिटेड द्वारा बाद में प्रकट किए गए तथ्यों के विपरीत था। डेनयांग आईएलटी ऑप्टिक्स कं, लिमिटेड, जिससे काफी मात्रा में विचाराधीन उत्पाद की खरीद की जा रही है और भारत को निर्यात की जा रही है, डेनयांग आईएलटी ऑप्टिक्स कं, लिमिटेड को समूह में शंघाई एस्सिलोर ऑप्टिकल कं, लिमिटेड और अन्य कंपनियों द्वारा कार्यशील पूंजी ऋण निर्यातक प्रश्नावली के खंड क के भाग 1 के प्रश्न 7 के उत्तर में एस्सिलोर ग्रुप द्वारा प्रकट किया जाना चाहिए था। वास्तव में, यह सूचना भी एस्सिलोर ग्रुप द्वारा 6 अप्रैल, 2022 के कमी पत्र के उत्तर में नहीं दी गई थी।

89. प्राधिकारी नोट करते हैं कि डेनयांग आईएलटी ऑप्टिक्स कं, लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट के अभाव में, प्राधिकारी शंघाई एस्सिलोर ऑप्टिकल कं, लिमिटेड और अन्य कंपनियों द्वारा डेनयांग आईएलटी ऑप्टिक्स कं, लिमिटेड को दिए गए कार्यशील पूंजी ऋण की निबंधनों और शर्तों के बारे में तथा साथ ही डेनयांग आईएलटी ऑप्टिक्स कं, लिमिटेड और एस्सिलोर ग्रुप के बीच संबंधों के बारे में भी और अधिक सूचना की जांच करने में असमर्थ हैं।
90. प्राधिकारी ने 7 जून, 2022 के कमी वाले पत्र के उत्तर में एस्सिलोर ग्रुप द्वारा दी गई सूचना से यह भी नोट किया कि शंघाई एस्सिलोर ऑप्टिकल कं, लिमिटेड द्वारा तीसरे देशों को निर्यात किए गए संबद्ध सामान भी पूरी तरह से डेनयांग आईएलटी ऑप्टिक्स कंपनी लिमिटेड से खरीदे गए हैं।
91. एस्सिलोर ग्रुप के इस दावे के संबंध में कि डेनयांग आईएलटी ऑप्टिक्स कं, लिमिटेड 14 नवंबर, 2018 के बाद एस्सिलोर ग्रुप की समूह कंपनी नहीं रही है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि एस्सिलोर ग्रुप ने 6 अप्रैल, 2022 के कमी वाले पत्र के उत्तर में और प्रकटन विवरण पर टिप्पणियों में यह सूचित किया था कि डेनयांग आईएलटी ऑप्टिक्स कं, लिमिटेड के ***% शेयर 14 नवंबर, 2018 तक एस्सिलोर इंटरनेशनल (एस्सिलोर समूह में कंपनी) के पास थे और शेष ***% शेयर डेनयांग शुओशी ऑप्टिकल ग्लासेस कंपनी लि. के पास थे। एस्सिलोर इंटरनेशनल ने डेनयांग आईएलटी ऑप्टिक्स कं. लि. में अपनी पूरी हिस्सेदारी 14 नवंबर, 2018 को डेनयांग शौसी ऑप्टिकल ग्लासेस कं. लि. को बेच दी। एस्सिलोर ग्रुप ने पूरी जांच प्रक्रिया के दौरान इस मुद्दे के बारे में कोई और सूचना नहीं दी।
92. चूंकि एस्सिलोर ग्रुप द्वारा कोई और सूचना प्रस्तुत नहीं की गई थी, अतः प्राधिकारी ने नेशनल एंटरप्राइज क्रेडिट इंफॉर्मेशन पब्लिसिटी सिस्टम, चीन जन. गण. सरकार द्वारा प्रकाशित 'एंटरप्राइज क्रेडिट इंफॉर्मेशन पब्लिसिटी रिपोर्ट' (क्रेडिट रिपोर्ट) के रूप में सार्वजनिक पटल पर उपलब्ध सूचना एकत्र की। क्रेडिट रिपोर्ट से पता चलता है कि एस्सिलोर इंटरनेशनल के पास डेनयांग आईएलटी ऑप्टिक्स कं, लिमिटेड के 80% शेयर 14 नवंबर, 2018 को डेनयांग शुओशी ऑप्टिकल ग्लासेस कं, लिमिटेड को बेचे गए थे। तथापि, क्रेडिट रिपोर्ट में यह भी नोट किया गया है कि वही 80% शेयर डेनयांग शुओशी ऑप्टिकल ग्लासेस कं, लिमिटेड द्वारा 16 नवंबर, 2018 को ही शंघाई एस्सिलोर ऑप्टिकल कं, लिमिटेड (एस्सिलोर समूह में कंपनी) को गिरवी रखे गए थे। डेनयांग शुओशी ऑप्टिकल ग्लासेस कं, लिमिटेड द्वारा शंघाई एस्सिलोर ऑप्टिकल कं, लिमिटेड को डेनयांग आईएलटी ऑप्टिक्स कं, लिमिटेड के शेयरों को गिरवी रखने से संबंधित यह महत्वपूर्ण सूचना पूरी जांच प्रक्रिया के दौरान एस्सिलोर ग्रुप द्वारा प्राधिकारी को प्रकट नहीं की गई है। इस संबंध में, प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि डेनयांग आईएलटी ऑप्टिक्स कं, लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट के अभाव में, प्राधिकारी गिरवी की प्रकृति और शेयरों को गिरवी रखने से जुड़ी शर्तों के बारे में अधिक सूचना की जांच करने में असमर्थ हैं। डेनयांग आईएलटी ऑप्टिक्स कं. लि. और एस्सिलोर ग्रुप के बीच संबंधों की पूरी प्रकृति को समझने के लिए यह सूचना आवश्यक है। प्राधिकरण ने एस्सिलोर समूह को दिनांक 27 सितंबर 2022 के ईमेल द्वारा भी सूचित किया कि शंघाई एस्सिलोर ऑप्टिकल कंपनी लिमिटेड को डेनयांग आईएलटी ऑप्टिक्स कंपनी लिमिटेड के शेयरों को गिरवी रखने से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राधिकरण के संज्ञान में आई है और 28 सितंबर तक का समय दिया गया है। 2022 प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए, यदि कोई हो। प्रत्युत्तर में, डेनयांग शुओशी ऑप्टिक्स कंपनी लिमिटेड, शंघाई एस्सिलोर ऑप्टिकल कंपनी लिमिटेड और डेनयांग आईएलटी ऑप्टिक्स कंपनी लिमिटेड के बीच 13 जुलाई 2018 को त्रिपक्षीय इक्विटी प्रतिज्ञा समझौता प्राधिकरण द्वारा एस्सिलोर ग्रुप से लिखित प्रस्तुति के साथ प्राप्त किया गया था जिसमें समझाया गया था इक्विटी प्रतिज्ञा समझौते के नियम और शर्तें। एस्सिलोर ग्रुप ने यह दावा नहीं किया कि यह जानकारी आवश्यक नहीं थी या जांच के दौरान प्राधिकरण को इसका खुलासा पहले ही कर दिया गया था।
93. इक्विटी प्लेज एग्रीमेंट की समीक्षा से यह पता चलता है कि एस्सिलोर इंटरनेशनल द्वारा धारित डेनयांग शुओशी ऑप्टिक्स कं. लि. के *** प्रतिशत शेयर दिनांक 13 जुलाई, 2018 के इक्विटी अंतरण करार के अनुसरण में डेनयांग शौसी ऑप्टिक्स कंपनी लिमिटेड को अंतरित किए गए थे और शंघाई एस्सिलोर ऑप्टिकल कं. लिमिटेड से आरएमबी *** (लगभग *** भारतीय रूपए) मूल्य के ऋण लेने के लिए शंघाई एस्सिलोर ऑप्टिकल कंपनी लिमिटेड में गिरवी रखे गए थे। प्राधिकारी से यह महत्वपूर्ण सूचना रोकने के लिए कोई औचित्य नहीं हो सकता। अंत में यह सूचना इक्विटी प्लेज एग्रीमेंट के साथ निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर के खंड-क के भाग-1 के प्रश्न 7 के उत्तर में दी जानी चाहिए थी जिसमें विशेष रूप से तदनुसारी करार के साथ वित्तीय एवं संविदात्मक के संबंध सूचना का अनुरोध है। उस मामले में प्राधिकारी ने डेनयांग आईएलटी ऑप्टिक्स कं. लि.

और एस्सीलर ग्रुप के बीच संबंध की प्रकृति की जांच करने का अवसर प्राप्त किया होता। यह सूचना प्राधिकारी द्वारा जारी दो कमी वाले पत्रों के उत्तर में भी नहीं दी गई थी, जिसमें विशेष रूप से डेनयांग आईएलटी ऑप्टिक्स कंपनी लि. और शंघाई एस्सीलर ऑप्टिकल कंपनी लिमिटेड के बीच वित्तीय और संविदात्मक संबंध के सभी ब्यौरों के संबंध में पूछा गया था। एस्सीलर ग्रुप ने उस समय भी 13 जुलाई, 2018 के इक्विटी प्लेज एग्रीमेंट का प्रकटन छोड़ दिया था जब उसने प्राधिकारी को दिनांक 13 जुलाई, 2018 के इक्विटी अंतरण करार के अनुसरण में इक्विटी अंतरण के बारे में प्राधिकारी को सूचित किया। प्रकटन विवरण पर टिप्पणियां दायर करने तक इस सूचना को प्रकट न करना यह दर्शाता है कि एस्सीलर ग्रुप ने यह सूचना रोककर रखने का प्रयास किया और उसके पास पूरी तरह से उपलब्ध सूचना देने में अपनी सर्वोत्तम क्षमताओं के अनुसार कार्य नहीं किया है और जिसकी जांच के परिणामों पर वास्तविक बाधा है। इस प्रकार, प्राधिकारी प्रश्नावली के उत्तर में पूर्ण सूचना प्रकट न करने और केवल कमी वाले पत्रों के उत्तर में बाद के चरण में एस्सीलर ग्रुप के पक्ष में सूचना के आंशिक और चुनिंदा प्रकटन के कारण उपलब्ध तथ्यों को लागू करना उपयुक्त मानते हैं।

94. उपलब्ध तथ्यों से संकेत मिलता है कि डेनयांग आईएलटी ऑप्टिक्स कंपनी लिमिटेड द्वारा ऋण चुकौती में चूक की स्थिति में इक्विटी प्लेज एग्रीमेंट के तहत शंघाई एस्सिलोर ऑप्टिकल कंपनी लिमिटेड को बिक्री, नीलामी, गिरवी रखी गई इक्विटी का निपटान करने के अधिकार दिए गए हैं। डेनयांग आईएलटी ऑप्टिक्स कं, लिमिटेड में एस्सीलर इंटरनेशनल द्वारा शेयरों का हस्तांतरण, शंघाई एस्सिलोर ऑप्टिकल कंपनी लिमिटेड, डेनयांग आईएलटी ऑप्टिक्स कं, लिमिटेड और डेनयांग शुओशी ऑप्टिकल ग्लासेस कं के बीच पूर्ण व्यवस्था का केवल एक हिस्सा था। पूरी व्यवस्था डेनयांग आईएलटी ऑप्टिक्स कंपनी लिमिटेड में एस्सिलोर इंटरनेशनल द्वारा शंघाई एस्सिलोर ऑप्टिकल कंपनी लिमिटेड को बेचे गए शेयरों को वापस गिरवी रखना आवश्यक है। इस प्रकार, एस्सिलोर इंटरनेशनल द्वारा डेनयांग आईएलटी ऑप्टिक्स कंपनी लिमिटेड में शेयरों की बिक्री से एस्सिलर का नियंत्रण समाप्त नहीं हुआ है। डेनयांग आईएलटी ऑप्टिक्स कंपनी लिमिटेड में समूह जैसा कि शेयरहोल्डिंग की वापसी के मामले में आमतौर पर अपेक्षित है। उपलब्ध तथ्यों के आधार पर, प्राधिकरण का यह विचार है कि एस्सिलोर समूह ने डेनयांग आईएलटी ऑप्टिक्स कंपनी लिमिटेड को परोक्ष रूप से नियंत्रित करना जारी रखा है।
95. प्राधिकारी यह टिप्पणी करने के लिए बाध्य हैं कि एस्सिलोर ग्रुप ने जांच प्रक्रिया के दौरान बार-बार प्राधिकारी को डेनयांग आईएलटी ऑप्टिक्स कंपनी लिमिटेड से संबंधित आंशिक सूचना अथवा गलत सूचना दी है और जांच प्रक्रिया में बाधा डाली है। आवश्यक सूचना के अभाव के कारण, प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निम्नानुसार कार्यवाही की है:
 - एस्सिलोर ग्रुप ने दावा किया कि डेनयांग आईएलटी ऑप्टिक्स कं. लि. नवंबर, 2018 तक एस्सिलोर ग्रुप की एक समूह कंपनी थी और उसके बाद एस्सिलोर ग्रुप ने डेनयांग आईएलटी ऑप्टिक्स कं. लि. में अपना निवेश और शेयरधारिता वापस ले ली थी। तथापि, शंघाई एस्सिलोर ऑप्टिकल कं. लिमिटेड ने समूह में अन्य कंपनियों के साथ एक कोष बनाया था और कम व्याज दर पर इस कोष से डेनयांग आईएलटी ऑप्टिक्स कंपनी लिमिटेड को अंतर-कंपनी कार्यशील पूंजी ऋण दिया था, जो नवंबर 2018 के बाद और यहां तक कि जांच की अवधि के दौरान भी बकाया रहा।
 - डेनयांग शुओशी ऑप्टिकल ग्लासेस कं, लिमिटेड द्वारा डेनयांग आईएलटी ऑप्टिक्स कं, लिमिटेड के शेयरों को एस्सिलोर ग्रुप में गिरवी रखने से संबंधित सूचना को संबद्ध जांच प्रक्रिया के दौरान एस्सिलोर ग्रुप द्वारा प्राधिकारी को कभी भी प्रकट नहीं किया गया था।
 - शंघाई एस्सिलोर ऑप्टिकल कं, लिमिटेड ने डेनयांग आईएलटी ऑप्टिक्स कं, लिमिटेड से ***% संबद्ध सामान खरीदा है और फिर उसे एस्सिलोर अमेरा पीटीई के माध्यम से भारत को बेच दिया है। सीमित। शंघाई एस्सिलोर ऑप्टिकल कं, लिमिटेड और एस्सिलोर अमेरा पीटीई। लिमिटेड ने मिलकर भारत को संबद्ध वस्तुओं का निर्यात घाटे में किया है। एस्सिलोर ग्रुप द्वारा इस बारे में कोई ठोस कारण नहीं बताया गया है कि वे संबद्ध वस्तु को किसी असंबंधित पक्ष से अधिक कीमत पर क्यों खरीदेंगे और फिर उसे घाटे में भारत को फिर से बेचेंगे।
 - डेनयांग आईएलटी ऑप्टिक्स कं, लिमिटेड (***) पीस) द्वारा उत्पादित भारत को संबद्ध सामानों के निर्यात की मात्रा एस्सिलोर ग्रुप (***) पीस) के अन्य सभी उत्पादकों द्वारा उत्पादित भारत को संबद्ध सामानों के निर्यात की मात्रा से बहुत अधिक है।

- शंघाई एस्सिलोर ऑप्टिकल कं, लिमिटेड के माध्यम से डेनयांग आईएलटी ऑप्टिक्स कंपनी लिमिटेड द्वारा भारत में उत्पादित और निर्यात की गई संबद्ध सामानों की औसत पहुंच कीमत एस्सिलोर ग्रुप द्वारा भारत में उत्पादित और निर्यात की गई संबद्ध सामानों के पहुंच मूल्य से काफी कम है।
 - प्राधिकारी द्वारा किए गए एक विशिष्ट अनुरोध के बावजूद, एस्सिलोर ग्रुप ने प्राधिकारी को डेनयांग आईएलटी ऑप्टिक्स कं, लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्टें नहीं दी है, जो डेनयांग आईएलटी ऑप्टिक्स कं, लिमिटेड और एस्सिलोर ग्रुप के बीच संबंधों के बारे में स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करतीं। डेनयांग आईएलटी ऑप्टिक्स कं. लि. की वार्षिक रिपोर्टों के अभाव में, प्राधिकारी ने उनके समक्ष उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर डेनयांग आईएलटी ऑप्टिक्स कं. लि. और एस्सिलोर ग्रुप के बीच संबंधों के बारे में तथ्य का निर्धारण किया है।
 - एस्सिलोर ग्रुप ने डेनयांग आईएलटी ऑप्टिक्स कं. लि. में शेयरधारिता, शंघाई एस्सिलोर ऑप्टिकल कं. लि. द्वारा प्रदान किए गए कार्यशील पूंजी ऋण और शंघाई एस्सिलोर ऑप्टिकल कं, लिमिटेड में डेनयांग आईएलटी ऑप्टिक्स कं. लि. के शेयरों को गिरवी रखने के संबंध में निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर में प्राधिकारी को पूर्ण और समय पर सूचना नहीं दी है। परिणामस्वरूप, प्राधिकारी पर लगातार आवश्यक सूचना की तलाश करने और उसके बारे में एस्सिलोर ग्रुप के साथ पूछताछ करने का बोझ डाला गया था।
96. उपर्युक्त टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी मानते हैं कि एस्सिलोर ग्रुप का यह दावा कि डेनयांग आईएलटी ऑप्टिक्स कं, लिमिटेड संबद्ध सामानों का एक असंबद्ध उत्पादक है, स्वीकार नहीं किया जा सकता। चूंकि, डेनयांग आईएलटी ऑप्टिक्स कं, लिमिटेड ने वर्तमान पाटनरोधी जांच में भाग नहीं लिया है और प्रश्नावली का उत्तर दायर नहीं किया है, प्राधिकारी मानते हैं कि एस्सिलोर ग्रुप के लिए कोई अलग पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन निर्धारित नहीं किया जा सकता।
97. इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी ने वर्ष 2020 के लिए शंघाई एस्सिलोर ऑप्टिकल कं, लिमिटेड और जियांग्सु यॉली ऑप्टिक्स स्पेक्ट्रम कं, लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्टों की समीक्षा की और नोट किया कि चीन जन. गण. में एस्सिलोर ग्रुप में अन्य संबद्ध कंपनियां अर्थात् जियांग्सु वांक्सिन ऑप्टिकल कं. लि., जियांग्सु क्रेक्सी ऑप्टिकल्स कं. लि. और जियांग्सु गवर्नर ड्रेगन ऑप्टिकल्स कं. लि. थीं, जो संबद्ध सामानों के उत्पादन और/अथवा बिक्री में भी लगी हुई थीं। निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर के खंड क के भाग 1 के प्रश्न 6 के अनुसार, पाटनरोधी जांच में भाग लेने वाले उत्पादक/निर्यातक को मूल कंपनियों, सहायक कंपनियों और अन्य सभी संबद्ध कंपनियों, चाहे वे विचाराधीन उत्पाद में शामिल हैं अथवा नहीं, सहित नामों और पतों, टेलीफोन, फैक्स नंबर और ईमेल पता सहित अपनी संबद्धताओं के व्यौर देने की अपेक्षा होती है। निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर के खंड क के भाग 1 का प्रश्न 6 नीचे दिया गया है:
- नामों और पतों, टेलीफोन, फैक्स नंबर और ईमेल पते सहित मूल कंपनियों, सहायक कंपनियों और अन्य सभी संबद्ध कंपनियों, चाहे वे विचाराधीन उत्पाद में शामिल हैं अथवा नहीं, सहित अपनी कंपनी की संबद्धता का उल्लेख करें। प्रत्येक संबद्ध कंपनी के क्रियाकलाप बताएं। इसके अतिरिक्त, कृपया विशेष रूप से उन सभी संबद्ध कंपनियों की पहचान करें जो विचाराधीन उत्पाद में शामिल हैं अथवा जांचाधीन उत्पाद के निर्माण में उपयोग की जाने वाली कच्ची सामग्री/यूटिलिटियां प्रदान करती हैं अथवा इस कार्यवाही में जिनकी ओर से आप संबद्ध उत्पाद बेचते हैं। (इन सभी मामलों में, कृपया अपने संबंध की प्रकृति का वर्णन करें)।*
98. एस्सिलोर ग्रुप ने अपने प्रश्नावली के उत्तरों में खंड क के भाग 1 के प्रश्न 6 के उत्तर में प्रदर्श क-6 (विश्व-व्यापी कॉर्पोरेट संरचना और संबद्धता) प्रदान किया है, जिसमें प्रतीत होता है कि एस्सिलोर ग्रुप की सभी संबद्ध कंपनियों के नाम शामिल हैं। तथापि, एस्सिलोर ग्रुप चीन जन. गण. में जियांग्सु वांक्सिन ऑप्टिकल कं. लि., जियांग्सु क्रेक्सी ऑप्टिकल्स कं. लि. और जियांग्सु गवर्नर ड्रेगन ऑप्टिकल्स कं. लि. का विवरण प्रदान करने में विफल रहा है, जो संबद्ध सामानों के उत्पादन और/अथवा बिक्री में लगी हुई हैं, यहां तक कि यद्यपि यह सूचना विशेष रूप से दी जानी आवश्यक थी।
99. इस प्रकार, एस्सिलोर ग्रुप एक बार फिर प्राधिकारी को प्रश्नावली के उत्तर में आवश्यक सूचना प्रदान करने में विफल रहा और प्राधिकारी के लिए वार्षिक रिपोर्ट, वेब अनुसंधान और सार्वजनिक पटल पर उपलब्ध सूचना से संगत सूचना प्राप्त करना अपेक्षित था। पाटनरोधी जांच में, यह अत्यंत महत्वपूर्ण होता है कि संबद्ध देश में संबद्ध सामानों के उत्पादन में लगे संबद्ध पक्षकारों के नाम प्राधिकारी को उपलब्ध कराए जाएं ताकि प्राधिकारी स्वतंत्र रूप से यह जांच कर सकें कि क्या भारत को संबद्ध सामानों के निर्यात और उत्पादन में लगे सभी संबद्ध पक्षकारों ने जांच में भाग लिया है।

100. जब संबद्ध सामानों के उत्पादन/बिक्री में लगी अन्य संबद्ध कंपनियों के गैर-प्रकटन के तथ्य को एस्सिलोर ग्रुप के ध्यान में लाया गया, तो उन्होंने स्वीकार किया कि जिआंगसु क्रेक्सी ऑप्टिकल्स कं, लिमिटेड संबद्ध सामानों के उत्पादन में लगी हुई है लेकिन दावा यह किया गया है कि उसने भारत को संबद्ध सामानों का निर्यात नहीं किया है और इसलिए व्यापार नोटिस 06/2021 के संदर्भ में खंड क के भाग 1 के प्रश्न 6 के उत्तर में प्रश्नावली के उत्तर में जिआंगसु क्रेक्सी ऑप्टिकल्स कं, लिमिटेड की मौजूदगी का प्रकटन नहीं किया गया था। प्राधिकारी नोट करते हैं कि नोटिस 06/2021 कहीं भी निर्दिष्ट नहीं करता है कि खंड क के भाग 1 के प्रश्न 6 के उत्तर में, केवल उन संबद्ध कंपनियों के नाम प्रदान करने की आवश्यकता है जिन्होंने भारत को संबद्ध सामानों का निर्यात किया है।
101. एस्सिलोर ग्रुप ने यह भी स्वीकार किया कि जिआंगसु वानक्सिन ऑप्टिकल कं, लिमिटेड चीन जन. गण. में संबद्ध सामानों के उत्पादन में लगी हुई है, लेकिन उसने यह दावा किया कि उसने जांच की अवधि के दौरान भारत को केवल तैयार लेंस का निर्यात किया है। एस्सिलोर ग्रुप ने जिआंगसु वानक्सिन ऑप्टिकल कं, लिमिटेड द्वारा भारत को निर्यात किए गए तैयार लेंसों का लेनदेन-वार ब्यौरा भी दिया है। प्राधिकारी ने इस सूचना की समीक्षा की है और यह नोट किया है कि जिआंगसु वानक्सिन ऑप्टिकल कं, लिमिटेड ने *** रुपये प्रति पीस की औसत कीमत पर भारत को *** रिफ्रेक्टिव इंडेक्स लेंस का निर्यात किया है। प्राधिकारी को यह स्पष्ट नहीं है कि जिआंगसु वानक्सिन ऑप्टिकल कं, लिमिटेड ने भारत को तैयार लेंसों का निर्यात अर्ध-परिष्कृत लेंसों की कीमत से भी कम कीमत पर कैसे किया है। जांच की अवधि के दौरान भारत में अर्ध-परिष्कृत लेंसों की औसत आयात कीमत 70 रुपये प्रति पीस है। चूंकि संबद्ध सामानों के संबद्ध उत्पादक के रूप में जिआंगसु वानक्सिन ऑप्टिकल कं, लिमिटेड की मौजूदगी का पहले ही प्रकटन नहीं किया गया था और यहां तक कि जिआंगसु वानक्सिन ऑप्टिकल कं, लिमिटेड द्वारा भारत को निर्यात के संबंध में बाद के चरण में दी गई सूचना भी संदिग्ध है क्योंकि ऐसे निर्यातों की अत्यधिक कम कीमत होती है, एस्सिलोर ग्रुप का यह दावा है कि जांच की अवधि के दौरान जिआंगसु वानक्सिन ऑप्टिकल कं, लिमिटेड द्वारा किए गए निर्यात परिष्कृत लेंस के हैं, पर विश्वास नहीं किया जा सकता।
102. जब संबद्ध सामानों के उत्पादन/बिक्री में लगी अन्य संबद्ध कंपनियों के गैर-प्रकटन के तथ्य को एस्सिलोर ग्रुप के ध्यान में लाया गया, तो उन्होंने विशेष रूप से जिआंगसु गवर्नर ड्रैगन ऑप्टिकल्स कं, लिमिटेड के संबंध में यह दावा किया कि यह केवल कॉन्टेक्ट लेंस बनाती है। तथापि, प्राधिकारी ने जिआंगसु गवर्नर ड्रैगन ऑप्टिकल्स कं, लिमिटेड की वेबसाइट पर उपलब्ध उत्पाद सूची से नोट किया कि यह अर्ध-परिष्कृत लेंस का भी उत्पादन करती है।
103. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, यह पूर्णतः स्पष्ट है कि एस्सिलोर ग्रुप ने उनके द्वारा दायर निर्यातक प्रश्नावली के उत्तरों में संबद्ध पक्षकारों के बारे में आवश्यक सूचना नहीं दी है और एस्सिलोर ग्रुप द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण अपर्याप्त हैं। एस्सिलोर ग्रुप ने प्रारंभिक प्रश्नावली उत्तर में एस्सिलोर ग्रुप के डेनयांग आईएलटी ऑप्टिक्स कंपनी लिमिटेड के साथ संबंधों के बारे में प्रकटन नहीं किया। साथ ही, एस्सिलोर ग्रुप ने प्रारंभिक प्रश्नावली के उत्तर में डेनयांग आईएलटी ऑप्टिक्स कं. लि. के साथ एस्सिलोर ग्रुप के वित्तीय और/अथवा संविदात्मक संपर्क के बारे में प्रकटन नहीं किया। एस्सिलोर ग्रुप ने प्रारंभिक प्रश्नावली के उत्तर में चीन जन. गण. में संबद्ध सामानों के उत्पादन में शामिल सभी संबद्ध पक्षकारों के नामों का भी प्रकटन नहीं किया। एस्सिलोर ग्रुप ने आंशिक सूचना का प्रकटन तब किया जब प्राधिकारी ने स्वयं तथ्यों की खोज की और इसे एस्सिलोर ग्रुप के ध्यान में लाया गया। एस्सिलोर ग्रुप ने 16 नवंबर, 2018 को डेनयांग आईएलटी ऑप्टिक्स कं. लि. के शेयरों को शंघाई एस्सिलोर ऑप्टिकल कं. लि. में गिरवी रखने के बारे में बिल्कुल भी प्रकटन नहीं किया है।
104. इस प्रकार, एस्सिलोर ग्रुप ने उनके द्वारा दायर निर्यातक प्रश्नावली के उत्तरों में आंशिक सूचना दी है। प्राधिकारी द्वारा एस्सिलोर ग्रुप को विभिन्न मुद्दों के बारे में बताए जाने के बाद भी, उन्होंने प्राधिकारी को महत्वपूर्ण और पूर्ण तथ्य प्रस्तुत नहीं किए। पाटनरोधी जांचों में, यह अत्यंत महत्वपूर्ण होता है कि क्षति जांच अवधि के दौरान संबद्ध पक्षकारों से संबंधित सूचना, भारत को उनके वास्तविक निर्यात और अन्य संगत सूचना उत्पादक/निर्यातक द्वारा प्राधिकारी को दी जाए।
105. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(8) में यह प्रावधान है कि जहां कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना देने से इंकार करे, अथवा अन्यथा आवश्यक सूचना न दे, अथवा जांच में काफी बाधा डाले, वहां प्राधिकारी उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपनी जांच परिणाम रिकॉर्ड कर सकते हैं और ऐसी परिस्थितियों में, जो उपयुक्त समझें, केंद्र सरकार को वे सिफारिशें कर सकते हैं।

106. अतः, पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार, प्राधिकारी एस्सिलोर ग्रुप को असहयोगी उत्पादक/निर्यातक मानते हैं। प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की है और एस्सिलोर ग्रुप द्वारा किए गए निर्यात के लिए अलग पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन निर्धारित करने में असमर्थ हैं।

सभी अन्य उत्पादकों और निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत

107. चीन जन.गण. से सभी अन्य असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित करना प्रस्तावित है और इसका उल्लेख नीचे पाटन मार्जिन तालिका में है।

पाटन मार्जिन

108. ऊपर स्पष्ट किए गए अनुसार निर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए यह नोट किया गया है कि चीन जन.गण. से उत्पादकों/निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन कानेंट आप्टिक्स (जियांग्सु) कंपनी लिमिटेड, शंघाई कानेंट आप्टिक्स कंपनी लिमिटेड, झेजियांग वईक्सिंग आप्टिकल कंपनी लिमिटेड, कार्ल जेसिस विजन (चीन) लिमिटेड और डाडाइमयुंग आप्टिकल (हांगझोऊ) कंपनी लिमिटेड को छोड़कर नियमावली के अन्तर्गत विहित न्यूनतम सीमा से अधिक है।

पाटन मार्जिन तालिका

क्र.सं.	उत्पादक/निर्यातक	सामान्य मूल्य (रु./नग)	एनईपी (रु./नग)	पाटन मार्जिन (रु./नग)	पाटन मार्जिन %	रेंज
1.	क. कोनेंट आप्टिक्स (जियांग्सु) कंपनी लिमिटेड ख. शंघाई कानेंट आप्टिक्स कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	ऋणात्मक
2.	झेजियांग वेइक्सिंग आप्टिकल कं. लिमि.	***	***	***	***	ऋणात्मक
3.	कार्ल जेसिस विजन (चीन) लिमिटेड	***	***	***	***	ऋणात्मक
4.	डाइजियोन डाइमयुंग आप्टिकल (हांगझोऊ) कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	ऋणात्मक
5.	अन्य सभी	***	***	***	***	30-40

ज. क्षति निर्धारण की पद्धति तथा क्षति एवं कारणात्मक संबंध की जांच

109. अनुबंध-II के साथ पठित नियमावली के नियम 11 में यह व्यवस्था की गई है कि किसी क्षति के निर्धारण में उन कारकों की जांच शामिल होगी जो घरेलू उद्योग को क्षति की ओर संकेत कर सकते हैं, “.....पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामी प्रभाव सहित, सभी संगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए.....”। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव का विचार करने में, इस बात की जांच करना जरूरी समझा गया कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा महत्वपूर्ण कीमत कटौती की गई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव ने अन्यथा रूप से महत्वपूर्ण सीमा तक कीमतों में ह्रास को रोका है या कीमतों में वृद्धि को नियंत्रित किया है, जो अन्यथा महत्वपूर्ण स्तर तक घटित हुआ होता।
110. प्राधिकारी ने अपनी जांच में क्षति संबंधी उन मापदंडों का मूल्यांकन किया है जो नियमावली के नियम 11 और अनुबंध-II के अंतर्गत यथा-अपेक्षित है।

ज.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

111. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने घरेलू उद्योग को हुई क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में निम्नानुसार अनुरोध किए हैं:

- i. चूंकि आवेदक की घरेलू बिक्री हकदारी को ईओयू के 100 प्रतिशत के रूप में दर्शा कर आंकड़े दिए गए हैं, इसलिए कथित पाटित आयातों के साथ क्षति और कारणात्मक संबंध के दावे की प्राधिकारी द्वारा कोई सार्थक जांच नहीं की जा सकती है।
- ii. चीन जन.गण. से संबद्ध वस्तु के आयातों की मात्रा के गलत प्रस्तुतीकरण से संबद्ध वस्तु की कुल मांग भी अविश्वसनीय है।
- iii. संबद्ध वस्तु के आयात में क्षति जांच अवधि में भारी गिरावट आई है। आयातों में गिरावट पूरी क्षति अवधि में लगातार रही है। यह दर्शाता है कि चीन जन.गण. से आयातों के कारण कोई मात्रात्मक प्रभाव नहीं पड़ा है।
- iv. पीओआई में याचिकाकर्ता का उत्पादन, घरेलू बिक्रियां और कर-पूर्व लाभ सभी तीन पूर्ववर्ती वर्षों की तुलना में कम थे। घरेलू उद्योग ने पीओआई के दौरान चीन जन.गण. से संबद्ध वस्तु के आयातों में भारी गिरावट के बावजूद पीओआई में यह बहुत खराब स्थिति देखी है।
- v. 2017-18 से 2018-19 में उत्पादन में वृद्धि हुई है, जिसके बाद 2019-20 और पीओआई में इसमें गिरावट आई है। बिक्रियों में भी उत्पादन जैसी प्रवृत्ति रही है। भारत में मांग में 2019-20 और पीओआई में गिरावट से पहले 2017-18 से 2018-19 में वृद्धि हुई थी। अतः यह स्पष्ट है कि उत्पादन और बिक्री में गिरावट मांग में गिरावट के कारण हुई है।
- vi. याचिकाकर्ता की क्षमता, घरेलू मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है, जिसकी वजह से मांग-आपूर्ति में अंतर है। संबद्ध देश से आयात इसलिए मांग-आपूर्ति में अंतर को भरने के लिए आवश्यक हैं।
- vii. क्षति जांच अवधि के दौरान, वित्त लागत और मूल्य ह्रास तथा आशोधन व्यय काफी अधिक रहा है, जिस वजह से घाटा हुआ है। याचिकाकर्ता व्याज और मूल्यह्रास को हटाने के बाद लाभ कमा रहा है। क्षति अवधि के दौरान लाभप्रदता में वृद्धि हुई है। इसके अलावा, पीओआई के दौरान याचिकाकर्ता के नकद लाभ में भी वृद्धि हुई है।
- viii. याचिकाकर्ता की वार्षिक रिपोर्ट के आधार पर लाभप्रदता के विश्लेषण से याचिका में सूचित आंकड़ों की तुलना में अलग स्थिति प्रदर्शित होती है। याचिका में बताए गए और याचिकाकर्ता की वार्षिक रिपोर्ट में सूचित मूल्यों में भारी स्पष्ट विरोधाभास है।
- ix. अनुबंध II के पैरा (iv) में विहित अनिवार्य मापदंडों में से अधिकांश मापदंडों में आधार वर्ष की तुलना में पीओआई में सुधार हुआ है। संगत आर्थिक मापदंडों की एक वस्तुनिष्ठ जांच से पता चलता है कि घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है।
- x. पीओआई के दौरान घरेलू उद्योग का कार्य-निष्पादन अप्रैल 2020 से जून 2020 के दौरान प्रभावित हुआ होगा जब पूरे भारत में कड़ा लॉकडाउन लगा हुआ था। क्षति या क्षति की संभावना का कोई आकलन जांच शुरुआत अधिसूचना में यथा-परिभाषित पीओआई के आधार पर नहीं किया जा सकता है।

ज.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

112. क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध निम्नानुसार हैं:

- i. घरेलू उद्योग को कम क्षमता उपयोग के रूप में वास्तविक क्षति उठानी पड़ी है। इसकी वजह से बाजार हिस्सा कम हुआ है। संबद्ध वस्तु की कीमत कटौती और चीन जन.गण. से पीयूसी के पाटित आयातों के कारण कम कीमत पर बिक्री की वजह से कम रही है।
- ii. याचिकाकर्ता ने वर्तमान मांग को पूरा करने हेतु उत्पादन बढ़ाने के लिए और स्थानीय बाजार तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पीयूसी की बिक्री के लिए लागत प्रभावी पद्धतियों को अपनाने के लिए भारी निवेश किया है। यह भी नोट किया गया है कि याचिकाकर्ता वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी है और प्रौद्योगिकी में परिवर्तन या घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा क्षति का कारण नहीं है।
- iii. निवेश पर उचित आय के अभाव के कारण अन्ततः कर्मचारियों की छंटनी करनी पड़ी है। याचिकाकर्ता को बिक्री में गिरावट के कारण 2019 के क्यू 1 में अपनी मेहनती और अनुभवी कर्मचारियों में से *** की छंटनी करनी पड़ी थी।
- iv. चूंकि पाटित पीयूसी वस्तुओं का पहुंच मूल्य निरंतर बिक्री कीमत को कम कर रहा है, इसलिए याचिकाकर्ता को पाटित पीयूसी के समतुल्य होने के लिए अपनी कीमत में भारी कटौती करनी पड़ी है। यह भारतीय बाजार

में प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए एक अनिवार्य कदम हो गया है। यदि किसी पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश नहीं की जाती है तो इससे याचिकाकर्ता “मेक इन इंडिया” पहल में अपना योगदान देने से हतोत्साहित हो जाएगा।

- v. कोविड-19 के प्रकोप और प्रचालनों पर परिणामी प्रतिबंधों के साथ घरेलू उद्योग पर और अधिक प्रभाव पड़ा है और बाजार में प्रचालन करना मुश्किल हो गया है। याचिकाकर्ता को कच्ची सामग्री की कमी, विद्युत की कमी, प्रचालनों के अस्थायी शटडाउन पर्याप्त क्षमता के अभाव या निवेश बाधाओं आदि से संबंधित किसी अन्य बाधा का विचाराधीन अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु के उत्पादन या बिक्री के संबंध में सामना नहीं करना पड़ा।
- vi. चीन जन.गण. से कम कीमत के आयातों के कारण घरेलू उद्योग को अपने दैनिक खर्चों को पूरा करने के साथ बाजार में बने रहने के लिए वित्तीय संस्थानों से कर्ज पर निर्भर रहना पड़ा। इसकी वजह से अंततः उसकी वित्त और ब्याज लागतों में तेज़ी से वृद्धि हुई जिसने लाभप्रदता पर समग्र प्रभाव डाला था।
- vii. याचिकाकर्ता ने निर्यातक देशों में अन्य विनिर्माताओं द्वारा यथा-प्रयुक्त प्रौद्योगिकीय उन्नतियों में निवेश किया है और निवेश करना जारी रखेगा तथा स्थानीय बाजार और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में पीयूसी की बिक्री के लिए लागत किफायती पद्धतियां अपनाएगा।
- viii. चश्मों के ऑप्टिशियन का एक विशाल मध्यवर्ती नेटवर्क मौजूद है और अर्ध-निर्मित आप्यलमिक लेंसों की लागत और तैयार चश्मे के रूप में अंतिम उत्पाद की लागत के बीच भारी मार्जिन है। पीयूसी का मूल्य उस मूल्य की तुलना में नगण्य है जिस पर तैयार उत्पाद अंतिम उपभोक्ता को बेचा जाता है।

ज.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

- 113. क्षति और कारणात्मक संबंध से संबंधित मुद्दों की के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोधों की जांच की गई है। प्राधिकारी द्वारा नीचे किए गए क्षति विश्लेषण से वस्तुतः हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों का समाधान होता है।
- 114. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को क्षति के संबंध में सभी हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों और प्रति तर्कों को नोट किया है। इस प्रकार, प्राधिकारी द्वारा किया गया क्षति विश्लेषण हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों का समाधान करता है।
- 115. इस अनुरोध के संबंध में कि घरेलू उद्योग को कथित क्षति अन्य कारणों से हुई है और घरेलू उद्योग की वार्षिक रिपोर्ट के विवरणों के अनुसार कोई क्षति नहीं हुई है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि नीचे किया गया क्षति विश्लेषण स्वतः स्पष्ट है।
- 116. अनुबंध-II के साथ पठित नियमावली के नियम 11 में यह प्रावधान है कि क्षति के निर्धारण में “... पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर इस प्रकार के आयातों का परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत तथ्यों पर विचार करते हुए ...” घरेलू उद्योग को क्षति दर्शाने वाले कारकों की जांच शामिल होगी। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, इस बात की जांच करना आवश्यक माना गया है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा कीमत में बहुत अधिक कटौती हुई है अथवा यह कि क्या इस प्रकार के आयातों के प्रभाव से अन्यथा कीमतों का बहुत अधिक मात्रा में ह्रास हुआ है अथवा कीमत में वृद्धि रूक जाती जो अन्यथा बहुत अधिक मात्रा में हुई होती। भारत में घरेलू उद्योगों पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए, इन सूचकांकों जिनका उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता हो जैसे उत्पादन, क्षमता का उपयोग, बिक्री की मात्रा, मालसूची, लाभप्रदता, निवल बिक्री प्राप्ति, पाटन की मात्रा और मार्जिन आदि पर विचार नियमावली के अनुबंध-II के अनुसार किया गया है।
- 117. इस अनुरोध के संबंध में कि 1 अप्रैल 2020 – 31 मार्च 2021 (12 महीने) की अवधि कोविड-19 के प्रभाव के कारण प्रतिनिधि अवधि नहीं है, प्राधिकारी क्षति जांच में अप्रैल, 2020 से जून, 2020 की लॉकडाउन अवधि को बाहर रखते हैं ताकि भारत में लॉकडाउन के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति, यदि कोई हो, के लिए संबद्ध देशों से पाटित आयातों को जिम्मेदार न ठहराया जाए।

ज.3.1 पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव और घरेलू उद्योग पर प्रभाव

- क) मांग/स्पष्ट खपत का आकलन

118. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में प्राधिकारी के लिए यह विचार करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों में समग्र रूप से या भारत में उत्पादन अथवा खपत की दृष्टि से भारी वृद्धि हुई है। क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ, प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंडएस से प्राप्त आयात आंकड़ों पर भरोसा किया है। मांग या स्पष्ट खपत को सभी घरेलू उत्पादकों की घरेलू बिक्रियों और सभी देशों से आयातों के योग के रूप में निर्धारित किया गया है।

विवरण	इकाई	2017-18	2018-19	2019-20	पीओआई (अप्रैल 2020 – जून 2020 को छोड़कर)	पीओआई (वार्षिकीकृत) (अप्रैल 2020 – जून 2020 को छोड़कर)
चीन जन.गण. से आयात	पीस	58,23,754	65,86,632	86,61,780	58,09,954	77,46,605
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	113	149	100	133
अन्य देशों से आयात	पीस	51,31,568	56,94,941	68,14,572	45,86,242	61,14,989
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	111	133	89	119
कुल आयात	पीस	1,09,55,322	1,22,81,573	1,54,76,352	1,03,96,196	1,38,61,594
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	112	141	95	127
घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्रियां	पीस	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	120	104	70	94
अन्य भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्रियां	पीस	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	47	79	50	66
कुल मांग/खपत	पीस	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	108	127	85	114

119. यह देखा गया है कि:

- संबद्ध वस्तु की मांग में कोविड-19 महामारी के कारण पीओआई के दौरान थोड़ी गिरावट को छोड़कर क्षति जांच अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।
- चीन जन.गण. से आयातों में पीओआई के दौरान थोड़ी गिरावट को छोड़ क्षति जांच अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।
- अन्य देशों से आयातों में पीओआई के दौरान थोड़ी गिरावट को छोड़कर क्षति जांच अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।

ख. चीन जन.गण. से आयात की मात्रा और आयातों का हिस्सा

विवरण	इकाई	2017-18	2018-19	2019-20	पीओआई (अप्रैल 2020 – जून 2020 को छोड़कर)	पीओआई (वार्षिकीकृत) (अप्रैल 2020 – जून 2020 को छोड़कर)
चीन जन.गण. से आयात	पीस	58,23,754	65,86,632	86,61,780	58,09,954	77,46,605

	सूचीबद्ध	100	113	149	100	133
अन्य देशों से आयात	पीस	51,31,568	56,94,941	68,14,572	45,86,242	61,14,989
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	111	133	89	119
कुल आयात	पीस	1,09,55,322	1,22,81,573	1,54,76,352	1,03,96,196	1,38,61,594
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	112	141	95	127
कुल भारतीय उत्पाद	पीस	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	102	88	53	71
कुल मांग	सूचीबद्ध	***	***	***	***	***
निम्न के संबंध में चीन जन.गण. से आयात						
उत्पादन	%	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	रेंज	90-100	100-110	160-170	180-190	180-190
खपत	%	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	रेंज	30-40	30-40	40-50	40-50	40-50

120. यह देखा गया है कि:

- (i) चीन जन.गण. से आयातों में पीओआई के दौरान थोड़ी गिरावट को छोड़कर क्षति जांच अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।
- (ii) भारत में चीन जन.गण. से संबद्ध वस्तु के आयातों में भारत में उत्पादन की दृष्टि से वृद्धि हुई है।
- (ii) चीन जन.गण. से संबद्ध वस्तु के आयातों में भारत में खपत की दृष्टि से वृद्धि हुई है।

ग. चीन जन. गण. से कुल आयातों में पाटित आयातों का हिस्सा

विवरण	यूनिट	जांच की अवधि (वार्षिक) (अप्रैल 2020 - जून 2020 को छोड़कर)
चीन जन. गण. से कुल आयात	पीस	77,46,605
चीन जन. गण. से पाटित आयात	पीस	***
चीन जन. गण. से गैर-पाटित आयात	पीस	***
कुल भारतीय उत्पादन	पीस	***
कुल मांग	पीस	***
के संबंध में पाटित आयात:		***
चीन जन. गण. से कुल आयात	%	***
	रेंज	50-60%
कुल भारतीय उत्पादन	%	***
	रेंज	95-105%
कुल खपत	%	***
	रेंज	20-30%

121. यह देखा जा सकता है कि:

क. जांच की अवधि के दौरान चीन जन. गण. से भारत में आने वाले अधिकतर आयात पाटित आयात हैं।

ख. भारतीय उत्पादन के संबंध में और कुल भारतीय खपत के संबंध में चीन जन. गण. से पाटित आयात भी पर्याप्त हैं।

ज.3.2 घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

122. नियमावली के अनुबंध II (ii) के अनुसार, प्राधिकारी के लिए कीमत कटौती, कीमत ह्रास और कीमत न्यूनीकरण, यदि कोई हो, के अनुसार घरेलू कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करना अपेक्षित है।

क. कीमत कटौती

123. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में प्राधिकारी के लिए यह विचार करना अपेक्षित है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा भारी कीमत कटौती की गई है या क्या ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों में काफी अधिक कटौती करना है या ऐसी कीमत वृद्धि को रोकना है जो अन्यथा काफी अधिक बढ़ गई होती। इस संबंध में चीन जन. गण. उत्पाद के पहुंच मूल्य और घरेलू उद्योग की औसत बिक्री कीमत के बीच तुलना की गई है।

विवरण	इकाई	2017-18	2018-19	2019-20	पीओआई (अप्रैल 2020 – जून 2020 को छोड़कर)
चीन जन.गण. से पहुंच मूल्य	रु./पीस	73	69	66	70
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	94	91	96
घरेलू बिक्री कीमत	रु./पीस	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	92	100	97
कीमत कटौती	रु./पीस	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-100	-107	-47	-93
कीमत कटौती	%	***	***	***	***
रेंज	सूचीबद्ध	नगण्य	नगण्य	नगण्य	नगण्य

124. यह देखा जाता है कि चीन जन. गण. से आयातों के कारण कीमत कटौती नकारात्मक है, लेकिन प्राधिकारी का यह भी मत है कि उचित जांच के लिए कीमत कटौती की जांच कीमत ह्रास और कीमत न्यूनीकरण के साथ की जानी चाहिए और यह कि कीमत कटौती की जांच उस स्थिति में अलग से नहीं की जानी चाहिए, जहां घरेलू उद्योग को आयातों के पहुंच मूल्य के साथ मेल खाने के लिए अपनी कीमतों को कम करने के लिए लगातार मजबूर किया गया हो। यदि घरेलू उद्योग अपनी कीमतों को कम करके आयातों की प्रतिक्रिया नहीं करता है, तो इससे और अधिक ग्राहक खो जाएंगे तथा क्षति अधिक गंभीर होगी।

ख. कीमत ह्रास/न्यूनीकरण

125. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयात घरेलू कीमतों का न्यूनीकरण कर रहे हैं या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों में भारी ह्रास करना है और ऐसी कीमत वृद्धि को रोकना है जो अन्यथा सामान्य प्रक्रिया में बढ़ गई होती, प्राधिकारी ने लागत और कीमतों और पहुंच मूल्य में परिवर्तनों पर विचार किया है।

विवरण	इकाई	2017-18	2018-19	2019-20	पीओआई (अप्रैल 2020 – जून 2020 को छोड़कर)
बिक्री की लागत (कारखाना-द्वार)	रु./पीस	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	96	107	117
बिक्री कीमत	रु./पीस	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	92	100	97
चीन जन.गण. से आयातों की पहुंच कीमत	रु./पीस	73	69	66	70
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	94	91	96

126. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग बिक्री लागत में वृद्धि के बावजूद अपनी बिक्री कीमतों में वृद्धि नहीं कर पाया है। यद्यपि, क्षति जांच अवधि के दौरान बिक्री लागत में वृद्धि हुई है, तथापि घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत इसी अवधि के दौरान घटी है। पीओआई के दौरान चीन जन.गण. से आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम रही है।

ज.3.3 घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंडों पर प्रभाव

127. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II में यह अपेक्षित है कि क्षति के निर्धारण में ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों को पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव की वस्तुनिष्ठ जांच शामिल होगी। ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में पाटनरोधी नियमावली में यह भी प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में समस्त संगत आर्थिक कारकों और तत्वों जिनका घरेलू उद्योग की हालत पर प्रभाव पड़ता हो, जिसमें बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट; वे कारक जो घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा पर प्रभाव डालते हों; नकदी प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, विकास, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव का वस्तुपरक और निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होना चाहिए। तदनुसार, घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति मापदंडों पर नीचे चर्चा की गई है।

क. क्षमता, उत्पादन, बिक्री और क्षमता उपयोग

128. उत्पादन, घरेलू बिक्री, क्षमता और क्षमता उपयोग के संबंध में घरेलू उद्योग का कार्य-निष्पादन निम्नानुसार है:

विवरण	इकाई	2017-18	2018-19	2019-20	पीओआई (अप्रैल 2020 – जून 2020 को छोड़कर)	पीओआई (वार्षिकीकृत) (अप्रैल 2020– जून 2020 को छोड़कर)
क्षमता	पीस	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	109	109	74	99
उत्पादन – पीयूसी	पीस	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	113	75	65	87
क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	104	69	66	88
घरेलू बिक्रियां	पीस	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	120	104	70	94

129. यह देखा जा सकता है कि घरेलू उद्योग का उत्पादन और क्षमता उपयोग 2019-20 तक घटा है परंतु तत्पश्चात पीओआई (वार्षिकीकृत) के दौरान उसमें वृद्धि हुई है। 2018-19 में घरेलू बिक्री में वृद्धि हुई और तत्पश्चात, क्षति अवधि के दौरान उनमें निरंतर गिरावट आई है।

ख. लाभप्रदता

130. घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तु की बिक्री से घरेलू उद्योग द्वारा अर्जित लाभ निम्नानुसार है:

विवरण	इकाई	2017-18	2018-19	2019-20	पीओआई (अप्रैल 2020 – जून 2020 को छोड़कर)	पीओआई (वार्षिकीकृत) (अप्रैल 2020 – जून 2020 को छोड़कर)
बिक्रियों की लागत (कारखाना-द्वारा)	रु./पीस	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	96	107	117	117
बिक्री कीमत	रु./पीस	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	92	100	97	97
लाभ/(हानि) प्रति इकाई	रु./पीस	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	(100)	(125)	(163)	(271)	(271)
लाभ/(हानि) – कुल	लाख रु.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	(100)	(205)	(195)	(158)	(211)

131. यह देखा जा सकता है कि घरेलू उद्योग बिक्री लागत में वृद्धि होने के बावजूद अपनी बिक्री कीमत में वृद्धि करने में असमर्थ रहा है। घरेलू उद्योग को क्षति जांच अवधि के दौरान भारी घाटा हुआ है।

ग. नकद लाभ

132. घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन की नगद लाभ के संबंध में निम्नानुसार जांच की गई है:

विवरण	इकाई	2017-18	2018-19	2019-20	पीओआई (अप्रैल 2020 – जून 2020 को छोड़कर)	पीओआई (वार्षिकीकृत) (अप्रैल 2020 – जून 2020 को छोड़कर)
नकद लाभ	लाख रु.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	(100)	(131)	(102)	(68)	(91)
नकद लाभ	रु./पीस	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	(100)	(109)	(113)	(106)	(106)

133. यह देखा जा सकता है कि घरेलू उद्योग को क्षति जांच अवधि के दौरान नकद घाटे उठाने पड़े हैं।

घ. निवेश पर आय

134. याचिकाकर्ता की नियोजित पूंजी पर आय निम्नानुसार है:

विवरण	इकाई	2017-18	2018-19	2019-20	पीओआई (अप्रैल 2020 – जून 2020 को छोड़कर)	पीओआई (वार्षिकीकृत) (अप्रैल 2020 – जून 2020 को छोड़कर)
पीवीआईटी	लाख रु.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	(100)	(182)	(171)	(124)	(166)
पीवीआईटी	रु./पीस	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	(100)	(114)	(143)	(245)	(245)
आरओसीई	%	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	(100)	(182)	(201)	(163)	(163)

135. यह देखा जा सकता है कि घरेलू उद्योग को क्षति जांच अवधि के दौरान नियोजित पूंजी पर ऋणात्मक आय हुई है।

ड. मालसूची

136. घरेलू उद्योग की मालसूची की निम्नानुसार जांच की गई है:

विवरण	इकाई	2017-18	2018-19	2019-20	पीओआई (अप्रैल 2020 – जून 2020 को छोड़कर)	पीओआई (वार्षिकीकृत) (अप्रैल 2020 – जून 2020 को छोड़कर)
औसत मालसूची	पीस	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	97	82	76	76

137. यह देखा जा सकता है कि घरेलू उद्योग की औसत मालसूची में गिरावट आई है।

च. उत्पादकता

138. कर्मचारियों की संख्या तथा प्रति कर्मचारी उत्पादकता निम्नानुसार है:

विवरण	इकाई	2017-18	2018-19	2019-20	पीओआई (अप्रैल 2020 – जून 2020 को छोड़कर)	पीओआई (वार्षिकीकृत) (अप्रैल 2020 – जून 2020 को छोड़कर)
कर्मचारी	संख्या	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	103	89	98	98
उत्पादन/कर्मचारी	पीस	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	110	84	67	67
उत्पादन/दिन	पीस	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	113	75	65	65

139. यह देखा जा सकता है कि कर्मचारियों की संख्या कमोबेश स्थिर रही है परंतु क्षति जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की उत्पादकता में गिरावट आई है।

छ. वृद्धि

140. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के वृद्धि मापदंडों से संबंधित सूचना निम्नानुसार है:

क्र.सं.	विवरण	2018-19	2019-20	पीओआई (वार्षिकीकृत) (अप्रैल 2020 - जून 2020 को छोड़कर)
1	उत्पादन	13%	(34)%	16%
2	घरेलू विक्रियां	20%	(13)%	(10)%
3	लाभ/(हानि) - लाख रु.	(82)%	6%	3%
4	नकद लाभ- लाख रु.	(31)%	22%	11%
5	आरओआई %	(3.93)%	(0.93)%	1.81%

141. यह देखा जा सकता है कि घरेलू उद्योग ने मात्रात्मक मापदंडों में ऋणात्मक वृद्धि का सामना किया है। जहां तक कीमत मापदंडों का संबंध है, घरेलू उद्योग ने क्षति जांच अवधि के दौरान ऋणात्मक उत्पादकता, ऋणात्मक नकद लाभ और ऋणात्मक आरओआई का सामना किया है।

ज. नए निवेश जुटाने की क्षमता

142. आवेदक ने अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग की लाभप्रदता पूर्व में पाटित आयातों के द्वारा बुरी तरह प्रभावित हुई है और अन्य उत्पादकों द्वारा देश में किए जा रहे भारी निवेश पर विचार करते हुए पाटित आयातों के विरुद्ध संरक्षण आवश्यक है।

झ. क्षति मार्जिन की मात्रा

143. प्राधिकारी ने यथा-संशोधित अनुबंध-III के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए एनआईपी निर्धारित की है। विचाराधीन उत्पाद की एनआईपी घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त उत्पादन लागत से संबंधित सूचना/आंकड़ों तथा जांच अवधि के लिए कार्यरत लेखाकार द्वारा विधिवत् रूप से प्रमाणित करके निर्धारित की गई है। एनआईपी की तुलना क्षति मार्जिन की गणना हेतु संबद्ध देश से पहुंच कीमत के साथ की गई है।

144. क्षतिरहित कीमत के निर्धारण हेतु क्षति अवधि में कच्ची सामग्री और सुविधाओं के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। क्षति अवधि के दौरान उत्पाद क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। उत्पादन लागत से असाधारण या अनावर्ती व्ययों को बाहर रखा गया है। औसत नियोजित पूंजी (अर्थात् औसत निवल स्थिर परिसंपत्ति जमा औसत कार्यशील पूंजी पर विचाराधीन उत्पाद के लिए 22 प्रतिशत की दर से तर्कसंगत आय और नियमावली के अनुबंध-III में यथा-विहित क्षतिरहित कीमत ज्ञात करने के लिए कर-पूर्व लाभ की अनुमति दी गई है और उसका पालन किया गया है।

145. ऊपर यथा-निर्धारित पहुंच कीमत और एनआईपी के आधार पर प्राधिकारी द्वारा यथा-निर्धारित उत्पादकों/निर्यातकों के लिए क्षति मार्जिन नीचे तालिका में दिया गया है:

क्षति मार्जिन तालिका

क्र.सं.	उत्पादक/निर्यातक	एनआईपी (रु./पीस)	पहुंच मूल्य (रु./पीस)	क्षति मार्जिन (रु./पीस)	क्षति मार्जिन %	रेंज
1.	क. कोनेंट ऑप्टिक्स (जियांगसु) कंपनी लिमिटेड ख. शंघाई कानेंट ऑप्टिक्स कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	नगण्य
2.	झेजियांग वेइक्सिंग ऑप्टिकल कं. लिमि.	***	***	***	***	नगण्य
3.	कार्ल जेइसस विजन (चीन) लिमिटेड	***	***	***	***	नगण्य
4.	डाइजियोन डाइमयुंग ऑप्टिकल (हांगझोऊ) कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	नगण्य
5.	अन्य सभी	***	***	***	***	20-30

झ. क्षति संबंधी निष्कर्ष

146. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की अवधि में मामूली गिरावट के साथ क्षति जांच की अवधि के दौरान चीन जन. गण. से आयातों की मात्रा में पूर्ण रूप से वृद्धि हुई है। क्षति जांच की अवधि के दौरान देश में उत्पादन और खपत के संबंध में आयातों की मात्रा में भी निरंतर वृद्धि हुई है। जांच की अवधि के दौरान चीन जन. गण. से आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम है। घरेलू उद्योग बिक्री की लागत में वृद्धि के बावजूद अपनी बिक्री कीमत में वृद्धि नहीं कर पाया है। संबद्ध आयातों द्वारा लगाए गए कीमत दबाव ने घरेलू उद्योग की लाभप्रदता, नियोजित पूंजी पर आय और अन्य आर्थिक मानकों को प्रभावित किया है जो वास्तविक क्षति को दर्शाता है। क्षति जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को भारी वित्तीय हानियां हो रही हैं और क्षति जांच की अवधि के दौरान इसकी हानियों में भी वृद्धि हुई है। अतः प्राधिकारी का यह निष्कर्ष है कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है।

झ. कारणात्मक संबंध और गैर-आरोपण विश्लेषण

147. ए डी नियमावली के अनुसार, प्राधिकारी द्वारा, अन्य बातों के साथ-साथ, पाटित आयातों के अलावा किन्हीं अन्य ज्ञात कारकों की जांच करना जरूरी है जो घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे हैं या क्षति पहुंचा सकते हैं, इसलिए इन अन्य कारकों के कारण हुई क्षति को पाटित आयातों के कारण हुई क्षति नहीं माना जा सकता। चूंकि, वर्तमान जांच एक पाटनरोधी जांच है, इसीलिए कारणात्मक संबंध की जांच करनी होगी। प्राधिकारी द्वारा इसकी जांच की गई है कि क्या अन्य ज्ञात सूचीबद्ध कारकों ने घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाई है या पहुंचाने की संभावना है। इसकी जांच की गई थी कि क्या एडी नियमावली के अंतर्गत सूचीबद्ध अन्य कारकों ने घरेलू उद्योग द्वारा झेली जा रही क्षति में योगदान दिया है या योगदान देने की संभावना है।
148. सूचीबद्ध ज्ञात कारकों के कारण क्षति नहीं हुई, जैसा निम्नलिखित द्वारा देखा जा सकता है:
- क. तीसरे देशों से आयात की मात्रा और कीमत
149. तीसरे देशों से आयात उच्चतर कीमतों पर हुए हैं और चीन जन.गण. से हुए आयातों से कम रहे हैं।
- ख. मांग में संकुचन
150. क्षति जांच अवधि के दौरान कोविड-19 महामारी के कारण पीओआई में थोड़ी गिरावट को छोड़कर संबद्ध वस्तु की मांग में वृद्धि हुई है।
- ग. खपत के प्रवृत्ति में परिवर्तन
151. विचाराधीन उत्पाद के संबंध में, खपत की प्रवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

घ. व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं

152. कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं नहीं हैं।

ड. प्रौद्योगिकी का विकास

153. संबंधित उत्पाद के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

च. निर्यात निष्पादन

154. प्राधिकारी द्वारा केवल घरेलू प्रचालनों के लिए क्षति संबंधी सूचना की जांच की गई है।

झ. क्षति संबंधी निष्कर्ष

155. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग को ऊपर सूचीबद्ध अन्य ज्ञात कारकों के कारण क्षति नहीं हुई है।

156. इस प्रकार, प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है।

ठ. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटन पश्चात विवरण अनुरोध

अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रकटन पश्चात विवरण अनुरोध

157. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रकटन विवरण पश्चात अनुरोध निम्नलिखित हैं:

- (i) सी वर्ल्ड ऑप्टिकल कं, लिमिटेड की वर्ष 2020 की वार्षिक रिपोर्ट डेनयांग आईएलटी ऑप्टिक्स कं, लिमिटेड को संबद्ध पक्षकार के रूप में नहीं दर्शाती है। सी वर्ल्ड ऑप्टिकल कं, लिमिटेड की वर्ष 2017 की वार्षिक रिपोर्ट डेनयांग आईएलटी ऑप्टिक्स कं, लिमिटेड को एक संबद्ध पक्षकार के रूप में दर्शाती है।
- (ii) एस्सिलोर ग्रुप ने वर्ष 2018 में डेनयांग आईएलटी से अपना निवेश और शेयरधारिता वापस ले ली थी, जिससे डेनयांग आईएलटी के साथ उसका संबंध समाप्त हो गया। यह दावा सार्वजनिक पटल पर उपलब्ध सूचना द्वारा समर्थित है, जो प्रश्नावली उत्तरों के डेस्क सत्यापन के दौरान भी दिया गया था।
- (iii) एस्सिलोर ग्रुप के पास डेनयांग आईएलटी की वार्षिक रिपोर्ट तक पहुंच नहीं है क्योंकि यह एक असंबद्ध पक्षकार है।
- (iv) शंघाई एस्सिलोर ऑप्टिकल कं, लिमिटेड ने वर्ष 2018 से पहले डेनयांग आईएलटी को ऋण दिया था, जब डेनयांग आईएलटी एक संबद्ध पक्षकार थी, और तब से कोई नया ऋण नहीं दिया गया है। कार्यशील पूंजी ऋण अन्य असंबद्ध पक्षकारों को भी दिए गए हैं।
- (v) शंघाई एस्सिलोर ऑप्टिकल कं, लिमिटेड ने डेनयांग आईएलटी से संबद्ध सामान खरीदे थे और फिर एस्सिलोर अमेरा पीटीई लिमिटेड ("अमेरा") को सकल मार्क-अप/लाभ पर पुनः बेचे थे। इसके बाद, अमेरा ने भारत को संबद्ध सामान को सकल मार्क-अप/लाभ पर बेचा था। इसका अर्थ यह है कि शंघाई एस्सिलोर ऑप्टिकल कं, लिमिटेड ने अमेरा को संबद्ध सामानों को उस कीमत से अधिक कीमतों पर बेचा था जिस पर उसने डेनयांग आईएलटी से वही सामान खरीदे थे। अमेरा ने उसी संबद्ध सामान को भारत को और भी अधिक कीमतों पर फिर से बेचा था।
- (vi) शंघाई एस्सिलोर ऑप्टिकल कं, लिमिटेड और अमेरा को संयुक्त रूप से डेनयांग आईएलटी द्वारा उत्पादित संबद्ध सामानों के निर्यात पर कोई हानियां नहीं हुई हैं। इस संबंध में विस्तृत स्पष्टीकरण डेस्क सत्यापन प्रतिक्रिया में दिया गया था।
- (vii) संबद्ध सामानों पर व्यय के आवंटन से पूर्वोक्त पुनः बिक्री पर शंघाई एस्सिलोर ऑप्टिकल कं, लिमिटेड द्वारा हानियों का आभास होता है, लेकिन अगर इसकी समग्र रूप से जांच की जाती है, तो शंघाई एस्सिलोर ऑप्टिकल कं, लिमिटेड हानि में चलने वाला उद्यम नहीं है।
- (viii) शंघाई एस्सिलोर ऑप्टिकल कं, लिमिटेड ने भी अपने संबद्ध पक्षकारों अर्थात् सी वर्ल्ड ऑप्टिकल कं, लिमिटेड और केमिलेन्स (जियाक्विंग) कं, लिमिटेड से संबद्ध सामान खरीदे थे और उन्हें घरेलू बाजार में बेचा था। प्राधिकारी की यह टिप्पणी कि डेनयांग आईएलटी शंघाई एस्सिलोर ऑप्टिकल कं, लिमिटेड को संबद्ध सामानों का एकमात्र आपूर्तिकर्ता है, तथ्यात्मक रूप से गलत है।

- (ix) चीन जन. गण. से निर्यात जहां डेनयांग आईएलटी उत्पादक है, चीन जन. गण. से संबद्ध सामानों की एस्सिलोर ग्रुप की खरीद का कम प्रतिशत है।
- (x) डेनयांग आईएलटी को व्यापार नोटिस संख्या 09/2018 दिनांक 10 मई, 2018 द्वारा परिभाषित 'संबद्ध' शब्द की परिभाषा के तहत एस्सिलोर ग्रुप से संबद्ध नहीं माना जा सकता है। दो पक्षकारों के बीच 'संबंध' की आकस्मिक तरीके से जांच नहीं की जा सकती है और यह संबद्ध की परिभाषा के चार कोनों के भीतर उपयुक्त होनी चाहिए।
- (xi) माननीय उच्चतम न्यायालय में कॉमर. ऑफ कस (आयात), मुंबई बनाम बायर कॉर्प साइंस लिमिटेड, 2015 (324) ईएलटी 17 (एससी) ने माना है कि केवल एकमात्र डिस्ट्रीब्यूटरशिप दो पक्षकारों को संबद्ध मानने के लिए निर्णायक विचार नहीं है।
- (xii) जियांगसू वानक्सिन अर्ध-परिष्कृत ऑप्टिकल लेंस और परिष्कृत ऑप्टिकल लेंस का विनिर्माण करती है। जियांगसू वानक्सिन ऑप्टिकल कं, लिमिटेड ने जांच की अवधि के दौरान भारत को संबद्ध सामानों का निर्यात नहीं किया था। जियांगसू वानक्सिन ने जांच की अवधि के दौरान भारत को केवल परिष्कृत ऑप्टिकल लेंस का ही निर्यात किया था, जो गैर-विचाराधीन उत्पाद है।
- (xiii) जियांगसू क्रेस्की परिष्कृत ऑप्टिकल लेंस और अर्ध-परिष्कृत ऑप्टिकल लेंस दोनों का विनिर्माण करती है। जियांगसू क्रेस्की ऑप्टिकल कं, लिमिटेड ने जांच की अवधि के दौरान भारत को संबद्ध सामानों का निर्यात नहीं किया था।
- (xiv) संबद्ध पक्षकारों, जिन्होंने जांच की अवधि के दौरान भारत को संबद्ध सामानों का निर्यात नहीं किया था, को दिनांक 29 जुलाई, 2021 की व्यापार सूचना संख्या 6/2021 के अनुसार निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर दायर करने की आवश्यकता नहीं है।
- (xv) प्रकटन विवरण में प्राधिकारी की टिप्पणी यह है कि एस्सिलोर ग्रुप ने जियांगसू वानक्सिन, जियांगसू गवर्नर और जियांगसू क्रेस्की के नामों का प्रदर्शक-6 में संबद्ध पक्षकार के रूप में उल्लेख नहीं किया है, गलत है। व्यापार सूचना संख्या 6/2021 दिनांक 29 जुलाई, 2021 के पैरा 8(i) के अनुसार, गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों के मामले में, विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन में लगे केवल उन संबद्ध उत्पादकों, जिनके उत्पाद भारत को निर्यात किए गए हैं, को भाग I, II और III में सूचना देनी होती है। प्रश्न 6 निर्यातक प्रश्नावली प्रारूप के भाग-I के खंड क के अंतर्गत आता है। एस्सिलोर ग्रुप ने उन संबद्ध उत्पादकों के संबंध में प्रश्न 6 का उत्तर दिया है जिनके सामान जांच की अवधि के दौरान भारत को निर्यात किये गये थे। साथ ही, चूंकि तीनों कंपनियों में से किसी ने भी भारत को संबद्ध सामानों का निर्यात नहीं किया है, अतः इससे वर्तमान जांच और एस्सिलोर ग्रुप का सहयोग किसी भी तरह से प्रभावित नहीं हुआ है।
- (xvi) धारा क प्रश्न 7 के लिए एस्सिलोर ग्रुप का उत्तर व्यापार नोटिस संख्या 6/2021 दिनांक 29 जुलाई, 2021 के अनुरूप है। प्रश्न 7 के लिए किसी उत्पादक/ निर्यातक को ऐसे 'करारों' की रिकॉर्ड प्रतियां रखने की आवश्यकता होती है जिनमें कोई वित्तीय अथवा संविदात्मक संपर्क और किसी अन्य कंपनी के साथ संयुक्त उद्यम किया गया हो। एस्सिलोर ग्रुप ने निर्यातक प्रश्नावली के उत्तरों में सही उत्तर दिया है कि प्रश्न में वर्णित किसी अन्य कंपनी के साथ ऐसा कोई संविदात्मक अथवा वित्तीय संपर्क नहीं है।
- (xvii) वर्ष 2018 से, डेनयांग आईएलटी एस्सिलोर ग्रुप से संबद्ध पक्षकार नहीं है। एस्सिलोर ग्रुप ने डेनयांग आईएलटी को उसके असंबद्ध होने के समय से कोई नया ऋण नहीं दिया है।
- (xviii) एस्सिलोर ग्रुप प्राधिकारी से विनम्रतापूर्वक समूह के लिए अलग पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन निर्धारित करने का अनुरोध करता है। एस्सिलोर ग्रुप ने प्रकटन विवरण में प्राधिकारी द्वारा उठाई गई सभी चिंताओं और मुद्दों का उत्तर दिया है।
- (xix) प्राधिकारी ने पाया है कि सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों अर्थात् (i) डेजॉन डेम्युंग ऑप्टिकल (हांगजो) कं, लिमिटेड (ii) कॉनैट ऑप्टिक्स (जियांगसू) कं, लिमिटेड और शंघाई कॉनैट ऑप्टिक्स कं, लिमिटेड (iii) झेजियांग वेक्सिंग ऑप्टिकल कं, लिमिटेड और (iv) कार्ल जीस विजन (चीन) लिमिटेड के लिए वास्तविक निर्यात कीमत और पहुंच मूल्य की सूचना पर विचार किया गया है। प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे अपने अंतिम जांच परिणामों में उनकी पुष्टि करें।

- (xx) प्राधिकारी ने संबद्ध जांच में सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए नकारात्मक पाटन मार्जिन नोट किया है। प्राधिकारी ने संबद्ध जांच में सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए नकारात्मक क्षति मार्जिन भी नोट किया है। प्राधिकारी से अनुरोध है कि अपने अंतिम जांच परिणाम में इसकी पुष्टि करें।
- (xxi) जीकेबी ऑप्टिमिक्स लिमिटेड पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अनुसार पात्र घरेलू उद्योग है। प्राधिकारी ने ठीक ही निर्धारित किया है कि पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के स्पष्टीकरण के अनुसार जीकेबी ऑप्टिमिक्स लिमिटेड जीकेबी विजन प्राइवेट लिमिटेड से संबद्ध नहीं है। बाधित उत्पादन की अवधि के दौरान उपभोक्ता मांग को पूरा करने के लिए जीकेबी विजन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संबद्ध सामानों का आयात घरेलू उद्योग के रूप में आवेदक के आधार का पूर्वाग्रह नहीं हो सकता है।
- (xxii) पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के तहत दिए गए स्पष्टीकरण के मद्देनजर जीकेबी ऑप्टिमिक्स लिमिटेड और एस्सिलोर ग्रुप के बीच संबंध, यदि कोई हो, का पता लगाने की आवश्यकता है। घरेलू उत्पादक और निर्यातक/आयातक को संबद्ध पक्षकार मानने के लिए नियम 2(ख) के स्पष्टीकरण के तहत निर्धारित तीन शर्तों में से कोई भी जीकेबी ऑप्टिमिक्स लिमिटेड और एस्सिलोर ग्रुप के मामले में संतुष्ट नहीं है। एस्सिलोर ग्रुप प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से जीकेबी ऑप्टिमिक्स लिमिटेड या इसके विपरीत को नियंत्रित नहीं करता है। उन दोनों को भी किसी तीसरी कंपनी द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता है।
- (xxiii) जीकेबी ऑप्टिमिक्स लिमिटेड और एस्सिलोर ग्रुप मिलकर पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के स्पष्टीकरण के खंड (ग) के अनुसार जीकेबी विजन प्रा. लिमिटेड को नियंत्रित नहीं करते हैं। प्राधिकारी ने सही नोट किया है कि एस्सिलोर ग्रुप के पास जीकेबी विजन प्राइवेट लिमिटेड में अधिकतर शेयर हैं। अतः, एस्सिलोर ग्रुप का जीकेबी विजन प्राइवेट लिमिटेड पर प्रचालनात्मक और कानूनी नियंत्रण है।
- (xxiv) भले ही जीकेबी ऑप्टिमिक्स लिमिटेड और एस्सिलोर ग्रुप ने मिलकर जीकेबी विजन प्राइवेट को लिमिटेड नियंत्रित किया हो, फिर भी प्राधिकारी के लिए यह जांचना अभी भी संगत है कि क्या जीकेबी ऑप्टिमिक्स लिमिटेड का व्यवहार इस तरह के संबंध से इस हद तक प्रभावित है कि यह जीकेबी ऑप्टिमिक्स लिमिटेड को असंबद्ध उत्पादकों की तुलना में जीकेबी विजन प्राइवेट लिमिटेड के साथ अलग व्यवहार करने का कारण बन रहा है। यह दृष्टिकोण पूर्व की पाटनरोधी जांचों अर्थात्, चीन जन. गण. और इंडोनेशिया के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "बैबू फाइबर को छोड़कर विस्कोस स्टेपल फाइबर" से संबंधित पाटनरोधी जांच और "चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 30 सेमी से अधिक चौड़ाई के पीपी/एचडीपीई फैब्रिक की बुनाई के लिए छह अथवा उससे अधिक शटल वाली सर्कुलर वीविंग मशीनों" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच, में इस प्राधिकारी की टिप्पणियों के अनुरूप है।
- (xxv) जीकेबी ऑप्टिमिक्स लिमिटेड (i) मुख्य रूप से संबद्ध सामानों का एक घरेलू उत्पादक है (ii) उसने अपना ध्यान संबद्ध सामानों के आयात या एस्सिलोर ग्रुप से संबद्ध सामानों के आयात पर केंद्रित नहीं किया है (iii) विशेष रूप से एस्सिलोर ग्रुप द्वारा निर्यात किए गए उत्पाद किस्मों को अलग करने की मांग नहीं कर रहा है। (iv) भारतीय बाजार के लिए एस्सिलोर ग्रुप लि. के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा है और (v) एस्सिलोर ग्रुप के कड़े विरोध के बावजूद आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की मांग कर रहा है, यह सिद्ध करता है कि जीकेबी ऑप्टिमिक्स लिमिटेड का व्यवहार एस्सिलोर ग्रुप के साथ तथाकथित संबंधों से प्रभावित नहीं है।
- (xxvi) प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को संबद्ध जांच में मौखिक सुनवाई के बाद संशोधित सूचना प्रस्तुत करने की अनुमति दी है। यह दर्शाता है कि संबद्ध जांच की शुरुआत पूरी तरह से दस्तावेजयुक्त और प्रमाणित याचिका पर आधारित नहीं थी। इस प्रकार, जांच की शुरुआत, शुरू से ही कानून में खराब थी और इसे बनाए नहीं रखा जा सकता था।
- (xxvii) प्राधिकारी के पास पाटनरोधी नियमावली के किसी प्रावधान के तहत घरेलू उद्योग को मौखिक सुनवाई के चरण के बाद संशोधित याचिका दायर करने की अनुमति देने का अधिकार नहीं है। यह पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(1) और नियम 5(3) का उल्लंघन है।

- (xxviii) संशोधित याचिका दायर करने का अवसर मिलने के बाद भी, आवेदक दिनांक 29 जुलाई, 2021 के 2021 की व्यापार सूचना संख्या 5 द्वारा निर्धारित प्रपत्र और तरीके से उपयुक्त आवेदन दायर करने में विफल रहा है।
- (xxix) प्राधिकारी ने प्रकटन विवरण के स्तर पर विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र को संशोधित किया है।
- (xxx) प्राधिकारी ने 1.60 से अधिक अपवर्तक सूची के संबद्ध सामानों को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखा है। आवेदक अपने इस दावे को प्रमाणित करने के लिए कोई सकारात्मक साक्ष्य प्रदान करने में विफल रहा है कि उसके पास ऐसे लेंसों का विनिर्माण करने की क्षमता है। किसी भी प्रकार के विचाराधीन उत्पाद, जिसका घरेलू उद्योग निर्माण नहीं करता है और घरेलू बाजार में आपूर्ति नहीं करता है, को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखा जाना चाहिए। तथापि, विचाराधीन उत्पाद को अभी भी किसी तकनीकी अभिलक्षणों अथवा विशेषताओं की पहचान किए बिना और निर्धारित किए बिना बहुत ही सरल तरीके से परिभाषित किया गया है। विचाराधीन उत्पाद की परिभाषा यह नहीं बताती है कि "अर्ध-परिष्कृत" लेंस क्या होते हैं।
- (xxxi) विचाराधीन उत्पाद और गैर-विचाराधीन उत्पाद की पहचान करने के लिए आंकड़ों को अलग करने की पद्धति प्राधिकारी द्वारा घोषित नहीं की गई है। प्राधिकारी ने इसके सत्यापन की अनुमति देने के लिए लेनदेन-वार आयात आंकड़े भी उपलब्ध नहीं कराए हैं।
- (xxxii) आवेदक संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के एक प्रमुख आयातक से संबद्ध है और उसके पास पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) तथा उसके तहत स्पष्टीकरण के अनुसार संबद्ध जांच शुरू करने वाली याचिका दायर करने का अधिकार नहीं है। मैसर्स जीकेबी विजन प्राइवेट लिमिटेड और एस्सिलोर ग्रुप आम निदेशक और सामान्य नियंत्रण के माध्यम से आवेदक से संबद्ध हैं। वे क्षति जांच अवधि और जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देश से बड़ी मात्रा में संबद्ध सामान का आयात कर रहे हैं। जीकेबी ऑप्टिकल्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक श्री कृष्ण गोपाल गुप्ता जीकेबी विजन प्राइवेट लिमिटेड में निदेशक भी हैं।
- (xxxiii) मैसर्स जीकेबी विजन प्राइवेट लिमिटेड ने जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देश से कोविड-19 लॉकडाउन द्वारा मजबूर व्यावसायिक आवश्यकता के परिणामस्वरूप संबद्ध देश से संबद्ध सामानों का आयात किया है। पाटनरोधी नियमावली निर्दिष्ट प्राधिकारी को पाटित वस्तुओं के ज्ञात आयातकों के साथ स्वीकृत संबंधों के बावजूद घरेलू उद्योग के रूप में माने जाने के लिए आवेदक को छूट प्रदान करने का अधिकार नहीं देती है।
- (xxxiv) आवेदक 100% निर्यातोन्मुखी यूनिट ("ईओयू") है। विदेश व्यापार नीति (2015-2020) के पैरा 6.08 में यह अधिदेशित है कि ईओयू यूनिटों के पूरे उत्पादन का निर्यात किया जाएगा। घरेलू टैरिफ क्षेत्र ('डीटीए') को बिक्री की अनुमति केवल तभी दी जाती है जब इसे विकास आयुक्त द्वारा अधिकृत किया जाता है जो डीटीए बिक्री की अनुमति की सीमा निर्धारित करता है और मूल्य के संदर्भ में प्राधिकार जारी करता है।
- (xxxv) चूंकि आवेदक 100% ईओयू है, अतः क्षेत्राधिकारी विकास आयुक्त द्वारा प्रमाणित इसकी "घरेलू बिक्री पात्रता" के संबंध में मात्रा और कीमत क्षति विश्लेषण किए जाने की आवश्यकता है। इसके न होने पर, प्राधिकारी द्वारा संबद्ध जांच में किया गया क्षति विश्लेषण त्रुटिपूर्ण है।
- (xxxvi) पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II के पैरा (v) के अनुसार, पाटित आयातों के अलावा अन्य कारकों के कारण हुई क्षति को पाटित आयातों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए। यह मालूम है कि अप्रैल, 2020 से जून, 2020 तक की लॉकडाउन अवधि के दौरान भारत में सभी गैर-जरूरी आर्थिक गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। इस अवधि के दौरान घरेलू उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव को पाटित आयातों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।
- (xxxvii) प्राधिकारी ने चीन जन. गण. के सभी चार सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए नकारात्मक क्षति मार्जिन निर्धारित किया है। संबद्ध देश से अधिकतर आयात संबद्ध जांच में सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा माने जाते हैं।
- (xxxviii) नए संयंत्रों की स्थापना और इसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए मौजूदा संयंत्रों के आधुनिकीकरण में भारी निवेश के कारण आवेदक को वित्तीय बोझ उठाना पड़ा। प्राधिकारी ने उस क्षति की जांच नहीं की है जो उसके कारण हुई हो।

- (xxxix) आवेदक ने व्यापार नोटिस संख्या 10/2018 दिनांक 7 सितंबर, 2018 के उल्लंघन में अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है। प्राधिकारी ने वर्तमान मामले के तथ्यों पर विचार किए बिना आवेदक द्वारा दावा की गई अत्यधिक गोपनीयता से संबंधित यांत्रिक टिप्पणियों की हैं। यह स्टेरिल इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी का उल्लंघन है।
- (xi) प्रयोक्ता उद्योग ने आवेदक द्वारा विनिर्मित उत्पादों के लिए गंभीर गुणवत्ता संबंधी चिंताओं को उठाया है। अंतिम उपभोक्ताओं के लिए यह गुणवत्ता अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह कीमत अंतर के लिए प्रमुख मानदंड है।
- (xlii) प्राधिकारी ने गलत तरीके से डीडीएमओ को बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार प्रदान नहीं करने का निर्णय लिया है। पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8(3) के परंतुक के अनुसार, इस बात के पर्याप्त साक्ष्य हैं कि डीडीएमओ के लिए बाजार की स्थिति प्रचलित है जैसा कि उसकी एमईटी प्रश्नावली के उत्तर में विस्तृत स्पष्टीकरण और प्रदर्शों से समर्थित है। डीडीएमओ पूरी तरह से एक कोरियाई उद्यम के नियंत्रण और निर्देशों के तहत कार्य करता है। अतः डीडीएमओ भी मेट का दर्जा पाने का हकदार है।
- (xliii) संबद्ध देश से आयातों में वृद्धि के लिए काफी मांग आपूर्ति अंतराल को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। आवेदक की संस्थापित क्षमता भारत में विचाराधीन उत्पाद की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है।
- (xliv) शुल्क लगाए जाने से अंतिम प्रयोक्ताओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इससे चश्मे के ग्लासों की खपत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा जो दृष्टि सुधार के लिए एक आवश्यक वस्तु है।
- (xlv) आवेदक के पास औसत मालसूची गिरावट की प्रवृत्ति दर्शाती है जो घरेलू उद्योग के अच्छे आर्थिक स्वास्थ्य का सूचक है।
- (xlii) कोविड-19 महामारी के प्रतिकूल प्रभाव के बावजूद, घरेलू उद्योग के रोजगार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा। वेतन और मजदूरी में भी समग्र रूप से सकारात्मक प्रवृत्ति देखी गई। प्रति दिन उत्पादकता आधार वर्ष की तरह ही जांच की अवधि में लगभग समान रही है।
- (xlii) वर्ष 2019-20 की तुलना में जांच की अवधि में भारत में आयात में गिरावट आई है। आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में आयातों में वृद्धि अथवा क्षति जांच अवधि के दौरान आयातों में समग्र वृद्धि संबद्ध सामानों की मांग में वृद्धि के अनुरूप है। 4 वर्षों की अवधि के दौरान आयातों में इस वृद्धि को भारत में संबद्ध सामानों के आयातों में काफी वृद्धि नहीं कहा जा सकता है।

घरेलू उद्योग द्वारा प्रकटन पश्चात विवरण संबंधी अनुरोध

158. घरेलू उद्योग किए गए प्रकटन पश्चात विवरण संबंधी अनुरोध संक्षिप्त रूप में नीचे दिए गए हैं:

- प्राधिकारी को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से 1.60 से अधिक रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वाले अर्ध-निर्मित ओप्टिकल लेंस को बाहर करने के लिए अपने प्रस्ताव पर विचार करना चाहिए।
- यह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध किया गया है कि 1.498 और 1.74 के सभी रिफ्रेक्टिव इंडेक्सेस का उत्पादन रासायनिक रूप से किया जा सकता है और उसे विभिन्न सामग्रियों में से जैसे ब्लास, सीआर 39, ट्राइवेक्स, 1.53, 1.56 ब्लू कट, पोलिकारबोनेट, 1.60, 1.67 आदि से बनाया जा सकता है। सभी लेंसेस अंतिम ग्राहक को बेहतर दृष्टि के लिए चश्मे में पावर प्रदान करने के अंतिम उद्देश्य को पूरा करते हैं। लेंस की सामग्री प्रतिस्थापनीय है लेकिन पावर प्रतिस्थापनीय नहीं है।
- घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन किए गए अर्ध-निर्मित ओप्टिकल लेंस ऊपर में उल्लिखित सीमा तक प्रतिस्थापनीय हैं, जिससे अलग-अलग पावर के लेंस बनाए जा सकते हैं। घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित 1.50 और 1.56 का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स प्रयोक्ता के दृष्टि पर प्रभाव डाले बिना अन्य रिफ्रेक्टिव इंडेक्स द्वारा प्रतिस्थापनीय है। सभी रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के लिए मूल कार्टिंग प्रक्रिया एक जैसी रहती है और किसी विशिष्ट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के आधार पर केलव मोनोमर्स और एडिटिव्स में परिवर्तन होता है।
- घरेलू उद्योग के पास 1.60, 1.67 और 1.74 के रिफ्रेक्टिव इंडेक्सेस के साथ विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन करने के लिए पर्याप्त अवसंरचनात्मक और तकनीकी ज्ञान है। घरेलू उद्योग के पास उपर्युक्त रिफ्रेक्टिव इंडेक्सेस वाले लेंस का उत्पादन करने के लिए सक्षम समग्र कारखाना ढांचा है। घरेलू उद्योग के पास 1.60 से अधिक रिफ्रेक्टिव इंडेक्सेस वाले लेंस का निर्माण करने के लिए भी अपेक्षित क्षमताएं हैं।

- v. चीन जन.गण. से निरंतर पाटन के कारण, घरेलू उद्योग छूट दी गई कीमत पर 1.56 तक के रिफ्रेक्टिव इंडेक्सेस वाले ओप्टिकल लेंस की बिक्री करने के लिए बाध्य है, जो उत्पादन की लागत से कमतर है। 1.56 से अधिक रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वाले लेंस के उत्पादन को चीन जन.गण. से पाटित वस्तुओं के कारण घरेलू उद्योग द्वारा उठाई गई हानि के कारण आरंभ नहीं किया जा सकता है। घरेलू उद्योग जन.गण. से संबद्ध वस्तुओं के पाटन के विरुद्ध उपचार उपलब्ध कराए जाने के साथ ही 1.56 से अधिक रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वाले लेंस का उत्पादन करने में सक्षम होंगे।
- vi. घरेलू उद्योग वर्तमान में लेंस के वर्तमान क्षेत्र में प्रविष्टचरण के उत्पादों का निर्माण कर रहा है और बचे हुए उत्पादों, जो विचाराधीन उत्पाद के भाग नहीं होते हैं, को शामिल करने के लिए विस्तार करने के वास्ते इच्छुक है, बशर्ते इसको अनुचित व्यापार कार्यपद्धतियों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए व्यापार उपचारों के रूप में सहायता प्राप्त हो।
- vii. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के लिए पीसीएन-वार क्षति रहित कीमत की गणना सही तरीके से नहीं की है। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना पर विचार किए बिना एकपक्षीय रूप से क्षति रहित कीमत का निर्धारण किया है। क्षति रहित कीमत की गणना के लिए आधार प्रस्तुत नहीं करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है।
- viii. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 16 का उल्लंघन करते हुए घरेलू उद्योग को आवश्यक सूचना उपलब्ध कराए बिना अपने प्रकटन विवरण में अपने निष्कर्ष निकाले हैं और पीसीएन-वार क्षति रहित कीमत को अंतिम रूप दिया।
- ix. अपने अंतिम जांच परिणाम जारी करने के पूर्व, प्राधिकारी को घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किए गए पीसीएन-वार क्षति रहित कीमत की गणना और प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पीसीएन-वार एनआईपी की गणना के बीच अंतर के लिए कारणों को समझते हुए विस्तृत कार्य-चालन साझा करना चाहिए और घरेलू उद्योग को उसके संबंध में अपनी तर्कसंगत टिप्पणियां उपलब्ध कराने के लिए अवसर देना चाहिए।

प्राधिकारी द्वारा जांच

159. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के प्रकटन पश्चात विवरण संबंधी अनुरोधों की जांच की है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि अधिकांश अनुरोध दोहराए गए हैं, जिनका पहले ही इन अंतिम जांच परिणामों के संगत पैराओं में उपयुक्त रूप से जांच की जा चुकी है और समुचित रूप से उसका समाधान किया जा चुका है। घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटन पश्चात विवरण संबंधी अनुरोधों में पहली बार उठाए गए मुद्दों की जांच प्राधिकारी द्वारा संगत मानी गई सीमा तक की गई है।
160. इस दावे के संबंध में कि 1.60 से अधिक वाले रिफ्रेक्टिव इंडेक्स को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में शामिल किया जाना चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने 1.67, 1.70 और 1.74 के रिफ्रेक्टिव इंडेक्सेस वाले अर्ध-निर्मित ओप्टिकल लेंस का उत्पादन नहीं किया है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पाद किए गए 1.56 के रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के अर्ध-निर्मित ओप्टिकल लेंस तकनीकी रूप से और वाणिज्यिक रूप से 1.67, 1.70 और 1.74 के रिफ्रेक्टिव इंडेक्सेस वाले अर्ध-निर्मित ओप्टिकल लेंस का प्रतिस्थानापन नहीं हो सकता है। वे 1.56 रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वाले लेंस की तुलना में बहुत अधिक हद तक महंगे हैं और उनका अर्ध-निर्मित ओप्टिकल लेंसेस के कुल आयातों में कुल हिस्सा है। प्राधिकारी ने उन आयातित उत्पादों, जो घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन किए गए उत्पाद के तकनीकी रूप से और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय नहीं हैं, को बाहर किए जाने की अपनी निरंतर कार्य-पद्धति का अनुसरण किया है।
161. इस दावा के संबंध में कि प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के लिए पीसीएन-वार क्षतिरहित कीमत की गणना सही तरीके से नहीं की है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इसने पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-III में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार और इसकी निरंतर कार्य-पद्धति के अनुसार क्षति-रहित कीमत का निर्धारण किया है।
162. इस दावा के संबंध में कि प्राधिकारी को घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किए गए पीसीएन-वार एनआईपी और प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किए गए पीसीएन-वार क्षतिरहित कीमत की गणना के बीच अंतर के लिए कारणों को समझते हुए विस्तृत कार्य-चालन साझा करना चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इसने प्राधिकारी द्वारा अनुसरण की जा रही निरंतर कार्य-पद्धति के अनुसार घरेलू उद्योग को एनआईपी कार्य-चालन को प्रकट किया है।

163. प्राधिकारी के एसिलर ग्रुप के लिए अलग-अलग पाटन मार्जिन का निर्धारण नहीं करने के निर्णय के संबंध में एसिलर ग्रुप द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इसने एसिलर ग्रुप के लिए “सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण” के संबंध में सेक्शन जी में अपनी जांच में इन अंतिम जांच परिणामों में विस्तृत स्पष्टीकरण दिया है। एसिलर ग्रुप द्वारा उठाए गए विशिष्ट मुद्दों के उत्तर में प्राधिकारी की जांच को अतिरिक्त रूप से नीचे नोट किया गया है:
- क. एसिलर ग्रुप के अनुरोध के संबंध में कि सी वर्ल्ड ऑप्टिकल कंपनी लिमिटेड की 2020 की वार्षिक रिपोर्ट एक संबंधित पक्षकार के रूप में डान्यांग आईएलटी ऑप्टिक्स कंपनी लिमिटेड को नहीं दर्शाता है, प्राधिकारी ने इस अनुरोध को नोट किया है और एसिलर ग्रुप के लिए पाटन मार्जिन के निर्धारण से संबंधित इसकी जांच में सी वर्ल्ड ऑप्टिकल कंपनी लिमिटेड की 2020 की वार्षिक रिपोर्ट पर विश्वास नहीं किया है।
- ख. एसिलर ग्रुप के इस अनुरोध के संबंध में कि डान्यांग शुओशी ऑप्टिकल ग्लासेस कंपनी लिमिटेड के पक्ष में दिनांक 14 नवंबर, 2018 को डान्यांग आईएलटी में एसिलर ग्रुप द्वारा शेयरहोल्डिंग की बिक्री के कारण, डान्यांग आईएलटी के साथ एसिलर ग्रुप का कोई संबंध नहीं है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि नेशनल एंटरप्राइज क्रेडिट इन्फोरमेशन पब्लिसिटी सिस्टम द्वारा प्रकाशित क्रेडिट रिपोर्ट भी यह नोट करती है कि डान्यांग शुओशी ऑप्टिकल ग्लासेस कंपनी लिमिटेड को 14 नवंबर, 2018 को बेचा गया शेयर डान्यांग शुओशी ऑप्टिकल ग्लासेस कंपनी लिमिटेड द्वारा 16 नवंबर, 2018 को शंघाई एसिलर ऑप्टिकल कंपनी लिमिटेड (एसिलर ग्रुप की कंपनी) को वापस गिरवी रखा गया था। डान्यांग शुओशी ऑप्टिकल ग्लासेस कंपनी लिमिटेड द्वारा शंघाई एसिलर ऑप्टिकल कंपनी लिमिटेड को डान्यांग आईएलटी ऑप्टिक्स कं. लिमिटेड के शेयरों को गिरवी रखने से संबंधित यह महत्वपूर्ण सूचना प्राधिकारी को एसिलर ग्रुप द्वारा उनके प्रश्नावली के उत्तर में, प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए दो दोषपूर्ण पत्रों के उत्तर में और प्रकटन विवरण के संबंध में टिप्पणियों में प्रकट नहीं किया गया है। वास्तव में, नेशनल एंटरप्राइज क्रेडिट इन्फोरमेशन पब्लिसिटी सिस्टम द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट, जिसे एसिलर ग्रुप द्वारा प्रस्तुत किया गया था क्योंकि प्रकटन विवरण के संबंध में इसकी टिप्पणियों का एक्जिबिट 2 संबंधित पृष्ठों का विलोपन करता है, जिसमें विशिष्ट रूप से डान्यांग शुओशी ऑप्टिकल ग्लासेस कंपनी लिमिटेड द्वारा 16 नवंबर, 2018 को एसिलर ग्रुप को डान्यांग आईएलटी ऑप्टिक्स कंपनी लिमिटेड के शेयरों को गिरवी रखने के संबंध में सूचना विशेष रूप से निहित है। इस कारण से एसिलर ग्रुप ने प्रकटन विवरण के जारी किए जाने के बाद भी पक्षपातपूर्ण और अपूर्ण सूचना उपलब्ध कराकर इस जांच में बाधा पहुंचाना जारी रखा है।
- ग. शेयरों को गिरवी रखने के संबंध में प्राधिकरण द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण के जवाब में, एस्सिलोर समूह ने इक्विटी प्रतिज्ञा समझौता प्रदान करके और समझौते के नियमों और शर्तों को समझाकर जवाब दिया है। इस संबंध में, प्राधिकरण नोट करता है कि डैनयांग शुओशी ऑप्टिकल ग्लासेस कं. लिमिटेड द्वारा एस्सिलोर समूह को डैनयांग आईएलटी ऑप्टिक्स कं. लिमिटेड के शेयरों को गिरवी रखने से संबंधित जानकारी का खुलासा प्राधिकरण द्वारा 27 सितंबर 2022 तक प्राधिकरण को नहीं किया गया था। एस्सिलोर ग्रुप। उपलब्ध तथ्यों के अनुसार, डैनयांग आईएलटी ऑप्टिक्स कंपनी लिमिटेड में एस्सिलोर इंटरनेशनल द्वारा शेयरों के हस्तांतरण से डैनयांग आईएलटी ऑप्टिक्स कंपनी लिमिटेड में एस्सिलोर ग्रुप का नियंत्रण समाप्त नहीं हुआ है, जैसा कि एस्सिलोर ग्रुप ने दावा किया है क्योंकि शंघाई एस्सिलोर ऑप्टिकल कंपनी लिमिटेड। अभी भी डैनयांग आईएलटी ऑप्टिक्स कंपनी लिमिटेड को परोक्ष रूप से नियंत्रित करता है।
- घ. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(8) में यह प्रावधान है कि उस स्थिति में जहां एक हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना तक पहुंच देने तक इंकार करता है अथवा अन्य प्रकार से उपलब्ध नहीं कराता है या इस जांच में बहुत हद तक बाधा पहुंचाना है, निर्दिष्ट प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणामों को रिकॉर्ड कर सकता है और इस प्रकार की सिफारिशें केन्द्र सरकार को कर सकता है, जिसे यह इन परिस्थितियों में उपयुक्त मानता हो। एसिलर ग्रुप द्वारा आवश्यक सूचना की पूर्ण, सही और समय पर प्रकटन नहीं किए जाने की स्थिति में, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि एसिलर ग्रुप ने उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना तक पहुंच देने से इंकार किया है अथवा उपलब्ध नहीं कराया है और जांच में बहुत अधिक हद तक बाधा पहुंचाई है। तदनुसार, एसिलर ग्रुप द्वारा दिनांक 14 नवंबर, 2018 को डान्यांग शुओशी ऑप्टिकल ग्लासेस कंपनी लिमिटेड को शेयरों की बिक्री के संबंध में सूचना को इस तथ्य का निर्धारण करने के लिए पूर्ण और निर्णायक सूचना के रूप में नहीं माना जा सकता है कि डान्यांग आईएलटी ऑप्टिक्स कंपनी लिमिटेड और एसिलर ग्रुप असंबंधित कंपनियां हैं।

- ड. इस दावे के संबंध में कि डान्यांग आईएलटी ऑप्टिक्स कंपनी लिमिटेड को दिनांक 10 मई, 2018 की व्यापार सूचना सं. 09/2018 के संदर्भ में परिभाषित “संबंधित” पारिभाषिक शब्द की परिभाषा के अन्तर्गत एसिलर ग्रुप से संबंधित होने के रूप में नहीं माना जा सकता है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि एसिलर ग्रुप द्वारा पूर्ण, सही और समय पर आवश्यक सूचना का प्रकटन नहीं किया गया है और प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(8) के आधार पर डान्यांग आईएलटी ऑप्टिक्स कंपनी लिमिटेड और एसिलर ग्रुप के बीच संबंध का निर्धारण करने की कार्यवाही की है।
- च. एसिलर ग्रुप के इस दावे के संबंध में कि उन्होंने दिनांक 29 जुलाई, 2021 की व्यापार सूचना 06/2021 में निर्धारित अपेक्षा से यह समझा था कि केवल उन उत्पादकों के नाम जो भारत को संबद्ध वस्तुओं के निर्यात में शामिल हैं, प्रकट किए जाने चाहिए, पर विश्वास नहीं किया जा सकता है क्योंकि एसिलर ग्रुप ने विशेष रूप से एसिलर ग्रुप के अन्य संबंधित कंपनियों के नाम देते समय एकिजबिट ए-6 में तीन कंपनियों अर्थात् जियांग्सु वांक्सिन ऑप्टिकल कंपनी लिमिटेड, जियांग्सु क्रेक्सी ऑप्टिकल्स कंपनी लिमिटेड और जियांग्सु गवर्नर ड्रेगर ऑप्टिकल कंपनी लिमिटेड के नामों का विलोपन किया है। इसके साथ ही, दिनांक 29 जुलाई, 2021 की व्यापार सूचना 06/2021 में पाटनरोधी जांच में उत्पादकों/निर्यातकों के लिए प्रश्नावली के प्रपत्र आवेदन में प्रावधान है और क्रम से यह अनुरोध भी निहित है जो भाग लेने वाले उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा बाजार अर्थव्यवस्था का दावा नहीं किए जाने पर चीन जन.गण. के मामले में उत्पादकों/निर्यातकों की संबंधित कंपनियों द्वारा प्रश्नावली प्रपत्र को प्रस्तुत करने का प्रावधान करता है। यह इस संदर्भ में है कि दिनांक 29 जुलाई, 2021 की व्यापार सूचना 06/2021 में यह प्रावधान है कि जहां भाग लेने वाले उत्पादकों/निर्यातकों ने बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार का दावा नहीं किया है, विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन में शामिल केवल वे संबंधित उत्पादक, जिनका उत्पाद भारत को निर्यात किया गया है, से अपेक्षित है कि वे भाग I, II और III में सूचना उपलब्ध कराएं। यह प्रश्नावली के उत्तर में भाग लेने वाले उत्पादक/निर्यातक के संबंधित कंपनियों के नाम और अस्तित्व के प्रकटन के बारे में अपेक्षाओं को शासित नहीं करता है। प्राधिकारी द्वारा किए जा रहे अन्य सभी पाटनरोधी जांचों में, हितबद्ध पक्षकार इस तथ्य पर विचार किए बिना कि क्या संबंधित कंपनी ने भारत को संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है अथवा नहीं, खंड क के भाग 1 के पृष्ठ 6 के उत्तर में सभी संबंधित कंपनियों का ब्यौरा उपलब्ध करा रहा है।
- छ. इस दावे के संबंध में कि एसिलर ग्रुप का खंड क पृष्ठ 7 का उत्तर सही है और वह दिनांक 29 जुलाई, 2021 की व्यापार सूचना 06/2021 के अनुरूप है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि खंड क प्रश्न 7 और दिनांक 29 जुलाई, 2021 की व्यापार सूचना 06/2021 के बीच कोई संबंध नहीं है। इसके साथ ही, खंड क प्रश्न 7 में सूचना तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है क्योंकि कार्यशील पूंजी ऋण शंघाई एसिलर ऑप्टिकल कंपनी लिमिटेड द्वारा डान्यांग आईएलटी ऑप्टिक्स कंपनी लिमिटेड को दिया गया था जो जांच की अवधि के दौरान बकाया रहा।
- ज. एस्सीलर ग्रुप के इस दावे के संबंध में कि उन्होंने दिनांक 29 जुलाई, 2021 के व्यापार नोटिस 06/2021 में निर्धारित अपेक्षा से समझा था कि जो उत्पादक संबद्ध सामानों के निर्यात में लगे हैं, केवल उन्हीं के नामों को प्रकटन किया जाना चाहिए, पर विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि एस्सीलर ग्रुप के अन्य संबंधित कंपनियों के नाम देते समय एस्सीलर ग्रुप ने केवल 3 कंपनियों अर्थात् जियांगशु वानजिन ऑप्टिकल कं. लिमिटेड, जियांगशु क्रेक्सी ऑप्टिकल कं. लि. और जियांगशु गवर्नर ड्रेगर ऑप्टिकल्स कं. लि. के नाम प्रदर्श ए-6 में छोड़े हैं। वास्तव में दिनांक 29 जुलाई, 2021 की व्यापार सूचना सं. 06/2021 में चीन जन.गण., जिन्होंने बाजार अर्थव्यवस्था के स्तर का दावा नहीं किया है, के मामले में उत्पादकों/निर्यातकों की केवल इन संबद्ध कंपनियों द्वारा प्रश्नावली के उत्तर दायर किए जाने का प्रावधान है। तथापि, यह व्यापार सूचना प्रश्नावली के उत्तर में प्रतिभागी उत्पादक/निर्यातक की संबद्ध कंपनियों के नामों के प्रकटन के संबंध में अपेक्षाएं शासित नहीं करती। प्राधिकारी द्वारा की जा रही अन्य सभी पाटनरोधी जांचों में हितबद्ध पक्षकार इस तथ्य पर ध्यान दिए बिना कि क्या संबद्ध कंपनी ने भारत को संबद्ध सामानों का निर्यात किया है अथवा नहीं, खंड-क के भाग 1 के प्रश्न सं. 6 के उत्तर में सभी संबद्ध कंपनियों के ब्यौरे दे रहे हैं।
- झ. इस अनुरोध के संबंध में कि शंघाई एसिलर ऑप्टिकल कंपनी लिमिटेड ने डान्यांग आईएलटी ऑप्टिक्स कंपनी लिमिटेड से संबद्ध वस्तुओं की खरीद की थी और फिर उसे ग्रास मार्क-अप/लाभ पर एसिलर अमेरा प्राइवेट लिमिटेड को बेचा गया था, प्राधिकारी नोट करते हैं कि एसिलर ग्रुप के इस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि वे इन कंपनियों द्वारा किए गए एसजीए खर्च पर विचार किए बिना सकल लाभ को देख रहे थे। यह प्राधिकारी की सतत कार्य-पद्धति है कि वे इन कंपनियों द्वारा किए गए एसजीए खर्च को ध्यान में रखने के बाद निवल लाभ पर विचार करें। प्राधिकारी आगे यह नोट करते हैं कि एसिलर अमेरा प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत

किए गए लाभप्रदता विवरण में, इसने कुछ अन्य आय जो विचाराधीन उत्पाद से संबंधित नहीं थे, का दावा विचाराधीन उत्पाद की लाभप्रदता को कृत्रिम रूप से बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने के लिए किया था और इसकी अनुमति प्राधिकारी द्वारा नहीं दी गई है। साथ ही, एसजीए खर्च का आबंटन एसिलर अमेरा प्राइवेट लिमिटेड की लाभप्रदता का निर्धारण करते समय प्राधिकारी की निरंतर कार्य-पद्धति के अनुसार बिक्री कारोबार के आधार पर किया गया है। प्राधिकारी दोहराते हैं कि जांच की अवधि के दौरान, शंघाई एसिलर ऑप्टिकल लिमिटेड ने डान्यांग आईएलटी ऑप्टिक्स कंपनी लिमिटेड से भारत को निर्यात किए गए संबद्ध वस्तुओं का *** प्रतिशत खरीद की है और उसे अपने संबंधित कंपनी अर्थात् एसिलर अमेरा प्राइवेट लिमिटेड को घाटे पर बेचा है। उन्हीं वस्तुओं को फिर एसिलर अमेरा प्राइवेट लिमिटेड द्वारा भारत को लाभ पर फिर से बेचा गया था/पुनः निर्यात किया गया था। शंघाई एसिलर ऑप्टिकल कंपनी लिमिटेड और एसिलर अमेरा प्राइवेट लिमिटेड ने एक साथ भारत को संबद्ध वस्तुओं का निर्यात घाटे पर किया है।

ज. इस अनुरोध के संबंध में कि शंघाई एसिलर ऑप्टिकल कंपनी लिमिटेड ने सी वर्ल्ड ऑप्टिकल कंपनी लिमिटेड और केमाइलेंस (जियाक्सिंग) कंपनी लिमिटेड से वस्तुओं की खरीद की है और उसे घरेलू बाजार में बेचा है और इस कारण से डान्यांग आईएलटी ऑप्टिक्स कंपनी लिमिटेड शंघाई एसिलर ऑप्टिकल कंपनी लिमिटेड का एकमात्र आपूर्तिकर्ता नहीं है, प्राधिकारी निम्नलिखित नोट करते हैं:

- i. एसिलर ग्रुप ने स्वयं यह नोट किया है कि सी वर्ल्ड ऑप्टिकल कंपनी लिमिटेड और केमाइलेंस (जियाक्सिंग) कंपनी लिमिटेड से खरीदी गई वस्तु की बिक्री घरेलू बाजार में की जाती है जबकि प्राधिकारी ने यह टिप्पणी की है कि डान्यांग आईएलटी ऑप्टिकल कंपनी लिमिटेड ने भारत और तीसरे देशों को शंघाई एसिलर ऑप्टिकल कंपनी लिमिटेड द्वारा निर्यात की गई संबद्ध वस्तुओं के लिए शंघाई एसिलर ऑप्टिकल कंपनी लिमिटेड का एकमात्र आपूर्तिकर्ता है।
- ii. यह तथ्य भी कि शंघाई एसिलर ऑप्टिकल कंपनी लिमिटेड ने सी वर्ल्ड ऑप्टिकल कंपनी लिमिटेड और केमाइलेंस (जियाक्सिंग) कंपनी लिमिटेड से वस्तुओं की खरीद की है और उसे घरेलू बाजार में बेची है, रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों के अनुसार सही नहीं है क्योंकि शंघाई एसिलर ऑप्टिकल लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रश्नावली के उत्तर में, उन्होंने इस प्रश्नावली के परिशिष्ट 1 और परिशिष्ट 4 क में संबद्ध वस्तुओं की किसी घरेलू बिक्री को रिपोर्ट नहीं किया है।

164. इस अनुरोध के संबंध में कि जांच की शुरुआत किए जाने के पूर्व घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन में खामियां थी, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग एक एमएसएमई यूनिट है और यह पूर्ण रूप से इस प्रक्रिया और याचिका की आंकड़े संबंधी आवश्यकताओं से परिचित नहीं था। सभी हितबद्ध पक्षकारों को घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई संशोधित याचिका का उत्तर देने के लिए अवसर दिया गया था। प्राधिकारी ने संशोधित याचिका की जांच की है और प्राधिकारी नोट करते हैं कि संशोधित याचिका में दी गई सूचना में इन कमियों को दूर किया है।
165. इस दावे के संबंध में कि आवेदक 100 प्रतिशत ईओयू है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इसने घरेलू उद्योग के आधार के निर्धारण के लिए घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री पर ही विचार किया है। प्राधिकारी ने अपने क्षति विश्लेषण के लिए घरेलू उद्योग के केवल घरेलू कार्य-निष्पादन पर भी विचार किया है।
166. इस अनुरोध के संबंध में कि अप्रैल 2020 से जून 2020 की लॉकडाउन अवधि के कारण हुई क्षति के लिए पाटित आयातों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि अप्रैल 2020 से जून 2020 की अवधि को पहले ही क्षति विश्लेषण के लिए जांच की अवधि से बाहर रखा गया है। इस कारण से, अन्य ज्ञात कारक के कारण हुए प्रतिकूल प्रभाव के लिए चीन जन.गण. से पाटित आयातों को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है।
167. इस अनुरोध के संबंध में कि संबद्ध देश से अधिकांश आयात संबद्ध जांच में सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों से हुआ है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत में संबद्ध वस्तुओं का अधिकांश आयात अन्य असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों से है। असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों से आयात कुल भारतीय उत्पाद और कुल भारतीय खपत की तुलना में अधिक है।
168. इस अनुरोध के संबंध में कि आयातों में वृद्धि मांग-आपूर्ति में अंतर के कारण हुई है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि मांग-आपूर्ति में अंतर का मौजूद रहना भारत में पाटित और क्षतिकारक कीमतों पर वस्तुओं के आयातों को न्यायोचित नहीं ठहरा सकता है।

169. इस दावे के संबंध में कि जीकेबी ऑप्टिमिक्स लिमिटेड जीकेबी विजन प्राइवेट लिमिटेड से संबंधित है। लिमिटेड और एस्सिलोर ग्रुप, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी नियमावली के नियम 2 (बी) के तहत, प्राधिकारी के पास घरेलू उत्पादक को पात्र घरेलू उद्योग के रूप में मानने का विवेकाधिकार है, भले ही घरेलू उत्पादक कथित पाटित वस्तु के आयातक से संबंधित हो। प्राधिकरण का मानना है कि जीकेबी विजन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अप्रैल से जून 2020 की लॉकडाउन अवधि के दौरान असाधारण परिस्थितियों में किए गए संबद्ध वस्तुओं के आयात से एडी नियमों के नियम 2 (बी) के अनुसार घरेलू उद्योग का गठन करने के लिए जीकेबी ऑप्टिमिक्स लिमिटेड का अधिकार नहीं होगा। साथ ही, एस्सिलोर ग्रुप, जीकेबी ऑप्टिमिक्स लिमिटेड से संबंधित नहीं है क्योंकि यह जीकेबी विजन प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जीकेबी ऑप्टिमिक्स लिमिटेड को नियंत्रित नहीं कर रहा है।

ड. भारतीय उद्योग के हित और जनहित

170. प्राधिकारी नोट करते हैं कि व्यापार उपचारात्मक जांचों के परिणामस्वरूप पाटनरोधी शुल्क अथवा किसी अन्य शुल्क को लगाया जाना घरेलू उद्योग जिसे भारत के प्रक्षेत्र में प्रवेश करने के लिए अनुचित आयातों के परिणाम के रूप में क्षति उठाता रहा है, के लिए समान अवसर स्थापित करना है। पाटनरोधी नियामवली, 1995 यह सुनिश्चित करती है कि लगाए गए शुल्क की राशि वहीं तक सीमित है, जो घरेलू उद्योग को क्षति का निवारण करने के लिए आवश्यक है। कमतर शुल्क नियम का प्रयोग यह सुनिश्चित करता है कि घरेलू उद्योग को कोई अनुचित लाभ प्राप्त नहीं हो।
171. प्राधिकारी ने इस तथ्य पर विचार किया कि क्या पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने का आम जनता के हित पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार के प्रभाव का निर्धारण करने के उद्देश्य से, प्राधिकारी ने भारतीय बाजार में इन वस्तुओं की उपलब्धता पर शुल्कों के लगाए जाने के प्रभाव, इस उत्पाद के प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग पर इसके प्रभाव और व्यापक रूप से आम जनता पर इसके प्रभाव का आकलन किया।
172. यह नोट किया जाता है कि जांच की शुरुआत किए जाने के बाद, सभी हितवद्ध पक्षकारों से, जिसमें आयातक, प्रयोक्ता और उपभोक्ता शामिल हैं, विचार आमंत्रित किए गए थे। प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के संबंध में संगत सूचना उपलब्ध कराने के लिए प्रयोक्ताओं/प्रयोक्ता संघ के लिए प्रश्नावली भी जारी की, जिसमें उनके प्रचालनों पर पाटनरोधी शुल्क का कोई संभावित प्रभाव शामिल था। यह देखा गया है कि किसी भी प्रयोक्ता/प्रयोक्ता संघ ने कोई अनुरोध नहीं किया है अथवा साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया है, जिसे संगत के रूप में माना जा सके।
173. प्राधिकारी ने यह भी नोट किया है कि जनहित पर पाटनरोधी शुल्क उपायों के प्रभाव का सामान्य रूप से आयातकों, प्रयोक्ताओं और उपभोक्ताओं के दृष्टिकोण से अध्ययन किया गया है।
- यह नोट किया जाता है कि संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाना भारत में संबद्ध वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों के हित में होगा। ये शुल्क आगे घरेलू उद्योग को क्षति से होने से रोकेंगे और उन्हें संबद्ध देश से निर्यातकों के विरुद्ध प्रतिस्पर्धा करने के लिए समय देंगे।
 - प्राधिकारी ने उपभोक्ता के दृष्टिकोण से पाटनरोधी शुल्क लगाने के प्रभाव का भी विश्लेषण किया है और यह टिप्पणी की है कि यह संबद्ध वस्तुओं के घरेलू उपभोक्ताओं के हित में होगा कि उनका विदेशी उत्पादकों से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम विश्वसनीय भारतीय घरेलू उत्पादक हो। यह तब संभव है जब घरेलू उत्पादक आयातों के कारण हुई क्षति से उबरने में सक्षम हों। यदि वर्तमान स्थिति को जारी रहने दिया जाता है तब भारतीय घरेलू उत्पादक विदेशी उत्पादकों को घरेलू उत्पादकों की तुलना में बड़ा हुआ लीवरेज देते हुए आगे क्षति का सामना करेंगे। इसके अलावा, यदि घरेलू उद्योग को क्षति होने दी जाती है तब यह अन्ततः समाप्त हो जाएगा और उपभोक्ता आयात की गई वस्तुओं की दया पर रह जाएंगे।
174. प्राधिकारी ने पहले ही विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र को सीमित कर दिया है और 1.60 से अधिक रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वाली संबद्ध वस्तुओं को बाहर कर दिया है क्योंकि घरेलू उद्योग उसका निर्माण नहीं कर रहा था।
175. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन जन.गण. से 5 सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों पर कोई पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश नहीं की जाती है और इस कारण से आयातक/प्रयोक्ता संबद्ध वस्तुओं का आयात पाटनरोधी शुल्क के भुगतान के बिना इन उत्पादकों/निर्यातकों से करने में सक्षम होंगे।

176. तीसरे देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयात भी हुए हैं। ये आयात भारत में पाटनरोधी शुल्क के भुगतान के बिना होते रहेंगे और तदनुसार प्रयोक्ताओं के पास संबद्ध वस्तुओं की खरीद के लिए अपेक्षाकृत अधिक विकल्प होना जारी रहेगा।
177. व्यापक तौर पर आम जनता पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के प्रभाव के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद चशमों की लागत का केवल 10-11 प्रतिशत है। यदि प्राधिकारी संबद्ध वस्तुओं पर 10-20 प्रतिशत पाटनरोधी शुल्क लगाता है तब अंतिम उत्पाद अर्थात् चशमों की कीमत केवल 1-2 प्रतिशत तक बढ़ सकती है और चशमों के अंतिम उपभोक्ता पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के कारण कीमतों में बहुत अधिक वृद्धि का सामना नहीं करेंगे।

ढ. निष्कर्ष

178. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए मुद्दों और किए गए अनुरोधों की तथा वर्तमान जांच परिणामों में रिकॉर्ड किए गए अनुसार प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध कराए गए तथ्यों की जांच करने के बाद, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि:
- आवेदक पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 2(ख) के अर्थ से एक पात्र घरेलू उद्योग है। यह आवेदन पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 5(3) के संबंध में स्थिति के मानदंड को पूरा करता है।
 - घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन किया गया उत्पाद, संबद्ध देश से आयात किए विचाराधीन उत्पाद की समान वस्तु है।
 - संबद्ध वस्तुओं के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए, 5 सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा किए गए निर्यातों को छोड़कर संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के लिए सकारात्मक और बहुत अधिक पाटन मार्जिन है।
 - चीन जन.गण. से संबद्ध वस्तुओं के कुल आयातों में जांच की अवधि के दौरान मामूली गिरावट को छोड़कर क्षति की जांच की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।
 - ची जन.गण. से भारत में संबद्ध वस्तुओं के आयातों में भारत में उत्पादन और खपत की तुलना में वृद्धि हुई है।
 - चीन जन.गण. से अधिकांश आयात पाटित आयात हैं। पाटित आयात भारतीय उत्पादन और भारतीय खपत की तुलना में बहुत अधिक हैं।
 - घरेलू बिक्री में 2018-19 में वृद्धि हुई और उसके बाद क्षति की जांच की अवधि के दौरान उसमें निरंतर रूप से गिरावट आई है।
 - आयात की कीमतें घरेलू उद्योग की कीमतों पर दबाव डाल रही हैं और वे कम हो रहे हैं। जबकि बिक्री लागत में क्षति की जांच की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है, घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में उसी अवधि के दौरान गिरावट आई है। जांच की अवधि के दौरान चीन से आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत से कम है।
 - घरेलू उद्योग बिक्री की लागत में वृद्धि के बावजूद बिक्री की कीमत में वृद्धि करने में सक्षम नहीं है। घरेलू उद्योग को क्षति की जांच की अवधि के दौरान बहुत अधिक हानि उठानी पड़ रही है।
 - नकद लाभ, ब्याज और कर पूर्व लाभ और निवेश पर प्रतिफल, क्षति की जांच की अवधि के दौरान नकारात्मक थी।
 - घरेलू उद्योग की उत्पादकता में जांच की अवधि के दौरान गिरावट आई है।
 - पूर्वोक्त को देखते हुए, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि घरेलू उद्योग उद्योग को पाटित आयातों के परिणामस्वरूप वास्तविक क्षति उठानी पड़ी है।
 - ऐसा कोई अन्य कारक नहीं है जिसके कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती थी।
 - विदेशी उत्पादकों के प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम विश्वसनीय भारतीय घरेलू उत्पादकों का होना संबद्ध वस्तुओं के घरेलू उपभोक्ताओं के हित में भी होगा। यह संभव है जब घरेलू उत्पादक आयातों के कारण हुई क्षति से उबरने में सक्षम हों।

xv. व्यापक तौर पर आम जनता पर पाटनरोधी शुल्क के लगाए जाने के प्रभाव का विश्लेषण दर्शाता है कि विचाराधीन उत्पाद एक बहुत कम मूल्य उत्पाद है और इस कारण से संबद्ध वस्तुओं के अंतिम प्रयोक्ता पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की स्थिति में कीमतों में बहुत अधिक वृद्धि का सामना नहीं करेंगे।

ण. सिफारिशें

179. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जांच की शुरुआत की गई थी और सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित किया गया था और पाटन, क्षति और उसके कारणात्मक संबंध के पहलुओं पर सकारात्मक सूचना उपलब्ध कराने के लिए घरेलू उद्योग, संबद्ध देश के दूतावास, निर्यातकों, आयातकों तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पर्याप्त अवसर दिया गया था। इस नियमावली के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के संदर्भ में पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध की जांच की शुरुआत करने और इसे पूरा करने के बाद, प्राधिकारी का यह विचार है कि पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना पाटन और परिणामी क्षति की भरपाई के लिए आवश्यक है। अतः प्राधिकारी संबद्ध देश से, संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर नीचे वर्णित ढंग और तरीके से अगले पांच वर्षों की अवधि के लिए निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करना आवश्यक समझते हैं।
180. इस नियमावली के नियम 4(घ) और नियम 17(1)(ख) में दिए गए प्रावधान के संबंध में, प्राधिकारी पाटन के मार्जिन और क्षति मार्जिन में से कमतर के बराबर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं, जिससे घरेलू उद्योग की क्षति समाप्त हो सके। तदनुसार, प्राधिकारी चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित शुल्क तालिका के कॉलम 3 में वर्णित संबद्ध वस्तु के सभी आयातों पर केन्द्र सरकार द्वारा जारी की जाने वाली अधिसूचना की तिथि से पांच (5) वर्षों के लिए नीचे शुल्क तालिका के कॉलम 7 में उल्लिखित राशि के बराबर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की जाती है।

शुल्क तालिका

क्र.सं.	शीर्ष/उप शीर्ष	वस्तुओं का विवरण	मूलता का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	शुल्क राशि	इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	9001 5000*	अर्धनिर्मित - ओपथलमिक लेंस**	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. सहित कोई देश	कानेंट आप्टिक्स (जियांग्सु) कं., लि.	शून्य	पीस	यूएस.डा.
2.	-वही-	-वही-	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. सहित कोई देश	शंघाई कानेंट आप्टिक्स कं., लिमिटेड	शून्य	पीस	यूएस.डा.
3.	-वही-	-वही-	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. सहित कोई देश	झेजियांग वेइक्सिंग आप्टिकल कं.लि.	शून्य	पीस	यूएस.डा.
4.	-वही-	-वही-	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. सहित कोई देश	कार्ल जेसिस विजन (चीन) लिमिटेड	शून्य	पीस	यूएस.डा.
5.	-वही-	-वही-	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. सहित कोई देश	डायेजिओन डायेमयुंग आप्टिकल (हांगझोऊ) कं., लि.	शून्य	पीस	यूएस.डा.
6.	-वही-	-वही-	चीन जन.गण.	चीन जन.गण.	क्र. सं.	0.15	पीस	यूएस.डा.

				सहित कोई देश	1,2,3,4 और 5 पर उल्लिखित उत्पादकों के अलावा कोई भी उत्पादक			
7.	-वही-	-वही-	चीन.गण के अलावा कोई देश	चीन जन.गण.	कोई	0.15	पीस	यूएस.डा.

* सीमा शुल्क वर्गीकरण के संसूचक है और शुल्क का निर्धारण विचाराधीन उत्पाद के विवरण के अनुसार किया जाएगा।

** विचाराधीन उत्पाद में प्लास्टिक से निर्मित अर्ध-निर्मित ओप्टिकल लेंस है। अर्ध-निर्मित ओप्टिकल लेंस ऐसे अर्ध-निर्मित ब्लैक्स होते हैं जिनकी बाहरी सतह ओप्टिकल गुणवत्ता के लेंस से बनी होती है और पिछली सतह अ-निर्मित होती है। अर्ध-निर्मित ब्लैक्स को तैयार लेंस के उत्पादन के लिए वांछित विहित पावर में सतहीकृत किया जाता है। अर्ध-निर्मित ओप्टिकल लेंस अनेक रूपों, सिंगल विजन, बाई फोकल और मल्टीफोकल (प्रोग्रेसिव) प्रकारों में आते हैं जिनके विभिन्न रिफ्रेक्टिव इंडेक्सेस, सेगमेंट स्टाइल और आकार होते हैं।

उत्पाद के निम्नलिखित प्रकारों को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा गया है:

- (i) 1.60 से अधिक रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वाले अर्ध-निर्मित ओप्टिकल लेंस।
- (ii) पोलराइज्ड लेंसेस – पोलराइज्ड लेंस में एक विशेष रसायनिक अणु होता है जिसे असंगत प्रकाश को लेंस से होकर गुजरने से विशेष रूप से रोका जाता है। केवल लाइट किरणें जो उध्वधिर रूप से आंखों की ओर आती हैं, उनसे होकर निकल सकती हैं। ये लेंस किसी सतह से निकलने वाली सभी क्षतिज प्रकाश तरंगों को ब्लॉक करती हैं। इस फिल्टरिंग के परिणामस्वरूप जो छवि आपको दिखती है वह सामान्य से थोड़ी डार्क होती है। पोलराइज्ड लेंसों से वस्तुएं साफ और स्पष्ट दिखती हैं और शब्द आसानी से देखे जा सकते हैं।
- (iii) पोलिकारबोनेट लेंस: पोलिकारबोनेट एक विशिष्ट प्रकार का प्लास्टिक होता है, जो काफी मजबूत होता है और उसका प्रयोग विभिन्न प्रयोजनों जैसे आईग्लास लेंस, कार हेडलाइट और अन्य औद्योगिक अनुप्रयोगों में होता है। पोलिकारबोनेट शीशे से 200 गुना से भी अधिक मजबूत होता है और प्रायः अन्य प्रकार के लेंसों से पतला होता है। चूंकि हल्के और पतले आईग्लास की नाक पर से फिसलने की संभावना कम होती है और प्रतिदिन पहनने के लिए अधिक आरामदायक होते हैं, इसलिए पोलिकारबोनेट लेंसों का आईग्लास लेंस के रूप में व्यापक रूप से प्रयोग होता है।
- (iv) ट्रांजिशन लेंस - ट्रांजिशन लेंस या फोटोक्रोमिक लेंस धूप में काले हो जाते हैं और कम उजाले या अंधेरे में हल्के रंग के होते हैं। ये आपकी पर्ची के चश्मे की तुलना में इन्हें पहनने के बिना सनग्लासेस के लिए आदर्श होते हैं या इन्हें बार-बार बदलना भी नहीं पड़ता है। ये इलैक्ट्रॉनिक डिवाइसों के हानिकारक चमक को भी कम कर सकते हैं, जो इन्हें उत्कृष्ट लेंस सामग्री बनाता है।
- (v) उच्च और विशेष प्रयोजन लेंस: विशेष प्रयोजन लेंस वाइड एंगल फोटोग्राफिक लेंस होते हैं जिनमें विभिन्न फोकल लेंस या फीचर होते हैं जो विषय-वस्तु का आकार बदल देते हैं और विशिष्ट रूप से कैमरा में प्रयुक्त होते हैं। इनका उद्देश्य अधिक विषय वस्तु जैसे- वाइड एंगल, सुदूर वस्तुओं की बड़ी छवि बनाना – टेलीफोटो, अलग अलग इमेज आकार के विकल्प सहित – जूम और छोटी वस्तुओं की बड़ी इमेज बनाना – मैक्रो एनलार्जिंग सहित विशेष प्रभाव डालना है।

त. आगे की प्रक्रिया

181. इन जांच परिणामों के फलस्वरूप केन्द्र सरकार के आदेश के विरुद्ध अपील सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के प्रावधानों के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष की जा सकेगी।

अनन्त स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th September, 2022

FINAL FINDINGS**Case No. (AD-OI-06/2021)****Subject: Anti-dumping investigation concerning imports of semi-finished Ophthalmic Lenses originating in or exported from China PR**

F. No.-6/6/2021-DGTR.—Having regard to the Customs Tariff Act 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the 'Act') and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules 1995 thereof, as amended from time to time (hereinafter also referred to as 'the Rules' or 'AD Rules' or 'ADD Rules').

A. BACKGROUND OF THE CASE

1. GKB Ophthalmics Limited (hereinafter also referred to as “domestic industry” or “applicant” or “petitioner” or “GKB Ophthalmics”) has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the “Authority”), seeking initiation of anti-dumping investigation on imports of semi-finished Ophthalmic Lenses (hereinafter referred as the “subject goods” or “product under consideration” or “PUC”), originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as the “subject country”), citing that dumped imports of subject goods from subject country are causing material injury to the domestic industry.
2. The Authority, on the basis of prima facie evidence submitted by the applicant, issued a public notice vide Notification No. 6/6/2021 -DGTR dated 30th September 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating the subject investigation in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the Rules to determine the existence, degree and effect of the alleged dumping of the subject goods originating in or exported from the subject country and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the alleged injury to the domestic injury.

B. PROCEDURE

3. The procedure described below has been followed with regard to the investigation:
 - i. The Authority issued a Notification dated 30.09.2021, published in the Gazette of India Extraordinary, initiating investigation concerning imports of the subject goods from China PR.
 - ii. The Authority sent a copy of the initiation notification to the Embassy of the subject country in India, known producers/exporters from China PR, known importers/users in India and the domestic industry as per the addresses made available by the applicant and requested them to make their views known in writing within 30 days of the initiation notification in accordance with Rule 6(2) of the AD Rules. The time limit to file information was extended first up to 11.01.2022 and then up to 18.01.2022.
 - iii. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters and to the Government of the subject country, through its Embassy in India in accordance with Rule 6(3) of the Rules supra. A copy of the non-confidential version of the application was also made available to the other interested parties, wherever requested, through e-mails.
 - iv. The Authority sent exporter's questionnaire to the following known producers/ exporters in China PR, whose details were made available by the applicant, to elicit relevant information in accordance with Rule 6(4) of the Rules:
 - a) Danyang Legend Optical Company Limited
 - b) Danyang Hongsun Optical Glasse
 - c) Danyang Changxing Optical Glasses Factory
 - d) Danyang H&C Optical Glasses Company Limited
 - e) Jiangsu Junshi Optics Company Limited
 - f) Danyang Henry Optical Company Limited
 - g) Shanghai Conant Optics Company Limited
 - h) Jiangsu Kmd-optical Company Limited

- i) Danyang Lens Optics Technology
- v. The following producers/exporters from China PR have filed exporter's questionnaire response:
- Daejeon Daemyung Optical (Hangzhou) Co. Ltd.
 - Conant Optics (Jiangsu) Co., Ltd.
 - Shanghai Conant Optics Co., Ltd.
 - Zhejiang Weixing Optical Co., Ltd.
 - Shanghai Weixing Optical Technology Co., Ltd.
 - Carl Zeiss Vision (China) Ltd.
 - Jiangsu Youli Optics Spectacles Ltd.
 - Chemiles Corporation
 - Jiangsu Future Vision Co., Ltd
 - Delta Lens Private Limited
 - Essilor Amera Pte. Ltd
 - Shanghai Essilor Optical Co., Ltd.
- vi. The Authority forwarded a copy of the Initiation Notification to the following known importers/users/user associations in India whose names and addresses were made available to the Authority and advised them to make their views known in writing within the time limit prescribed by the Authority in accordance with the Rule 6(4):
- Essilor Manufacturing India Private Limited
 - Essilor India Private Limited
 - GKB Rx Lens Private Limited
 - Ray Ban Sun Optics India Private Limited
 - Carl Zeiss India (Bangalore) Private Limited
 - GKB Hi-Tech Lenses Private Limited
 - Lenstech Optical Private Limited
 - Transworld Commercial Enterprises
 - GKB Vision Pvt. Ltd.
 - Lenskart Solutions Private Limited
 - Titan Company Limited
 - Vision Rx Private Limited
 - Hoya India Private Limited
 - Indian Optics Private Limited
 - Trishul Optics
 - Sun Optical Eye Case Hospital
 - Nayansukh Opticians
 - Vinod Ophthalmics Works
 - Yash Lenses
- vii. The following importers/users/consumers have filed importer's questionnaire response:
- Lenskart Solutions Private Limited
 - Carl Zeiss India (Bangalore) Pvt. Ltd.
 - R. K. Optical Services
 - India Optics Pvt. Ltd.
 - Yash Optics & Lens Pvt. Ltd.
 - Essilor India Private Limited
 - Essilor Manufacturing India Private Limited

- h) GKB Vision Pvt. Ltd
 - i) See World Optical Co., Ltd
 - j) Vision Rx Labs Private Limited
 - k) RayBan Sun Optical India Pvt. Ltd.
- viii. Foreign producers/exporters and other interested parties who have not responded to the Authority, or not supplied the information relevant to this investigation, are proposed to be treated as non-cooperating interested parties.
- ix. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to the sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority holds to accept the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to the other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.
- x. The Authority made available the non-confidential version of the submissions made by the various interested parties. A list of all the interested parties was uploaded on the DGTR website along with the request to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all the other interested parties since the public file was not accessible physically due to the ongoing COVID-19 global pandemic.
- xi. The period of investigation for the purpose of the present investigation has been considered from 1st April 2020 – 31st March 2021 (12 months) (“POI”). The injury investigation period is the period of 1st April 2017 – 31st March 2018, 1st April 2018 – 31st March 2019, 1st April 2019 – 31st March 2020 and the POI.
- xii. Additional/supplementary information was sought from the applicant and the other interested parties to the extent deemed necessary. Verification of the data provided by the domestic industry and the other interested parties was conducted to the extent considered necessary for the purpose of the investigation.
- xiii. The Non-injurious Price (NIP) is based on the cost of production and cost to make and sell the subject goods in India based on the information furnished by the domestic industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the AD Rules. NIP has been worked out so as to ascertain whether duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.
- xiv. Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) and DG-Systems to provide the transaction-wise details of imports of the subject goods for the injury period. The same has been relied upon for the computation of the volume and value of imports.
- xv. In accordance with Rule 6(6) of the Rules, the Authority provided opportunity to all interested parties to present their views orally in the oral hearing held on 21.04.2022 which was attended by the interested parties. The oral hearing was held through video conferencing in view of the special circumstances arising out of the COVID- 19 pandemic. The Authority directed the domestic industry to file revised petition in the requisite format latest by 30.04.2022. All the parties present in the oral hearing were asked to file their written submissions after receipt of NCV version of the revised petition filed by the domestic industry and thereafter make their rejoinder submissions.
- xvi. The submissions made by the interested parties during the course of this investigation, wherever found relevant, have been addressed by the Authority, in these final findings.
- xvii. Wherever an interested party has refused access to or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded these final findings on the basis of the facts available.
- xviii. In accordance with Rule 16 of the Rules, the essential facts of the investigation were disclosed to the known interested parties vide Disclosure Statement dated 9th September, 2022 and comments received thereon, considered relevant by the Authority, have been addressed in these final findings. The Authority notes that most of the post disclosure submissions made by the interested parties are mere reiteration of their earlier submissions. However, the post disclosure submissions to the extent considered relevant are being examined in these final findings.
- xix. *** in these final findings. represents information furnished by an interested party on confidential basis, and so considered by the Authority under the Rules.

- xx. The exchange rate adopted by the Authority during the POI for the subject investigations is 1 US\$= Rs. 75.22.

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

4. At the stage of initiation, the product under consideration was defined as follows:

“The product under consideration includes “semi-finished ophthalmic lenses made up of plastic and are identified as per the refractive indexes such as 1.498, 1.56, 1.60, 1.67 & 1.74 etc. These PUCs are also manufactured in different sizes having diameter 65, 70 and 75mm etc. However, different sizes would not impact the pricing of the PUC. The following types of products are however excluded from the scope of the product under consideration:

- (i) Polarized lenses
- (ii) Polycarbonate lenses
- (iii) Transition lenses
- (iv) High and special purpose lenses

Semi-finished Ophthalmic Lenses are classified under Chapter 90 of the Customs Tariff Act, 1975 under the ITC HS Code 9001.5000. The Customs classification is only indicative and is not binding on the scope of the product under consideration.”

5. During the course of the investigation, Product Control Number (PCN) methodology was proposed by few interested parties for appropriate comparison. The Authority conducted a consultation with all the interested parties through video conferencing on 02.12.2021 with regard to PCN methodology and also sought their comments on the PCN methodology.
6. The Authority issued final PCN methodology on 10.12.2021. The following PCN methodology has been finalized after due consultation with all the interested parties through video conferencing and taking into account their written submissions:

S.No	PCN Parameter	PCN Description	PCN Code	No. of Digits/Character
1.	Refractive Index (RI)	1.49 1.50 1.55 1.56 1.57 1.59 1.60 1.67 1.74	149/150/155 etc.	3
2.	Diameter	Less than or equal to 60mm More than 60mm but less than or equal to 70mm More than 70mm but less than or equal to 80mm More than 80mm	A B C D	1
3.	Aspheric/Spherical	Aspheric Spherical	A – Aspheric S – Spherical	1
4.	Type of Vision	Single Bifocal Progressive	1 = Single 2 = Bifocal 3 = Progressive	1

D.1. Submissions made by the other interested parties

7. The following submissions have been made by the other interested parties during the course of the investigation:
- i. There is no explanation or description of technical characteristics regarding each excluded category of product type in the initiation notification or in the petition filed by the domestic industry.

- ii. The Authority should include description of technical characteristics against each category of excluded product so that there is no ambiguity regarding the scope of product types excluded from the scope of the PUC.
- iii. The PUC has been defined by the Authority without identifying and laying down any technical features or characteristics. It does not explain what is “semi-finished” and to what level of manufacturing ophthalmic lenses can be considered as “Semi-Finished ophthalmic lenses”. The PCN notified by the Authority does not cover this aspect.
- iv. Both semi-finished ophthalmic lenses and finished ophthalmic lenses are classified under HS Code 9001 5000. In the absence of accurate and precise description/explanation of semi-finished ophthalmic lenses, there can be ambiguity about the product on which the anti-dumping duty would be levied.
- v. Letter filed by another domestic producer Techtran Polylenses Limited (“TPL”) provides technical description of the PUC as follows:

“Semi-finished blanks are ophthalmic lenses which have the front surface of the lens made to ophthalmic quality and the back surface unfinished. Semi-finished lenses come in many forms, single vision, bifocal, and multifocal (progressive) types with different segment styles and sizes. Semi-finished blanks are surfaced to the desired prescription powers to produce a finished lens.”
- vi. Semi-finished lens is the raw blank lens used to produce the individualized RX lens according to the patient's prescription. Thus, Authority should clearly define the meaning and scope of semi-finished ophthalmic lenses in the final findings so that there is no ambiguity at the time of importation.
- vii. The domestic industry does not produce following types of semi-finished ophthalmic lenses as per the information supplied by the domestic industry on their website:
 - a. semi-finished ophthalmic lenses of refractive index 1.6 blue cut
 - b. semi-finished ophthalmic lenses of refractive index 1.6 clear
 - c. semi-finished ophthalmic lenses of refractive index 1.67 blue cut
 - d. semi-finished ophthalmic lenses of refractive index 1.67 clear
 - e. semi-finished ophthalmic lenses of refractive index 1.74 blue cut
 - f. semi-finished ophthalmic lenses of refractive index 1.74 clear
- viii. Thus, the above-mentioned product types not manufactured by the domestic industry should be excluded from the scope of the PUC.
- ix. The petitioner has not provided segregated data to show that they produce subject goods of different PCN types.
- x. The Authority should note that the PUC is produced and sold in various refractive indexes and diameters which affect the price of the product. If sizes vary, the requirement of inputs vary and also the cost and prices. The application is silent on this aspect.
- xi. The petition does not indicate the methodology used for the segregation of the PUC and Non-PUC. Transaction wise data should be provided to the interested parties to verify the same.
- xii. The PUC with refractive index 1.59 can only be manufactured with ‘polycarbonate’ material. Polycarbonate material is excluded from the scope of the PUC. Exclusion of polycarbonate lenses from the scope of the PUC means semi-finished lenses with refractive index of 1.59 are excluded from the scope of the PUC. Petitioner has also not provided any evidence to show that the PUC with refractive index of 1.59 can be manufactured using some other raw material.
- xiii. The PCN Methodology devised by the Authority vide F. No. 6/6/2021-DGTR dated 10th December 2021 includes the subject goods with refractive index of 1.59 as one of the PCN description. If the subject goods with refractive index of 1.59 is excluded from the scope of the PUC, including the same in PCN description does not serve any purpose and is illegal. The PCN parameters devised cannot go beyond the scope of the PUC.

D.2. Submissions made by the domestic industry

8. The following submissions have been made by the domestic industry during the course of investigation:
 - i. The petitioner is a leading manufacturer of semi-finished ophthalmic lenses, which are used by the optical laboratories to produce finished lenses as per the requirements of end customers. Such lenses are made of plastic and identified as per refractive indexes such as 1.498, 1.50, 1.56, 1.60, 1.67 & 1.74 etc. and manufactured in different sizes having diameter 65, 70 and 75 mm etc.

- ii. The description of each of the products excluded from the PUC can be as follows:
- **Polarized lenses:** Polarized lenses have a special chemical molecule which are lined up specifically to block irrelevant light from passing through the lens. Only light rays that approach your eyes vertically can fit through those openings. The lenses block all the horizontal light waves bouncing off from any surface. As a result of this filtering, the image you see is a bit darker than usual. Objects look crisper and clearer with polarized lenses, and details are easier to see.
 - **Polycarbonate lenses:** Polycarbonate is a specific type of plastic which is very strong and is used for many purposes such as eyeglass lenses, car headlights, and other industrial applications. Polycarbonate is over 200 times stronger than glass and is often thinner than other types of lenses. Since lighter and thinner eyeglasses are less likely to slip off your nose and are more comfortable for everyday wear, polycarbonate lenses are widely used as eyeglass lens.
 - **Transition lenses:** Transition lenses or photochromic lenses darken in the sunlight and lighten in softer light or the dark. These are ideal for sunglasses without having to wear them over your prescription glasses or having to constantly switch between the two. These can also cut down on the harmful glare of electronic devices making it an excellent lens material.
 - **High and special purpose lenses:** Special purpose lenses are wide-angle photographic lenses with different focal lengths or features that change the size of subject matters and are typically used in cameras. They are intended to produce special effects such as including more subject matter – wide angle, making larger images of distant subjects – telephoto, optionally varying image size – zoom and making large images of small objects – macro enlarging.
- iii. The petitioner manufactures the PUC with refractive index 1.49, 1.50 and 1.56. Other PCNs under the PUC are interchangeable and substitutable with slightly different quality attributes chosen by the user.
- iv. Lenses of refractive index of 1.56 can substitute lenses of refractive indexes of 1.58 and 1.60 since the thickness of lenses with refractive index 1.56 *vis-à-vis* that of lenses with refractive indexes 1.58 and 1.60 are similar and not evident to the naked eye.
- v. Lenses with refractive indexes 1.67, 1.70 and 1.74 are not entirely substitutable with lenses with refractive index 1.56 because the difference in the thickness of lenses is evident to the naked eye. Semi-finished ophthalmic lenses of refractive indexes 1.67, 1.70 and 1.74 are significantly more expensive when compared to lens with refractive index 1.56 and occupy a low share in the total imports of semi-finished ophthalmic lenses.
- vi. Extremely high power like -16.00 or -20.00 (less than 1% world usage) can only be made with high index lenses such as 1.67 and 1.74. Rest of the semi-finished ophthalmic lenses are substitutable by different materials.
- vii. Semi-finished ophthalmic lenses produced by the petitioner is used for lenses of varied power. An exception being rare cases of extreme high power like -16.00 or -20.00 (which is less than 1% of world usage, and where high index lenses like 1.67 and 1.74 must be used), rest of the lenses in the world are substitutable by different materials.
- viii. Higher refractive index products can substitute lower refractive index products.
- ix. The petitioner is suffering injury because of incessant dumping of subject goods from China PR. Therefore, it is not feasible to manufacture lenses with refractive index higher than 1.56. The casting process for production of all refractive indexes is the same. There are changes only in the monomers and additives for production of lenses of particular refractive index.
- x. The petitioner possesses adequate infrastructural and technical capabilities to produce the PUC with refractive indexes 1.6, 1.67 and 1.74. The petitioner has an entire factory set up enabled for production of lenses with the aforementioned refractive indexes but cannot commence production due to injury caused by import of subject goods from China PR.
- xi. The petitioner is currently manufacturing the entry stage products in the current segment of lenses and is willing to expand to include the remaining products not forming part of PUC provided it gets support from the Indian Government in imposition of anti-dumping duty.
- xii. The products manufactured by DI meets all quality norms and are comparable to like products produced internationally. The DI has customers from Europe, Middle East and US and is compliant with stringent quality norms.

D.3. Examination by the Authority

9. Various interested parties have raised a number of issues with regard to the scope of the product under consideration in the present case. Interested parties have sought exclusion of certain product types from the scope of the PUC on the grounds that the domestic industry is not producing and supplying the desired product type. The arguments of interested parties have been examined after taking into account the evidence submitted on record by the interested parties.
10. With regard to the exclusion of semi-finished ophthalmic lenses with refractive index higher than 1.56, the domestic industry has submitted that it is manufacturing semi-finished ophthalmic lenses of refractive index 1.49, 1.50 and 1.56. Additionally, the domestic industry has submitted that semi-finished ophthalmic lenses of refractive index of 1.56 can technically and commercially substitute semi-finished ophthalmic lenses of refractive indexes of 1.58 and 1.60 since the thickness of lenses with refractive index 1.56 *vis-à-vis* that of 1.58 and 1.60 are similar and not evident to the naked eye.
11. The petitioner has admitted that semi-finished ophthalmic lenses of refractive indexes 1.67, 1.70 and 1.74 are not entirely substitutable with semi-finished ophthalmic lenses with refractive index 1.56 because the difference in the thickness of lenses is evident to the naked eye. Semi-finished ophthalmic lenses of refractive indexes 1.67, 1.70 and 1.74 are significantly more expensive when compared to lenses with refractive index 1.56 and occupy a low share in the total imports of semi-finished ophthalmic lenses. The petitioner has also admitted that extremely high power like -16.00 or -20.00 can only be made with high index lenses such as 1.67 and 1.74.
12. The Authority notes that semi-finished ophthalmic lenses with refractive index of 1.58 and 1.60 are technically and commercially substitutable with semi-finished ophthalmic lenses with refractive index 1.56. However, semi-finished ophthalmic lenses with refractive index of 1.67, 1.70 and 1.74 imported into India cannot be considered as technically and commercially substitutable with semi-finished ophthalmic lenses with refractive index 1.56 manufactured by the domestic industry. Therefore, Authority holds that semi-finished ophthalmic lenses of refractive index higher than 1.60 are excluded from the scope of the product under consideration. All other semi-finished ophthalmic lens with refractive index equal to 1.60 or lower than 1.60 are covered within the scope of the PUC.
13. The domestic industry has claimed that it has the capability to manufacture semi-finished ophthalmic lens with refractive index of 1.67, 1.70 and 1.74. In this regard, the Authority notes that the domestic industry has not produced semi-finished ophthalmic lens with refractive index 1.67, 1.70 and 1.74 and has not provided any positive evidence to substantiate its claim that it has the capability to manufacture semi-finished ophthalmic lens with refractive index 1.67, 1.70 and 1.74. It is also an admitted position that there is a sizeable demand for semi-finished ophthalmic lens having refractive index higher than 1.60, which cannot be catered to by the domestic industry. Therefore, the Authority does not deem it appropriate to cover semi-finished ophthalmic lens with refractive index greater than 1.60 within the scope of the PUC.
14. With regard to the specific request for exclusion of semi-finished ophthalmic lens with refractive index of 1.59 on the ground that it can only be manufactured with ‘polycarbonate’ material, the Authority notes that the domestic industry has specifically excluded ‘polycarbonate lens’ from the scope of the PUC. The Authority notes that if semi-finished ophthalmic lens with refractive index of 1.59 is made only using polycarbonate material, there is no requirement to additionally exclude semi-ophthalmic lens with refractive index of 1.59.
15. With regard to the claim that technical description of the PUC should be provided to avoid ambiguity on the imposition of anti-dumping duty by the Customs Authority, the Authority holds to provide the following description for the PUC:

“Semi-finished ophthalmic lenses are semi-finished blanks which have the front surface of the lens made of ophthalmic quality and the back surface unfinished. Semi-finished blanks are surfaced to the desired prescription powers to produce finished lenses. Semi-finished ophthalmic lenses come in many forms like single vision, bifocal, and multifocal (progressive) types with different refractive indexes, segment styles and sizes.”
16. The Authority notes the request of the interested parties to provide a description of technical characteristics regarding each excluded category. The Authority holds the following description for the excluded products:
 - a) **Polarized lenses:** Polarized lenses have a special chemical molecule which are lined up specifically to block irrelevant light from passing through the lens. Only light rays that approach your eyes vertically can fit through those openings. The lenses block all the horizontal light waves bouncing off from any surface. As a result of this filtering, the image you see is a bit darker than usual. Objects look crisper and clearer with polarized lenses, and details are easier to see.
 - b) **Polycarbonate lenses:** Polycarbonate is a specific type of plastic which is very strong and is used for many purposes such as eyeglass lenses, car headlights, and other industrial applications. Polycarbonate is over 200 times stronger than glass and is often thinner than other types of lenses. Since lighter and thinner

eyeglasses are less likely to slip off your nose and are more comfortable for everyday wear, polycarbonate lenses are widely used as eyeglass lens.

- c) **Transition lenses:** Transition lenses or photochromic lenses darken in the sunlight and lighten in softer light or the dark. These are ideal for sunglasses without having to wear them over your prescription glasses or having to constantly switch between the two. These can also cut down on the harmful glare of electronic devices making it an excellent lens material.
- d) **High and special purpose lenses:** Special purpose lenses are wide-angle photographic lenses with different focal lengths or features that change the size of subject matters and are typically used in cameras. They are intended to produce special effects such as including more subject matter – wide angle, making larger images of distant subjects – telephoto, optionally varying image size – zoom and making large images of small objects – macro enlarging.

17. Accordingly, the revised scope of product under consideration in the present investigation is as under:

“The product under consideration is semi-finished ophthalmic lenses made up of plastic. Semi-finished ophthalmic lenses are semi-finished blanks which have the front surface of the lens made of ophthalmic quality and the back surface unfinished. Semi-finished blanks are surfaced to the desired prescription powers to produce finished lenses. Semi-finished ophthalmic lenses come in many forms, single vision, bifocal, and multifocal (progressive) types with different refractive indexes, segment styles and sizes.

The following types of products are excluded from the scope of product under consideration:

- (i) *Semi-finished ophthalmic lenses having refractive index higher than 1.60.*
- (ii) *Polarized lenses - Polarized lenses have a special chemical molecule which are lined up specifically to block irrelevant light from passing through the lens. Only light rays that approach your eyes vertically can fit through those openings. The lenses block all the horizontal light waves bouncing off from any surface. As a result of this filtering, the image you see is a bit darker than usual. Objects look crisper and clearer with polarized lenses, and details are easier to see.*
- (iii) *Polycarbonate lenses - Polycarbonate is a specific type of plastic which is very strong and is used for many purposes such as eyeglass lenses, car headlights, and other industrial applications. Polycarbonate is over 200 times stronger than glass and is often thinner than other types of lenses. Since lighter and thinner eyeglasses are less likely to slip off your nose and are more comfortable for everyday wear, polycarbonate lenses are widely used as eyeglass lens.*
- (iv) *Transition lenses - Transition lenses or photochromic lenses darken in the sunlight and lighten in softer light or the dark. These are ideal for sunglasses without having to wear them over your prescription glasses or having to constantly switch between the two. These can also cut down on the harmful glare of electronic devices making it an excellent lens material.*
- (v) *High and special purpose lenses - Special purpose lenses are wide-angle photographic lenses with different focal lengths or features that change the size of subject matters and are typically used in cameras. They are intended to produce special effects such as including more subject matter – wide angle, making larger images of distant subjects – telephoto, optionally varying image size – zoom and making large images of small objects – macro enlarging.*

Semi-finished Ophthalmic Lenses are classified under Chapter 90 of the Customs Tariff Act, 1975 under the ITC HS Code 9001.5000. The Customs classification is only indicative and is not binding on the scope of the product under consideration.”

D. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

D.1. Submissions made by the other interested parties

18. The following submissions have been made by the other interested parties during the course of the investigation:
- i. As per original petition filed by the applicant, the applicant held a share of ****% of total production of the subject goods in India. However, Techtran Polylenes Limited (“**TPL**”) was not considered to be a known producer of the subject goods in India in the original petition. In the revised petition filed by the applicant, TPL has been included as a known producer of the subject goods in India. However, despite inclusion of TPL, there has been no change in the share of the applicant in total Indian production.

- ii. GKB Ophthalmics Ltd is a 100% Export Oriented Unit (EOU). The applicant has failed to declare its EOU status in its petition initiating the subject investigation. EOU units cannot be treated as a part of the domestic industry for the purpose of an anti-dumping investigation.
- iii. As the petitioner is an EOU, only domestic sales of the petitioner should be considered while determining the standing of the domestic industry. For the purpose of injury examination only that portion of the capacity and production as approved by the Development Commissioner concerned can be taken into account.
- iv. The petitioner, GKB Ophthalmics Limited in its petition has noted GKB Vision Private Limited as its associate company. The petitioner in its petition has also stated that GKB Vision Private Limited is a known importer of the PUC in India. The Petitioner GKB Ophthalmics Limited and GKB Vision Private Limited have common shareholders and are under the common control of Mr. K. G. Gupta and Mr. Vikram Gupta. It is clear that the petitioner, GKB Ophthalmics Limited is related to a known importer of the subject goods, GKB Vision Private Limited. Therefore, the applicant has no standing as such to file this application in terms of Rule 2(b) of the AD rules.
- v. GKB Vision Private Limited has been importing the subject goods from the subject country in large volumes during the injury period including the POI. Therefore, the applicant has no standing as such to file this application in terms of Rule 2(b) of the AD rules.
- vi. The Authority must examine the volume and value of imports made by the petitioner and its related parties during the POI and the injury period.
- vii. The Petitioner is also indirectly related to Essilor India Private Limited and Essilor Manufacturing India Private Limited who are importers of the subject goods. Essilor India Private Limited and Essilor Manufacturing India Private Limited collectively hold more than 56% shares in GKB Vision Private Limited as evident from the Financial Statement of GKB Vision Private Limited. Since GKB Vision Private Limited, Essilor India Private Limited, and Essilor Manufacturing India Private Limited are part of the Essilor Group, the petitioner is indirectly related to the Essilor Group, exporters of the PUC from China PR to India and the importers in India.
- viii. GKB Ophthalmics Limited is in possession of confidential information of GKB Vision Private Limited (an Essilor Group company). It is requested that the Authority must reject any information or data about any Essilor Group company that is presented in this investigation by the petitioner.
- ix. TPL has not submitted necessary documents in the requisite format to be considered as a supporter in the subject anti-dumping investigation.
- x. TPL admitted that it had shut down its production and resumed its operations in October 2021. October 2021 is not covered within the POI. Therefore, TPL cannot be considered as a supporter.

D.2. Submissions made by the domestic industry

19. The following submissions have been made by the domestic industry during the course of the investigation:
 - i. The petitioner is a leading manufacturer of semi-finished ophthalmic lenses with a share of ***% of the total production in India. This includes the PUC manufactured at its Export Oriented Unit and DTA unit.
 - ii. The petitioner's collective domestic output constitutes more than 50% of the total production of like article. Thus, the application for initiation of anti-dumping proceedings is made by the domestic industry in terms of Rule 5(3) and Rule 2(b) of the AD Rules.
 - iii. The petitioner manufactures semi-finished ophthalmic lenses up to a refractive index of 1.56. The petitioner supplies semi-finished ophthalmic lenses to GKB Vision Private Limited, which is an input for their manufacturing operations. Higher refractive index products not manufactured by the petitioner are imported by GKB Vision Private Limited for its business operations.
 - iv. During the Government mandated lock down period of April 2020 to June 2020 in the initial stages of pandemic, the manufacturing facilities of the petitioner were closed and therefore as a *force majeure* exception, GKB Vision Private Limited imported those categories of semi-finished ophthalmic lenses, which it used to procure from the petitioner. These imports were made by GKB Vision Private Limited in exceptional circumstances to safeguard the interest and health of eye patients. Exceptional circumstance leading import of the PUC due to pandemic should not be treated as imports for the purposes of Rule 2(b) of the AD Rules.
 - v. In *State of Gujarat Fertilizers & Chem. Ltd. vs. Addl. Secy. & Designated Authority* [2012 (286) E.L.T. 348 (Cal.)], the Hon'ble High Court observed that the import of subject goods in order to meet consumer demand during a period of disrupted production and in insignificant quantity cannot prejudice the domestic

industry. The person engaging in such insignificant import could not be held as an importer in terms of Rule 2(b) of the AD Rules.

- vi. Consequently, the allegation of GKB Vision Private Limited, an alleged importer of subject goods, being related to the Petitioner is irrelevant as the pre-condition of GKB Vision being an importer in terms of Rule 2(b) of AD Rules would not be satisfied.
- vii. GKB Ophthalmics Limited has specifically disclosed GKB Vision Private Limited as an Associate Company in the Petition and has specified that GKB Vision Private Limited is not an importer of PUC. Consequently, the claim that Essilor Group, holding shares in GKB Vision Private Limited, is indirectly related to Petitioner and therefore the Petitioner should not be considered as domestic industry in terms of Rule 2(b) of the ADD Rules is also incorrect.
- viii. The Petitioner has submitted requisite information pertaining to shareholding, management, operational control of GKB Ophthalmics Limited and GKB Vision Private Limited. Petitioner does not hold any share in GKB Vision Private Limited and does not have any operational or managerial control over them. Note to the Explanation to Rule 2(b) states that 'For the purpose of this Explanation, a producer shall be deemed to control another company when the former is legally or operationally in a position to exercise restraint or direction over the latter'. The shareholding pattern shared by GKB Vision Private Limited demonstrates that the majority stake is held by Essilor Group, giving them the right to undertake the operational or managerial control over GKB Vision Private Limited.
- ix. The meaning of 'control' provided in the Companies Act is not relevant for the purpose of the present anti-dumping investigation and AD Rules. In *Solvay Peroxythai Ltd vs. Union of India* 2018 (363) E.L.T. 743 (Tri. - Del.), it has been held that provision of Companies Act or provision relating to special resolutions are not relevant in the Anti-Dumping matters.
- x. Essilor Group does not have the authority, operationally or legally, to exercise restraint or direction with respect to the operations or decisions of the Petitioner. Considering this, entities of Essilor Group cannot be related to the Petitioner in terms of Explanation to Rule 2(b) of the AD Rules.

D.3. Examination by the Authority

20. Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules defines Domestic industry as under:

"(b) "Domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term 'Domestic industry' may be construed as referring to the rest of the producers".

21. The application requesting for imposition of anti-dumping duty has been filed by GKB Ophthalmics Limited, producer of the subject goods in India. The applicant has submitted that it has not imported the subject goods from the subject country during the POI.
22. A number of interested parties have made a submission that the applicant is related to GKB Vision Private Limited, who is a known importer of the subject goods and therefore the applicant is not eligible to constitute domestic industry as per the AD Rules.
23. The Authority notes that GKB Ophthalmics Limited and GKB Vision Private Limited are apparently related to each other. The Authority notes that Essilor group is holding majority shares (***%) in GKB Vision Private Limited and is having operational and legal control over GKB Vision Private Limited all by itself. However, GKB Vision Private Limited does not have any shareholding in GKB Ophthalmics Limited and therefore Essilor Group is not having indirect control over GKB Ophthalmics Limited. The Authority further notes that GKB Ophthalmics Limited is also not directly related to Essilor Group since Mr. K. G. Gupta and Mr. Vikram Gupta along with other family members are majority shareholders (***%) of GKB Ophthalmics Limited. Therefore, Essilor Group is not controlling GKB Ophthalmics Limited either directly or indirectly through GKB Vision Private Limited.
24. The Authority further notes that Essilor Group does not require support of GKB Ophthalmics Limited to exercise control over GKB Vision Pvt. Ltd. Therefore, GKB Ophthalmics Limited and Essilor group cannot be said to be related in terms of clause (c) of explanation to Rule 2(b) of AD Rules either.
25. Under Rule 2(b) of the Anti-dumping Rules, the Authority has the discretion to treat a domestic producer as eligible domestic industry when the domestic producer is related to an importer of alleged dumped article into India taking into account the volume of imports, purpose of imports, frequency of imports and essential business activity of the domestic producer.

26. The Authority notes that GKB Vision Private Limited is a producer of finished ophthalmic lenses. For production of finished ophthalmic lenses, GKB Vision Private Limited purchases semi-finished ophthalmic lenses from GKB Ophthalmics Limited upto the refractive indexes produced by the petitioner. GKB Vision Private Limited imports semi-finished ophthalmic lenses of those refractive indexes that are not produced by GKB Ophthalmics Limited. GKB Vision Private Limited also imports finished ophthalmic lenses from China PR.
27. GKB Vision Private Limited has submitted that it has imported semi-finished ophthalmic lenses of those refractive indexes which are produced by GKB Ophthalmics Limited during the POI as a business exigency forced by Covid-19 lockdown. GKB Vision Private Limited has also notified the Authority of its PCN-wise information of imports of the PUC made during the POI as noted in the following table:

PCN	Quantity (Pcs)	Value (INR)
149BS1	***	***
149BS2	***	***
150BS1	***	***
150BS2	***	***
150BS3	***	***
156BS1	***	***
156BS2	***	***
Total	***	***

28. The applicant has submitted that during the POI, GKB Vision Private Limited imported semi-finished ophthalmic lenses because the applicant who was supplying semi-finished ophthalmic lenses to GKB Vision Private Limited was closed due to government mandated lock down during certain period of the POI. GKB Vision Private Limited was required to import the subject goods in this exceptional situation to continue its business operations.
29. The Authority has verified the information submitted by GKB Vision Private Ltd. and notes that GKB Vision Private Limited is a producer of finished ophthalmic lenses and it purchases semi-finished ophthalmic lenses from GKB Ophthalmics Limited up to the refractive indexes produced by the petitioner. It is further noted that GKB Vision Pvt. Ltd. has imported semi-finished ophthalmic lenses from China PR during the POI but these imports have primarily been during April to June 2020 lockdown period when the petitioner was not able to supply them with semi-finished ophthalmic lenses. Import of subject goods by GKB Vision Private Limited in order to meet consumer demand during a period of disrupted production cannot prejudice the standing of the petitioner as the domestic industry. The imports made by GKB Vision Private Limited during the POI are not in the normal course of business operation and is not the primary business activity of GKB Vision Private Limited. The imports of the subject goods made during April to June 2020 lockdown period have also not been considered by the Authority in its dumping and injury examination. The Authority holds that imports of subject goods made by GKB Vision Private Limited during April to June 2020 lockdown period would not disentitle GKB Ophthalmics Ltd. to constitute domestic industry in terms of Rule 2(b) of the AD Rules.
30. With regard to the claim of interested parties that GKB Ophthalmics Ltd. is an EOU and only its domestic sales should be considered for the purpose of determination of standing of domestic industry, the Authority notes that only domestic sales of GKB Ophthalmics Ltd. has been considered for determination of standing of GKB Ophthalmics Ltd. as domestic industry.
31. As per the evidence available on record, the applicant's production accounts for a major proportion in the domestic production of the like articles in India. Accordingly, the Authority holds that domestic industry having *** % share in total production in India constitutes eligible domestic industry having major proportion share in total domestic production within the meaning of Rule 2(b) of the Rules and that the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules.

E. CONFIDENTIALITY

E.1. Submissions made by the domestic industry

32. No submission has been made by the domestic industry with regard to confidentiality issues.

E.2. Submissions made by the other interested parties

33. The following submissions have been made by the other interested parties during the course of investigation:

- a. The following are the relevant parameters for which the domestic has claimed excessive confidentiality in contravention to Trade Notice No. 10/2018 dated 7th September 2018:
 - Write-up on broad stage-wise manufacturing process.
 - Relationship, if any, of the petitioner with foreign producers/exporters/importers/domestic producers of subject goods.
 - R&D expenses.
 - Names of major raw materials used in the production of PUC
 - Country wise estimates of normal value in the petition
 - Country wise estimates of export price in the petition
 - Funds raised:
 - (a) Equity
 - (b) Loans and Advances
 - (c) Working Capital
 - (d) Others, if any

E.3. Examination by the Authority

34. With regard to confidentiality of information, Rule 7 of Anti-dumping Rules provides as follows:

- (1) *“Confidential information: (1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-rule(2) of rule 12, sub-rule(4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.*
- (2) *The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarization is not possible.*
- (3) *Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information.”*

35. Submissions made by the interested parties with regard to confidentiality, to the extent considered relevant, were examined by the Authority and addressed accordingly. The Authority notes that the information provided by all the interested parties on confidential basis was examined with regard to the sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, the parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis. All interested parties have claimed their business-related sensitive information as confidential.

36. The Authority notes that the domestic industry and the other interested parties have provided non-confidential version of all the information that is relevant for the purpose of the present investigation.

F. MISCELLANEOUS SUBMISSIONS**F.1. Submissions made by the other interested parties**

37. Following miscellaneous submissions have been made by the other interested parties:

- i. The petitioner has persistently failed to rectify deficiencies in the petition despite being given ample opportunities. The petitioner has failed to provide units of measurement even in the revised petition in Schedule I - Evidence of Dumping. The Authority must terminate the investigation for lack of evidence in terms of Rule 14(b) of the AD Rules or it must direct the petitioner to withdraw the petition.

- ii. Rule 5(2) of the AD Rules mandates that the application has to be filed in the form as specified by the Authority and should be supported by evidence of (a) dumping; (b) injury (c) causal link. More importantly, the Rule specifies that the application shall be in the format as specified by the Designated Authority. However, the petitioner has neither followed the format provided by the Authority nor provided the documents in the manner prescribed under the rules and various trade notices.
- iii. The petitioner has filed a grossly deficient petition which fails to meet any evidentiary standard established under Rule 5(2) and Rule 5(3) of the AD Rules and Article 5.2 and Article 5.3 of the WTO Agreement on Anti-dumping.
- iv. The Authority must consider quarterly analysis of data and exclude the quarter Apr-June 2020 when there was adverse impact of COVID-19 on the production and demand.
- v. There is an increased need for lenses for protection and correction of vision. Imposing anti-dumping duty will make the eyeglasses even more unaffordable to the users. The cost of the PUC in the selling price of the finished eye wear lens constitutes about 20-30%. Therefore, imposition of anti-dumping duty will increase the price of finished eye wear lens and make it less affordable to people who are suffering from eye problems.
- vi. There is significant revision in the import volume and value of subject goods from China PR in the revised petition when compared to the original petition. Consequently, there has been a significant change in the landed value of the subject goods from China PR in the revised petition when compared to the original petition.
- vii. The petitioner has failed to make proper adjustments for Basic Customs Duty (“BCD”) and Social Welfare Surcharge (“SWS”) to determine the landed value.
- viii. The quality of product sold by the domestic industry was significantly inferior to the products imported from China PR. The selling price of imported PUC is higher than the selling price of the domestic industry.

F.2. Submissions made by the domestic industry

38. Following miscellaneous submissions have been made by the domestic industry:

- i. The petitioner has disclosed requisite information in the prescribed format as applicable on July 26, 2021, and also submitted the additional information as and when sought by the Designated Authority.
- ii. Trade Notice 10 of 2021, dated August 4, 2021, clarifies that stakeholders will have the option to make submissions as per earlier formats/annexures/questionnaires till October 31, 2021. Therefore, the application submitted by the petitioner on July 26, 2021 in the earlier format was in conformity with the applicable law. The revised petition submitted on April 29, 2022 pursuant to oral hearing is compliant with the new format prescribed for submissions after October 31, 2021.

F.3. Examination by the Authority

39. With regard to the submission that the domestic industry has not filed petition in the prescribed format containing all the relevant information, the Authority notes that the domestic industry provided information with respect to most of its economic parameters in the petition filed by them prior to the initiation of the subject investigation. However, submissions were made by many interested parties during the course of the investigation that the petition filed by the domestic industry is deficient and does not contain all the requisite information as per the prescribed format. After examining the claims of the interested parties, the Authority directed the domestic industry to furnish missing information by filing revised petition pursuant to the oral hearing.
40. In this regard, it is noted that the domestic industry is a MSME unit and is not completely familiar with the procedure and data requirements of the petition. Hence, considering this aspect, the Authority gave an opportunity to the domestic industry to rectify the deficiencies in its petition. The domestic industry filed the revised petition within the timelines stipulated by the Authority pursuant to the oral hearing. The Authority has reviewed the revised petition filed by the domestic industry and also the claims of other interested parties regarding some deficiencies in the revised petition. The Authority proposes to hold that the information provided in the revised petition has remedied the deficiencies of the original petition.
41. As regards the claim that quality of the product supplied by the domestic industry is inferior as compared to the quality of imported product, the Authority notes that the domestic industry has sold the subject product consistently in the domestic market and there is no evidence to show that there is any complaint with regard to the quality of the product being supplied by the domestic industry. Moreover, superior quality of the imported product should result in higher price of the imported product as compared to the domestic selling price and cannot justify export of product at the existing prices.

42. With regard to the submission that 1st April 2020 – 31st March 2021 (12 months) is not representative due to the effects of Covid-19, the Authority holds to exclude the lockdown period of April 2020 to June 2020 in its dumping and injury examination so that the injury, if any, caused to the domestic industry due to lockdown in India is not attributed to the dumped imports from the subject country.

G. DETERMINATION OF NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DUMPING MARGIN

43. As per section 9A(1)(c) of the Act, the normal value in relation to an article means:

(i) the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when destined for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or

(ii) when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either -

(a) comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory to an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or

(b) the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (b):

Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transshipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.

G.1. Submissions made by the other interested parties

44. The submissions made by the other interested parties with regard to normal value, export price and dumping margin are as follows:

- (i) The Authority should consider the information filed by the producers / exporters for determining dumping margin.
- (ii) Determination of normal value for China PR by adopting Thailand as the surrogate country is not appropriate.
- (iii) Thailand cannot be considered as an appropriate market economy third country keeping in view the level of development of the country concerned and the product in question. The petition filed by the domestic industry does not provide any information regarding the appropriateness of Thailand as the market economy third country. Development and economies of scale in China PR regarding the PUC cannot be compared with Thailand.
- (iv) Article 15 of China's Accession Protocol expired in December 2016 and now, presumption of non-market economy is not automatic. The petitioner is required to prove that a substantial governmental intervention exists in the country, which is thereby preventing calculation of Normal Value (NV) based on fair value of the merchandise.
- (v) Daejeon Daemyung Optical (Hangzhou) Co. Ltd., has duly filed a response to MET questionnaire as per the prescribed format and submits that as per proviso to para 8(3) of Annexure I of the Anti-dumping Rule, there is sufficient evidence that market conditions prevail for the responding exporter as supported by detailed explanation and exhibits in its MET Questionnaire Response.
- (vi) The petitioner has failed to provide PCN wise export price details for a fair comparison. The Authority should consider export price based on the data provided by the cooperating exporters.

G.2. Submissions made by the domestic industry

45. The submissions made by the domestic industry with regard to normal value, export price and dumping margin are as follows:

- i. China PR is the primary exporter of the PUC and has been exporting to India at significantly low prices, inflicting material injury to the domestic industry.
- ii. Normal value at which the manufacturer sells the PUC in its domestic market and the price at which the PUC is exported to India supplements the view that China PR should be treated as a non-market economy. Normal value should be determined in accordance with Para 7 and 8 of Annexure I of the Rules.

- iii. At the time of initiation of the subject investigation, the petitioner has submitted that the normal value should be determined based on export price from Thailand to India. However, it is noted that more than 90% of the imports of the PUC are from China PR. There is no comparable country in terms of volume or value of imports when compared to imports from China PR. Therefore, as a residuary option, normal value should be computed on the basis of cost of production in India.
- iv. Several exporters and importers have claimed that they have exported/imported semi-finished ophthalmic lenses at 2-3 times of the non-injurious price. The petitioner requests such exporters and importers to share declarations that the PUC will not be imported below non-injurious price determined by the Authority.
- v. The dumping margin of PUC imported from China PR is substantial and above *de minimis*.

G.3. Examination by the Authority

46. The Authority sent questionnaires to the known producers/exporters from China PR, advising them to provide information in the form and manner prescribed by the Authority. The following producers/exporters from China PR have filed exporter's questionnaire response:

- i. Daejeon Daemyung Optical (Hangzhou) Co. Ltd.
- ii. Conant Optics (Jiangsu) Co., Ltd.
- iii. Shanghai Conant Optics Co., Ltd.
- iv. Zhejiang Weixing Optical Co., Ltd.
- v. Shanghai Weixing Optical Technology Co., Ltd.
- vi. Carl Zeiss Vision (China) Limited
- vii. Jiangsu Youli Optics Spectacles Ltd.
- viii. Chemiles Corporation
- ix. Jiangsu Future Vision Co., Ltd
- x. Delta Lens Private Limited
- xi. Essilor Amara Pte. Ltd
- xii. Shanghai Essilor Optical Co., Ltd.

47. The Authority has analyzed the submissions made by the interested parties including domestic industry and has accordingly determined the normal value, export price and dumping margin.

Determination of Normal Value and Export Price

48. Article 15 of China's Accession Protocol in WTO provides as follows:

“Article VI of the GATT 1994, the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (“Anti-Dumping Agreement”) and the SCM Agreement shall apply in proceedings involving imports of Chinese origin into a WTO Member consistent with the following:

- a. *In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994 and the Anti-Dumping Agreement, the importing WTO Member shall use either Chinese prices or costs for the industry under investigation or a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China based on the following rules:*
 - i. *If the producers under investigation can clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of that product, the importing WTO Member shall use Chinese prices or costs for the industry under investigation in determining price comparability;*
 - ii. *The importing WTO Member may use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of that product.*
- b. *In proceedings under Parts II, III and V of the SCM Agreement, when addressing subsidies described in Articles 14(a), 14(b), 14(c) and 14(d), relevant provisions of the SCM Agreement shall apply; however, if there are special difficulties in that application, the importing WTO Member may then use methodologies for identifying and measuring the subsidy benefit which take into account the possibility that prevailing terms and conditions in China PR may not always be available as appropriate benchmarks. In applying such methodologies, where practicable, the importing WTO Member should*

adjust such prevailing terms and conditions before considering the use of terms and conditions prevailing outside China PR.

- c. *The importing WTO Member shall notify methodologies used in accordance with sub paragraph (a) to the Committee on Anti-Dumping Practices and shall notify methodologies used in accordance with sub paragraph (b) to the Committee on Subsidies and Countervailing Measures.*
 - d. *Once China has established, under the national law of the importing WTO Member, that it is a market economy, the provisions of subparagraph (a) shall be terminated provided that the importing Member's national law contains market economy criteria as of the date of accession. In any event, the provisions of subparagraph (a)(ii) shall expire 15 years after the date of accession. In addition, should China establish, pursuant to the national law of the importing WTO Member, that market economy conditions prevail in a particular industry or sector, the nonmarket economy provisions of subparagraph (a) shall no longer apply to that industry or sector."*
49. The applicant has relied upon Article 15(a)(i) of China's Accession Protocol as well as para 7 of the Annexure I of AD Rules. The applicant has claimed that producers in China PR must be asked to demonstrate that market economy conditions prevail in their industry producing the like product with regard to the production and sale of the product under consideration. It has been stated by the applicant that in case the responding Chinese producers are not able to demonstrate that their costs and price information are market driven, the normal value should be calculated in terms of provisions of paras. 7 and 8 of Annexure- I to the Rules.
 50. It is noted that while the provision contained in Article 15(a)(ii) has expired on 11.12.2016, the provision under Article 2.2.1.1 of WTO read with obligation under 15 (a)(i) of the Accession Protocol require criterion stipulated in para 8 of the Annexure I of the Rules to be satisfied through the information/data to be provided in the supplementary questionnaire on claiming the market economy status.
 51. The Authority notes that except for Daejeon Daemyung Optical (Hangzhou) Co., Ltd., no other cooperating producer/exporter from China PR has filed a supplementary questionnaire.
 52. As none of the other producers from China PR have claimed determination of normal value on the basis of their own domestic sales and cost of production, the normal value has been determined in accordance with paragraph 7 of Annexure I of the AD Rules, which reads as under:
"In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in a market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India, or where it is not possible, on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted, if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the designated authority in a reasonable manner [keeping in view the level of development of the Country concerned and the product in question and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of the selection. Account shall also be taken within time limits; where appropriate, of the investigation if any made in similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed without unreasonable delay the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments. "
 53. The Authority notes that under the provisions of para 7 of Annexure I, the normal value may be determined on the basis of price or constructed value in a third country, or the price from such country to other countries, including India. However, when such basis is not possible, only then the Authority can determine normal value on any other reasonable basis, including the price paid or payable in India.
 54. It is also noted that at the time of initiation of the subject investigation, the normal value has been determined on the basis of the price from Thailand to India, duly adjusted. During the course of the investigation, both the domestic industry as well as the other interested parties have submitted that Thailand price is not representative of the volume and value of import of the subject goods from China PR. Pursuant to the initiation of the investigation, the Authority has also prescribed PCN methodology for determination of dumping margin. However, the domestic industry has not provided PCN wise details of normal value based on imports from Thailand. The Authority is also not in a position to determine PCN wise normal value based on imports from Thailand because the description of imports from Thailand does not permit segregation of imports into different PCNs as per PCN methodology determined by the Authority. Therefore, the Authority notes that normal value cannot be determined on the basis of the first or second method provided in para 7 of Annexure I. The Authority thus holds to construct normal value based on the third method, i.e., on any other reasonable basis.
 55. The Authority holds to construct the normal value for China PR on the basis of cost of production of the domestic industry along with reasonable addition of selling, general and administrative expenses and

reasonable profit margin. The constructed normal value so determined for Chinese producers/exporters is mentioned in the dumping margin table.

Evaluation of MET status of Daejeon Daemyung Optical (Hangzhou) Co., Ltd., China PR

56. Daejeon Daemyung Optical (Hangzhou) Co., Ltd. (“DDMO”) is a wholly owned subsidiary of Daemyung Optical Co., Ltd. (“DMO”), a Korean Company. The ultimate parent company of the Group is Hoya Corporation, Japan which is listed at Tokyo Stock Exchange.
57. As per Paragraph 8, Annexure I to the Anti-Dumping Rules as amended, the presumption of a non-market economy can be rebutted if the exporter(s) from China PR provides information and sufficient evidence on the basis of the criteria specified in subparagraph (3) in Paragraph 8. The cooperating exporters/producers of the subject goods from China PR are required to furnish necessary information/sufficient evidence as mentioned in subparagraph (3) of paragraph 8 in response to the market economy treatment (MET) questionnaire to enable the Designated Authority to consider the following criteria as to whether: -
 - a. The decisions of concerned firms in China PR regarding prices, costs and inputs, including raw materials, cost of technology and labour, output, sales and investment are made in response to market signals reflecting supply and demand and without significant state interference in this regard, and whether costs of major inputs substantially reflect market values;
 - b. The production costs and financial situation of such firms are subject to significant distortions carried over from the former non-market economy system, in particular in relation to the depreciation of assets, other write-offs, barter trade and payment via compensation of debts;
 - c. Such firms are subject to bankruptcy and property laws which guarantee legal certainty and stability for the operation of the firms; and
 - d. The exchange rate conversions are carried out at the market rate.
58. The Authority notes the submissions made by DDMO regarding claim of market economy status, questionnaire response along with supplementary questionnaire response regarding the claim of market economy status and additional submissions with regard to the claim of market economy status.
59. In notes to financial statements of DDMO for the year 2020, DDMO has reported their business activities and applicable government regulations/provisions, which is reproduced below:

*“The Company principally engaged in manufacturing, processing, and selling high performance composite optical lens, optical instrument and optical engineering plastics; wholesale and agency commission (excluding auction) of high performance composite optical lenses, optical instruments, optical engineering plastics and other similar products; import and export related services. **The above commodities involving quota, license management and special provisions management shall be operated in accordance with the applicable provisions of the state**”.*
60. It is clear from the above para that state government is regulating/controlling DDMO business activities through quota, license management and other special provisions.
61. The Authority had requested DDMO to provide information relating to ‘Unemployment Subsidy in accordance with the Notice of Further Improving Unemployment Insurance and Supporting Enterprises to Stabilize Jobs issued by Zhejiang Provincial Department of Finance and Hangzhou Employment Administration and Service Bureau’ and other subsidies received by the DDMO. However, DDMO has failed to provide information related to other subsidies received by them even though as per annual report for the year 2020, the Authority has noted that DDMO has received certain other subsidies which are recorded under subsidies income in the financial statements. The Authority notes that DDMO has also received certain other grants/subsidies from the local government which were reported as a part of Capital Reserve in the financial statements.
62. The Authority notes that DDMO has availed land use rights from the state government. The Authority had requested DDMO to provide evidence/documents to ensure that land use rights availed by DDMO are at market rates. However, DDMO has failed to provide evidence for the prevailing market rates of land use rights.
63. The Authority also notes that the supply of utilities, i.e., electricity and water, are controlled by the government. DDMO has failed to provide evidence for provision of electricity and water at prevailing market rates.
64. In light of the above, the Authority holds not to accept market economy status claimed by DDMO.

Export Price

Daejeon Daemyung Optical (Hangzhou) Co., Ltd.

65. Daejeon Daemyung Optical (Hangzhou) Co., Ltd. is a producer of the subject goods in China PR. It has exported the subject goods directly to un-related customers in India. Daejeon Daemyung Optical (Hangzhou) Co., Ltd. has provided all the relevant information in the prescribed Exporters questionnaire format.
66. Daejeon Daemyung Optical (Hangzhou) Co., Ltd. has given PCN wise information related to exports of subject goods to India in Appendix 3A of the Exporters questionnaire response. It is noted that Daejeon Daemyung Optical (Hangzhou) Co., Ltd. has exported *** pieces of subject goods to un-related customers in India. Daejeon Daemyung Optical (Hangzhou) Co., Ltd. has claimed adjustments on accounts of ocean freight, insurance, inland transportation, port and other related expenses, packing cost, rebate, and credit cost, which have been allowed by the Authority.
67. The Authority has verified the PCN wise information of the exports given in the questionnaire response filed by the producers/exporters. The weighted average PCN wise ex-factory export price as determined is given in the dumping margin table.

Conant Optics (Jiangsu) Co., Ltd. and Shanghai Conant Optics Co., Ltd

68. Conant Optics (Jiangsu) Co., Ltd. and Shanghai Conant Optics Co., Ltd. are related producers of the subject goods in China PR. They have exported the subject goods directly and also through each other to un-related customers in India. Conant Optics (Jiangsu) Co., Ltd. and Shanghai Conant Optics Co., Ltd. have provided all the relevant information in the prescribed Exporters questionnaire format.
69. Conant Optics (Jiangsu) Co., Ltd. and Shanghai Conant Optics Co., Ltd. have given PCN wise information related to exports of subject goods to India in Appendix 3A and 3B of the Exporters questionnaire response. It is noted that Conant Optics (Jiangsu) Co., Ltd. has exported *** pieces of the subject goods directly and *** pieces through Shanghai Conant Optics Co., Ltd. to un-related customers in India. Shanghai Conant Optics Co., Ltd. has exported *** pieces of subject goods directly and *** pieces through Conant Optics (Jiangsu) Co., Ltd. to un-related customers in India. All the exports to India are on FOB basis. Conant Optics (Jiangsu) Co., Ltd. and Shanghai Conant Optics Co., Ltd. have claimed adjustments on accounts of port and other related expenses, bank charges and credit cost, which have been allowed by the Authority.
70. The Authority has verified the PCN wise information of the exports given in the questionnaire response filed by the producers/exporters. The PCN wise export price at ex-factory level has been compared with the PCN wise normal value to arrive at PCN wise dumping margin. Thereafter, the weighted average dumping margin for Conant Optics (Jiangsu) Co., Ltd. and Shanghai Conant Optics Co., Ltd has been determined and the same is shown in the dumping margin table.

Zhejiang Weixing Optical Co., Ltd. and Shanghai Weixing Optical Technology Co., Ltd.

71. Zhejiang Weixing Optical Co., Ltd. is a producer of the subject goods in China PR. It has exported the subject goods to unrelated customers in India through a related trading company, Shanghai Weixing Optical Technology Co., Ltd. Zhejiang Weixing Optical Co., Ltd. and Shanghai Weixing Optical Technology Co., Ltd. have provided all the relevant information in the prescribed Exporters questionnaire format.
72. Zhejiang Weixing Optical Co., Ltd. and Shanghai Weixing Optical Technology Co., Ltd. have given PCN wise information related to exports of subject goods to India in Appendix 3A and 3B of the Exporters questionnaire response. It is noted that Zhejiang Weixing Optical Co., Ltd. has exported *** pieces of subject goods through Shanghai Weixing Optical Technology Co., Ltd. to un-related customers in India. All the exports to India are on FOB basis. Zhejiang Weixing Optical Co., Ltd. and Shanghai Weixing Optical Technology Co., Ltd have claimed adjustments on accounts of inland transportation, port and other related expenses, bank charges and credit cost, which have been allowed by the Authority.
73. The Authority has verified the PCN wise information of the exports given in the questionnaire response filed by producers/exporters. The PCN wise export price at ex-factory level has been compared with the PCN wise normal value to arrive at PCN wise dumping margin. Thereafter, the weighted average dumping margin for Zhejiang Weixing Optical Co., Ltd has been determined and the same is shown in the dumping margin table.

Carl Zeiss Vision (China) Ltd. and Carl Zeiss India (Bangalore) Pvt. Ltd.

74. Carl Zeiss Vision (China) Ltd. is a producer of the subject goods in China PR. It has exported the subject goods to India to its related importer/user Carl Zeiss India (Bangalore) Pvt. Ltd. Carl Zeiss Vision (China) Ltd. and Carl Zeiss India (Bangalore) Pvt. Ltd. have provided all the relevant information in the prescribed questionnaire formats.
75. Carl Zeiss Vision (China) Ltd. has given PCN wise information related to exports of subject goods to India in Appendix 3A of the Exporters questionnaire response. It is noted that Carl Zeiss Vision (China) Ltd. has exported *** pieces of subject goods to its related importer/user Carl Zeiss India (Bangalore) Pvt. Ltd. in India.

Carl Zeiss Vision (China) Ltd. has claimed adjustments on accounts of ocean freight, insurance and credit cost, which have been allowed by the Authority.

76. The Authority has verified the PCN wise information of the exports given in the questionnaire response filed by producers/exporters and importer/user. The PCN wise export price at ex-factory level has been compared with the PCN wise normal value to arrive at PCN wise dumping margin. Thereafter, the weighted average dumping margin for Carl Zeiss Vision (China) Ltd. has been determined and the same is shown in the dumping margin table.

Jiangsu Youli Optics Spectacles Co., Ltd., Chemilens (Jiaxing) Co., Ltd., Chemiles Corporation, Jiangsu Future Vision Co., Ltd., Essilor Amara Pte. Ltd., See World Optical Co., Ltd., Shanghai Essilor Optical Co., Ltd., Delta Lens Private Limited, Essilor India Private Limited, Essilor Manufacturing India Private Limited, GKB Vision (P) Ltd and Vision Rx Labs Private Limited (Hereinafter collectively referred to as “Essilor Group”)

77. As per the information submitted by Essilor Group, Chemilens (Jiaxing) Co., Ltd., Jiangsu Future Vision Co., Ltd., Jiangsu Youli Optics Spectacles Co., Ltd. and See World Optical Co., Ltd. are related producers of subject goods in the Essilor Group.
78. Jiangsu Youli Optics Spectacles Co., Ltd. has exported the subject goods directly to India. Chemilens (Jiaxing) Co., Ltd. has exported the subject goods to India through its related exporter Chemiles Corporation. Jiangsu Future Vision Co., Ltd. has exported the subject goods to India through its related producer/exporter See World Optical Co., Ltd. See World Optical Co., Ltd. has exported the subject goods directly to India as well as through its related exporter Essilor Amara Pte. Ltd., Singapore. Shanghai Essilor Optical Co., Ltd. is the related trader/exporter of the subject goods within the Essilor Group who has exported maximum quantity of PUC to India. All the above-mentioned companies have provided information in the Exporters questionnaire format.
79. From the questionnaire responses filed by companies in the Essilor Group, it has been noted that Essilor Group has exported *** pieces of subject goods directly and through related exporters to India (excluding the exports made to India by Shanghai Essilor Optical Co., Ltd. purchased from Danyang ILT Optics Co., Ltd.)
80. In the questionnaire response filed by Shanghai Essilor Optical Co., Ltd., it has been claimed that Shanghai Essilor Optical Co., Ltd. has purchased the subject goods from an unrelated producer Danyang ILT Optics Co., Ltd. These subject goods purchased from Danyang ILT Optics Co., Ltd. have been resold/exported by Shanghai Essilor Optical Co., Ltd. to India through Essilor Amara Pte. Ltd., Singapore. However, Danyang ILT Optics Co., Ltd. has not participated in the subject investigation.
81. The Authority has noted that during the POI, Shanghai Essilor Optical Co., Ltd. has purchased ****% of the subject goods exported to India from Danyang ILT Optics Co., Ltd. and sold the same to its related entity namely Essilor Amara Pte. Limited at a loss. The same goods were then resold/exported by Essilor Amara Pte. Limited to India at a profit. Shanghai Essilor Optical Co., Ltd. and Essilor Amara Pte. Limited taken together have exported the subject goods to India at a loss.
82. A simple web-search by the Authority showed that Danyang ILT Optics Co., Ltd. is a group company of Essilor Group. Annual Report of See World Optical Co., Ltd. for the year 2017 also noted that Danyang ILT Optics Co., Ltd. is related to Essilor Group. From the questionnaire response filed by Shanghai Essilor Optical Co., Ltd., the Authority noted that entire quantity of *** pieces of the subject goods exported to India by Shanghai Essilor Optical Co., Ltd. through its related exporter Essilor Amara Pte. Ltd., Singapore was purchased by Shanghai Essilor Optical Co., Ltd. from Danyang ILT Optics Co., Ltd. Considering these facts about significant involvement of Danyang ILT Optics Co., Ltd. in the business of subject goods of Essilor Group, the Authority felt it necessary to request for more details and clarifications from Essilor Group to understand the relationship between Danyang ILT Optics Co., Ltd. and Essilor Group.
83. Accordingly, the Authority issued a deficiency/desk verification request letter dated 6th April 2022 to Essilor Group requesting for detailed information regarding relationship status between Essilor Group and Danyang ILT Optics Co., Ltd. In response to the letter issued by the Authority, Essilor Group informed that Danyang ILT Optics Co., Ltd. was a group company of Essilor Group until 14th November 2018 but thereafter, Essilor Group had withdrawn its investment and shareholding in Danyang ILT Optics Co., Ltd.
84. The Authority further noted from the review of Annual reports of Shanghai Essilor Optical Co., Ltd. for the years 2018, 2019 & 2020 that Shanghai Essilor Optical Co., Ltd. along with other entities in the group created a fund and extended inter-company working capital loans to Danyang ILT Optics Co., Ltd. from such fund at low rate of interest.
85. Therefore, the Authority issued another letter dated 7th June 2022 enquiring about any direct or indirect financial or contractual links between Danyang ILT Optics Co., Ltd. and Essilor Group. Essilor Group informed that some inter-company working capital loans were extended by Shanghai Essilor Optical Co., Ltd.

to Danyang ILT Optics Co., Ltd., at concessional interest up to 14th November, 2018 only and only those loans were outstanding during the period of investigation.

86. To fully understand the relationship between Danyang ILT Optics Co., Ltd. and Essilor group, the Authority specifically requested for Annual reports of Danyang ILT Optics Co., Ltd. in the letter dated 7th June 2022. However, Essilor Group did not provide the Annual reports of Danyang ILT Optics Co., Ltd.
87. The Authority notes that Question 7 of Part 1 of Section A of the exporter questionnaire requires disclosure of any financial or contractual links and joint ventures with any other company.
Specify in detail any financial or contractual links and joint ventures with any other company concerning Research and Development, production, sales, licensing, technical and patent agreements for the product under investigation and attach copies of the agreement accompanied by an English translation.
88. Shanghai Essilor Optical Co., Ltd. in its questionnaire response simply noted that “there is no such link or joint venture with any other company as described in the question”. This response was contrary to the facts disclosed later by Shanghai Essilor Optical Co. Ltd. Working capital loans by Shanghai Essilor Optical Co., Ltd. and other companies in the group to Danyang ILT Optics Co., Ltd. should have been disclosed by Essilor Group upfront in response to Question 7 of Part 1 of Section A of the exporter questionnaire. This information was also not provided by Essilor Group in response to the deficiency letter dated 6th April 2022.
89. The Authority notes that in the absence of annual reports of Danyang ILT Optics Co., Ltd., the Authority is unable to examine further information about the terms & conditions of the working capital loans extended by Shanghai Essilor Optical Co., Ltd. and other companies to Danyang ILT Optics Co., Ltd. and also about relationship between Danyang ILT Optics Co., Ltd. and Essilor Group.
90. The Authority also noted from the information provided by Essilor Group in response to the letter dated 7th June 2022 that even the subject goods exported to third countries even by Shanghai Essilor Optical Co., Ltd. have been entirely purchased from Danyang ILT Optics Co., Ltd.
91. Regarding the claim of Essilor Group that Danyang ILT Optics Co., Ltd. has not been a group company of Essilor Group after 14th November 2018, the Authority notes that Essilor group had in its response to the letter dated 6th April 2022 informed that ***% of the shares of Danyang ILT Optics Co., Ltd. were held by Essilor International company within the Essilor Group until 14th November 2018 and balance ***% shares were held by Danyang Shuoshi Optical Glasses Co., Ltd and that Essilor International sold its complete shareholding in Danyang ILT Optics Co., Ltd. to Danyang Shuoshi Optical Glasses Co., Ltd. on 14th November 2018. Essilor group did not provide any further information about this issue during the course of entire investigation.
92. As no further information was submitted by the Essilor Group, the Authority gathered information available in public domain in the form of ‘Enterprise Credit Information Publicity Report’ (credit report) published by National Enterprise Credit Information Publicity System, Government of China PR. Credit report shows that 80% of the shares of Danyang ILT Optics Co., Ltd. held by Essilor International were indeed sold to Danyang Shuoshi Optical Glasses Co., Ltd. on 14th November 2018. However, the credit report also notes that the same 80% shares were pledged to Shanghai Essilor Optical Co., Ltd. (company within the Essilor Group) by Danyang Shuoshi Optical Glasses Co., Ltd. on 16th November 2018 itself. This crucial information relating to pledge of shares of Danyang ILT Optics Co., Ltd. by Danyang Shuoshi Optical Glasses Co., Ltd. to Shanghai Essilor Optical Co., Ltd. has not been disclosed to the Authority by the Essilor Group during the course of the entire investigation. The Authority also informed Essilor Group vide email dated 27th September 2022 that crucial information relating to pledge of shares of Danyang ILT Optics Co. Ltd. to Shanghai Essilor Optical Co. Ltd. has come to the notice of the Authority and granted time till 28th September 2022 to provide response, if any. In response, Tripartite Equity Pledge Agreement dated 13 July 2018 between Danyang Shuoshi Optics Co. Ltd., Shanghai Essilor Optical Co. Ltd. & Danyang ILT Optics Co. Ltd. was received by the Authority along with the written submission from Essilor Group explaining the terms and conditions of Equity Pledge Agreement. Essilor Group did not claim that this information was not necessary or that it was already disclosed to the Authority during the course of the investigation.
93. The review of Equity Pledge Agreement shows that ***% shares of Danyang Shuoshi Optics Co. Ltd., held by Essilor International were transferred to Danyang Shuoshi Optics Co. Ltd., pursuant to the Equity Transfer Agreement dated 13 July 2018 and were pledged to Shanghai Essilor Optical Co. Ltd. to secure the loan from Shanghai Essilor Optical Co. Ltd. worth RMB *** (approx. INR ***). There can be no justification for withholding this crucial information from the Authority. At the very least, this information along with Equity Pledge Agreement should have been provided in response to Question 7 of Part 1 of Section A of the exporter questionnaire response, which specifically requests information regarding financial and contractual link along with corresponding agreement. In that case, Authority would have got the opportunity to inquire and examine

further the nature of relationship between Danyang ILT Optics Co. Ltd. and Essilor Group. This information was also not disclosed in response to the two deficiency letters issued by the Authority which specifically inquired about all the details of financial and contractual relationship between Danyang ILT Optics Co. Ltd. & Shanghai Essilor Optical Co. Ltd. Essilor Group omitted disclosure of Equity Pledge Agreement dated 13 July 2018 even when it informed to the Authority about the equity transfer pursuant to the Equity Transfer Agreement dated 13 July 2018. This non-disclosure of information until 27th September 2022 has shown that Essilor Group attempted to withheld this information and has not acted to the best of its abilities in providing information exclusively available to it and which has material bearing on the outcome of the investigation. Thus, Authority considers it appropriate to apply facts available in terms Rule 6(8) of the AD Rules due to non-disclosure of complete information upfront in the questionnaire response and only partial and selective disclosure of information favourable to Essilor Group at later stage in response to the deficiency letters.

94. The facts available indicate that the rights are conferred on Shanghai Essilor Optical Co. Ltd. under the Equity Pledge Agreement to sale, auction, dispose the pledged equity in event of default of loan repayment by Danyang ILT Optics Co. Ltd. Thus, transfer of shares by Essilor International in Danyang ILT Optics Co. Ltd. was only one part of the full arrangement agreed between Shanghai Essilor Optical Co. Ltd., Danyang ILT Optics Co. Ltd. and Danyang Shuoshi Optics Co. Ltd. The full arrangement required pledging back of shares sold by Essilor International in Danyang ILT Optics Co. Ltd. to Shanghai Essilor Optical Co. Ltd. Thus, selling of shares by Essilor International in Danyang ILT Optics Co. Ltd. has not led to cessation of control of Essilor Group in Danyang ILT Optics Co. Ltd. as is ordinarily expected in case of withdrawal of shareholding. Based on facts available, the Authority is of the view that Essilor Group continues to control Danyang ILT Optics Co. Ltd indirectly.
95. The Authority is thus constrained to observe that Essilor Group has either provided partial information concerning Danyang ILT Optics Co. Ltd. to the Authority during the course of investigation and did not provide necessary information within reasonable period and accordingly, the Authority has proceeded on the basis of facts available as follows:
 - Essilor Group claimed that Danyang ILT Optics Co., Ltd. was a group company of Essilor Group until November 2018 and thereafter Essilor group had withdrawn its investment and shareholding in Danyang ILT Optics Co., Ltd. Shanghai Essilor Optical Co., Ltd. along with other entities in the group had created a fund and had extended inter-company working capital loans to Danyang ILT Optics Co., Ltd from the fund at low rate of interest, which remained outstanding after November 2018 and even during the period of investigation.
 - The information relating to pledge of shares of Danyang ILT Optics Co., Ltd. by Danyang Shuoshi Optical Glasses Co., Ltd. to Essilor group had not been disclosed to the Authority till 27 September 2022 by the Essilor group. As per facts available, transfer of shares by Essilor International in Danyang ILT Optics Co. Ltd. has not led to cessation of control of Essilor Group in Danyang ILT Optics Co. Ltd. as claimed by Essilor Group because Shanghai Essilor Optical Co. Ltd. still controls Danyang ILT Optics Co. Ltd. indirectly.
 - Shanghai Essilor Optical Co., Ltd. has purchased ***% of the subject goods from Danyang ILT Optics Co., Ltd. and then resold the same to India through Essilor Amera Pte. Limited. Shanghai Essilor Optical Co., Ltd. and Essilor Amera Pte. Limited taken together have exported the subject goods to India at a loss. No cogent reasons has been given by Essilor Group as to why they would purchase the subject goods at a higher price from an unrelated party and then resell the same to India at a loss.
 - The volume of exports of the subject goods to India produced by Danyang ILT Optics Co., Ltd. (***) Pieces) is much more than the volume of exports of subject goods to India produced by all the other producers in the Essilor Group (***) pieces).
 - The average landed price of the subject goods produced and exported to India by Danyang ILT Optics Co., Ltd. through Shanghai Essilor Optical Co., Ltd. is much lower than the landed value of subject goods produced and exported to India by Essilor group.
 - Despite a specific request made by the Authority, Essilor group has not provided the annual reports of Danyang ILT Optics Co., Ltd. to the Authority, which would have provided clear guidance as to the relationship between Danyang ILT Optics Co., Ltd. and Essilor Group. In the absence of annual reports of Danyang ILT Optics Co., Ltd., the Authority has determined the fact regarding relationship between Danyang ILT Optics Co., Ltd. and Essilor Group based on evidence available before the Authority.
 - Essilor Group has not provided complete and timely information with regard to shareholding in Danyang ILT Optics Co., Ltd., working capital loan extended by Shanghai Essilor Optical Co., Ltd.

and pledging of shares of Danyang ILT Optics Co., Ltd. to Shanghai Essilor Optical Co., Ltd. to the Authority in exporter questionnaire response. As a result, the burden was placed on the Authority to continuously look for necessary information and inquire about the same with Essilor Group.

96. In view of the above observations, the Authority holds that the claim of Essilor Group that Danyang ILT Optics Co., Ltd. is an unrelated producer of subject goods cannot be clearly established. Since, Danyang ILT Optics Co., Ltd. has not participated in the present anti-dumping investigation and has not filed questionnaire response the Authority holds that no individual dumping margin and injury margin can be determined for Essilor group.
97. In addition, the Authority reviewed the Annual reports of Shanghai Essilor Optical Co., Ltd. and Jiangsu Youli Optics Spectacles Co., Ltd. for the year 2020 and noted that there were other related entities within Essilor Group in China PR, namely, Jiangsu Wanxin Optical Co., Ltd., Jiangsu Creaksy Optical Co., Ltd. and Jiangsu Governor Dragon Optical Co., Ltd., which were also engaged in production and/or sale of the subject goods. As per Question 6 of Part 1 of Section A of the exporter questionnaire response, producer/exporter participating in an anti-dumping investigation is required to provide details of its affiliations, including parent companies, subsidiaries and all other related companies whether or not involved with the product under investigation along with the names and addresses, telephone, fax numbers and Email address. Question 6 of Part 1 of Section A of the exporter questionnaire response is reproduced below:
- Outline your company's affiliations, including parent companies, subsidiaries and all other related companies whether or not involved with the product under investigation along with the names and addresses, telephone, fax numbers and Email address. Specify the activities of each related company. In addition, please specifically identify all related companies which are involved in product under consideration or supply you with raw materials/ utilities used in the manufacture of the product under investigation or on whose behalf you sell the product subject to this proceeding. (In all these cases, please describe the nature of your relationship).*
98. Essilor Group in its reply to Question 6 of Part 1 of Section A in their questionnaire responses has provided Exhibit A-6 (World-wide Corporate Structure and Affiliations), which seemingly includes names of all related entities of Essilor Group. However, Essilor Group has not furnished details of Jiangsu Wanxin Optical Co., Ltd., Jiangsu Creaksy Optical Co., Ltd. and Jiangsu Governor Dragon Optical Co., Ltd. in China PR who are engaged in production and/or sale of the subject goods even though this information was specifically required to be provided.
99. Thus, Essilor Group did not provide necessary information to the Authority in the questionnaire response and the Authority had to obtain relevant information from Annual reports, web research and information available in public domain. In anti-dumping investigations, it is necessary that names of are related parties engaged in production of subject goods in the subject country are provided to the Authority so that Authority can examine independently which of these related parties are engaged in production and or export of subject goods to India the investigation.
100. When the fact regarding non-disclosure of other related entities engaged in production/sales of subject goods was brought to the notice of Essilor Group, they accepted that Jiangsu Creaksy Optical Co., Ltd. is engaged in production of subject goods but claimed that it has not exported subject goods to India and therefore existence of Jiangsu Creaksy Optical Co., Ltd. was not disclosed in questionnaire response in reply to Question 6 of Part 1 of Section A in terms of Trade Notice 06/2021. The Authority notes that Trade Notice 06/2021 nowhere specifies that in response to Question 6 of Part 1 of Section A, names of only those related entities who have exported the subject goods to India need to be provided.
101. Essilor Group also accepted that Jiangsu Wanxin Optical Co., Ltd. is engaged in production of subject goods in China PR but claimed that it has only exported finished lenses to India during the POI. Essilor Group also provided transaction wise details of finished lenses exported to India by Jiangsu Wanxin Optical Co., Ltd. The Authority has reviewed this information and has noted that Jiangsu Wanxin Optical Co., Ltd. has exported *** refractive index lens to India at an average price of Rs. *** per piece. It is not clear to the Authority how Jiangsu Wanxin Optical Co., Ltd. has exported finished lenses to India at a price even lower than price of semi-finished lenses. Average import price of semi-finished lenses into India during POI is Rs. 70 per piece. Since the existence of Jiangsu Wanxin Optical Co., Ltd. as a related producer of subject goods was not disclosed upfront and even the information regarding exports by Jiangsu Wanxin Optical Co., Ltd. to India provided at a later stage is doubtful given the extremely low price of such exports, the claim of Essilor Group that exports made by Jiangsu Wanxin Optical Co., Ltd. during the POI are of finished lenses cannot be relied upon.

102. When the fact regarding non-disclosure of other related entities engaged in production/sales of subject goods was brought to the notice of Essilor Group, they claimed specifically with regard to Jiangsu Governor Dragon Opticals Co., Ltd. that it only manufactures contact lenses. However, the Authority noted from the product list available at the website of the Jiangsu Governor Dragon Opticals Co., Ltd. that it also produces semi-finished lenses.
103. In view of the above, it is clear that Essilor group has not provided necessary information regarding related parties in the exporter questionnaire responses filed by them and the clarifications provided by Essilor Group are insufficient. Essilor Group did not disclose about the relationship of Essilor Group with Danyang ILT Optics Co. Ltd. in the initial questionnaire response. Also, Essilor Group did not disclose about the financial and/or contractual link of Essilor Group with Danyang ILT Optics Co. Ltd. upfront in the initial questionnaire response. Essilor Group also did not disclose names of all related parties involved in the production of subject goods in China PR in the initial questionnaire response. Essilor Group disclosed partial information when Authority itself discovered facts and brought it to the notice of Essilor Group. Essilor Group has not disclosed at all about the pledging of shares of Danyang ILT Optics Co. Ltd. to Shanghai Essilor Optical Co., Ltd. on 16th November 2018.
104. Thus, Essilor Group has provided partial information in the exporter questionnaire responses filed by them. In anti-dumping investigations, it is of utmost importance that information relating to related parties during injury investigation period, their actual exports to India and other relevant information are provided by the producer/exporter to the Authority.
105. Rule 6(8) of the AD Rules provides that in a case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available and make such recommendations to the Central Government as it deems fit under such circumstances.
106. Therefore, in terms of Rule 6(8) of the AD Rules, the Authority holds Essilor Group as non-cooperating producers/exporters. Authority has proceeded based on facts available and is unable to determine individual dumping margin and injury margin for exports made by Essilor Group.

Export Price for all other producers and exporters

107. The export price for all other non-cooperating producers and exporters from China PR is proposed to be determined as per facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules and the same is mentioned in the dumping margin table below.

Dumping Margin

108. Considering the normal value and export price determined, as explained above, it is noted that the dumping margin for producers/exporters from China PR is more than the de-minimis limit prescribed under the Rules except for Conant Optics (Jiangsu) Co., Ltd., Shanghai Conant Optics Co., Ltd., Zhejiang Weixing Optical Co., Ltd., Carl Zeiss Vision (China) Limited and Daejeon Daemyung Optical (Hangzhou) Co., Ltd.

DUMPING MARGIN TABLE

S. No.	Producer/Exporter	Normal Value (Rs/Pc)	NEP (Rs/Pc)	Dumping Margin (Rs/Pc)	Dumping Margin %	Range
1.	a. Conant Optics (Jiangsu) Co., Ltd. b. Shanghai Conant Optics Co., Ltd.	***	***	***	***	Negative
2.	Zhejiang Weixing Optical Co., Ltd.	***	***	***	***	Negative
3.	Carl Zeiss Vision (China) Limited	***	***	***	***	Negative
4.	Daejeon Daemyung Optical (Hangzhou) Co., Ltd.	***	***	***	***	Negative
5.	All others	***	***	***	***	30-40

H. METHODOLOGY FOR INJURY DETERMINATION AND EXAMINATION OF INJURY AND CAUSAL LINK

109. Rule 11 of the Rules read with Annexure-II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, ".... *taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles...* ". In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.
110. The Authority in its examination has evaluated the injury parameters which are required under Rule 11 and Annexure II of the Rules.

H.1. Submissions made by the other interested parties

111. Following submissions have been made by the other interested parties with regard to injury suffered by the domestic industry and the causal link:
- i. Since the data with regard to the applicant's domestic sales entitlement as a 100% EOU has not been provided, no meaningful examination of its claim of injury and causal link with alleged dumped imports can be carried out by the Authority.
 - ii. Due to incorrect representation of volume of imports of the subject goods from China PR, total demand of subject goods is also unreliable.
 - iii. The import of the subject goods has declined drastically in the injury investigation period. The decrease in imports is consistent throughout the injury period. This shows that there is no volume effect due to the imports from China PR.
 - iv. Production, domestic sales and profit before tax of the petitioner in the POI was lower as compared to all the three previous years. The domestic industry has witnessed this significant deterioration in the POI despite substantial decline in the import of the subject goods from China PR during the POI.
 - v. The production has increased from 2017-18 to 2018-19, after which it has reduced in 2019-20 and the POI. The sales have also shown a similar trend to production. The demand in India had increased from 2017-18 to 2018-19 before a reduction in 2019-20 and the POI. Therefore, it is clear that the decrease in production and sales is attributable to the decrease in the demand.
 - vi. The capacity of the petitioner is not sufficient to fulfil the domestic demand which is resulting in a demand-supply gap. The import from the subject country is therefore necessary to fill in the demand-supply gap.
 - vii. The finance costs and depreciation and amortisation expenses are very high during the injury investigation period resulting in losses. The petitioner is earning profits after excluding interest and depreciation. The profitability has been increasing during the injury period. Further, the petitioner's cash profits have also increased during the POI.
 - viii. The analysis of profitability based on the annual report of the petitioner shows a different picture in comparison to the data reported in the petition. There seems to be an apparent contradiction in the values reported in the petition and the Annual report of the petitioner.
 - ix. Out of the mandatory parameters prescribed in para (iv) of Annexure II, most of the parameters have shown improvement in the POI as compared to the base year. An objective examination of relevant economic parameters shows that there is no injury to the domestic industry.
 - x. The performance of the domestic industry during the POI would have been impacted the most during April 2020 to June 2020 when a strict lockdown was imposed pan India. Any assessment of the injury or likelihood of injury cannot be carried out based on the POI as defined in the Initiation Notification.

H.2. Submissions made by the Domestic industry

112. The submissions of the domestic industry with regard to injury and causal link are as follows:
- i. The domestic industry has suffered material injury in the form of low-capacity utilization. This has resulted in low market share. Price of the subject goods remain depressed due to price undercutting and price underselling caused by dumped imports of the PUC from China PR.
 - ii. The petitioner has made significant investments for increasing production to match with the current demand and adopt cost-effective methods for sale of the PUC in the local market as well as international

market. It is to be noted that the petitioner is globally competitive and changes in technology or competition amongst the domestic producers are not the cause of injury.

- iii. Absence of fair return on investments has eventually led to lay-off of employees. The petitioner had to lay-off *** of its hardworking and experienced employees in Q1 of 2019 due to reduction in sales.
- iv. As the landed value of the dumped PUC goods has considerably depressed the selling price, the petitioner had to significantly undercut its price to be at par with the dumped PUC. This has become an essential step in order to stay competitive in the Indian market. If no anti-dumping duty is recommended, it will discourage the petitioner from contributing to the “Make in India” initiative.
- v. With the Covid-19 outbreak and consequent restrictions on operations, the domestic industry has been further impacted and making it difficult to operate in the market. The petitioner did not experience any other constraints related to raw materials shortage, power shortage, temporary shutdown of operations, lack of adequate capacity or investment constraints, etc. with respect to production or sales of the subject goods during the period under consideration.
- vi. Due to low priced imports from China PR, the domestic industry has to stay dependent on financial institutions for borrowing funds to survive in the market and meet its day-to-day expenses. This has ultimately led to a steep increase in the finance and interest costs having an overall impact on the profitability.
- vii. The petitioner has invested and will continue to invest in technological advancements as used by other manufacturers in exporting countries and adopt cost-effective methods for sale of the PUC in the local market as well as international market.
- viii. There exists a huge intermediary network of the spectacle opticians and there is a significant margin between the cost of semi-finished ophthalmic lenses and the final product in the form of finished spectacles. Value of the PUC is negligible in comparison to the value at which the final product is sold to the end customer.

H.3. Examination by the Authority

113. The submissions made by the domestic industry with regard to the injury and causal link related issues have been examined. The injury analysis made by the Authority hereunder ipso facto addresses the various submissions made by the interested parties.
114. The Authority has taken note of the arguments and counterarguments of all the interested parties with regard to injury to the domestic industry. The injury analysis so made by the Authority hereunder addresses the various submissions made by the interested parties.
115. With regard to the submission that alleged injury to the domestic industry is due to other reasons and there is no injury as per statements in annual reports of the domestic industry, the Authority notes that the injury analysis carried out hereunder is self-explanatory.
116. Rule 11 of Antidumping Rules read with Annexure II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, "... taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles...". In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, inventory, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure II of the Rules.
117. With regards to the submission that 1st April 2020 – 31st March 2021 (12 months) is not representative due to the effects of Covid-19, the Authority holds to exclude the lockdown period of April 2020 to June 2020 in its injury examination so that the injury, if any, caused to the domestic industry due to lockdown in India is not attributed to the dumped imports from the subject country.

H.3.1. Volume Effect of dumped imports and impact on Domestic industry

a. Assessment of Demand/ Apparent Consumption

118. With regard to the volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. For the purpose of injury analysis, the Authority has relied on the import data procured from the

DGCI&S and DG Systems. Demand or apparent consumption has been determined as the sum of domestic sales of all the domestic producers and the imports from all the countries.

Particulars	Unit	2017-18	2018-19	2019-20	POI (Excluding Apr 2020 – June 2020)	POI (A) (Excluding Apr 2020 – June 2020)
Imports from China PR	Pieces	58,23,754	65,86,633	86,61,780	58,09,954	77,46,605
Trend	Indexed	100	113	149	100	133
Imports from Other Countries	Pieces	51,31,568	56,94,941	68,14,572	45,86,242	61,14,989
Trend	Indexed	100	111	133	89	119
Total Imports	Pieces	1,09,55,322	1,22,81,573	1,54,76,352	1,03,96,196	1,38,61,594
Trend	Indexed	100	112	141	95	127
Domestic Sales of Domestic industry	Pieces	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	120	104	70	94
Domestic Sales of other Indian producers	Pieces	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	47	79	50	66
Total Demand/Consumption	Pieces	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	108	127	85	114

119. It is seen that:

- The demand for the subject goods has increased during the injury investigation period except for a small decline during the POI due to Covid-19 pandemic.
- Imports from China PR have increased during the injury investigation period except for a small decline during the POI.
- Imports from other countries have increased during the injury investigation period except for a small decline during the POI.

b. Total Import volume and share of the imports from China PR

Particulars	Unit	2017-18	2018-19	2019-20	POI (Excluding Apr 2020 – June 2020)	POI (A) (Excluding Apr 2020 – June 2020)
Imports from China PR	Pieces	58,23,754	65,86,633	86,61,780	58,09,954	77,46,605
	Trend	100	113	149	100	133
Imports from other Countries	Pieces	51,31,568	56,94,941	68,14,572	45,86,242	61,14,989
Total Imports	Pieces	1,09,55,322	1,22,81,573	1,54,76,352	1,03,96,196	1,38,61,594
Total Indian Production	Pieces	***	***	***	***	***
	Trend	100	102	88	53	71
Total Demand	Pieces	***	***	***	***	***

Imports from China PR in relation to						
Total India Production	%	***	***	***	***	***
Trend	Range	90-100	100-110	160-170	180-190	180-190
Consumption	%	***	***	***	***	***
Trend	Range	30-40	30-40	40-50	40-50	40-50

120. It is seen that:

- (i) Imports from China PR have increased during the injury investigation period except for a small decline during the POI.
- (ii) Imports of the subject goods from China PR into India have increased in relation to production in India.
- (iii) Imports of the subject goods from China PR have increased in relation to consumption in India.

c. Share of dumped imports in total imports from China PR

Particulars	Unit	POI (A) (Excluding Apr 2020 – June 2020)
Total imports from China PR	Pieces	77,46,605
Dumped imports from China PR	Pieces	***
Un-dumped imports from China PR	Pieces	***
Total Indian Production	Pieces	***
Total Demand	Pieces	***
Dumped Imports in relation to:		
Total imports from China PR	%	***
	Range	50-60%
Total Indian Production	%	***
	Range	95-105%
Total Consumption	%	***
	Range	20-30%

121. It can be seen that:

- i. Majority of the imports coming into India from China PR during the POI are dumped imports.
- ii. Dumped imports from China PR are also substantial in relation to Indian production and in relation to total Indian consumption.

H.3.2. Price effect of the Dumped Imports on the Domestic industry

122. In terms of Annexure II (ii) of the Rules, the Authority is required to consider the effect of the dumped imports on domestic prices in terms of price undercutting, price suppression and price depression, if any.

a. Price Undercutting

123. With regard to the effect of dumped imports on prices, the Authority is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared to the price of the like product in India or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price

increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. In this regard, a comparison has been made between the landed value of the product from China PR and the average selling price of the domestic industry:

Particulars	Unit	2017-18	2018-19	2019-20	POI (Excluding Apr 2020 – June 2020)
Landed value from China PR	Rs/Pc	73	69	66	70
Trend	Indexed	100	94	91	96
Domestic selling price	Rs/Pc	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	92	100	97
Price Undercutting	Rs/Pc	***	***	***	***
Trend	Indexed	-100	-107	-47	-93
Price Undercutting	%	***	***	***	***
Range	Indexed	Negative	Negative	Negative	Negative

124. It is seen that price undercutting due to imports from China PR is negative, but the Authority is also of the opinion that for a proper examination, price undercutting should be examined in conjunction with price depression and price suppression and that price undercutting should not be examined in isolation in a situation where the Domestic Industry has been constantly forced to reduce its prices to match with the landed value of imports. If the Domestic Industry does not respond to imports by bringing down its prices, it will lose more customers and the injury would be more severe.

b. *Price Suppression/depression*

125. In order to determine whether the dumped imports are depressing the domestic prices or whether the effect of such imports is to suppress prices to a significant degree and prevent price increases which otherwise would have occurred, the Authority considered the changes in cost and prices and landed value over the injury period.

Particulars	Unit	2017-18	2018-19	2019-20	POI (Excluding Apr 2020 – June 2020)
Cost of Sales (ex-factory)	Rs/Pc	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	96	107	117
Selling Price	Rs/Pc	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	92	100	97
Landed Price of Imports from China PR	Rs/Pc	73	69	66	70
Trend	Indexed	100	94	91	96

126. It is seen that the domestic industry has not been able to increase its selling price despite the increase in cost of sales. While the cost of sales has increased during the injury investigation period, the selling price of the domestic industry has declined during the same period. The landed price of imports from China PR during the POI is below the cost of sales of the domestic industry.

H.3.3. Impact on economic parameters of the domestic industry

127. Annexure - II to the Anti-Dumping Rules requires that the determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of these imports on domestic producers of such products. The Anti-Dumping Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity: factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. Accordingly, various injury parameters relating to the domestic industry are discussed herein below.

a. *Capacity, Production, Sales & Capacity Utilization*

128. The performance of the domestic industry with regard to production, domestic sales, capacity and capacity utilization is as follows:

Particulars	Unit	2017-18	2018-19	2019-20	POI (Excluding Apr 2020 – June 2020)	POI (A) (Excluding Apr 2020 – June 2020)
Capacity	Pcs	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	109	109	74	99
Production – PUC	Pcs	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	113	75	65	87
Capacity utilization	%	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	113	75	87	87
Domestic sales	Pcs	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	120	104	70	94

129. It can be seen that production and capacity utilisation of the domestic industry declined during the POI (A) as compared to the base year. The domestic sales increased in 2018-19 and have thereafter consistently declined during the injury investigation period.

b. Profitability

130. Profits earned by the domestic industry from sale of the subject goods in the domestic market are as follows:

Particulars	Unit	2017-18	2018-19	2019-20	POI (Excluding Apr 2020 – June 2020)	POI (A) (Excluding Apr 2020 – June 2020)
Cost of sales (ex-factory)	Rs/Pc	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	96	107	117	117
Selling price	Rs/Pc	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	92	100	97	97
Profit/(Loss) per unit	Rs/Pc	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	(100)	(500)	(350)	(1100)	(1100)
Profit/(Loss) – Total	Rs. Lacs	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	(100)	(205)	(195)	(158)	(211)

131. It can be seen that domestic industry is unable to increase selling price despite the increase in cost of sales. Domestic industry is incurring significant losses during the injury investigation period.

c. Cash Profits

132. Performance of the domestic industry has been examined in respect of cash profits as shown below:

Particulars	Unit	2017-18	2018-19	2019-20	POI (Excluding Apr 2020 – June 2020)	POI (A) (Excluding Apr 2020 – June 2020)
Cash Profit	Rs. Lacs	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	(100)	(131)	(102)	(68)	(91)
Cash Profit	Rs. /Pc	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	(100)	(109)	(113)	(106)	(106)

133. It can be seen that the domestic industry is incurring cash losses during the injury investigation period.

d. Return on Investment

134. The Return on Capital Employed of the Petitioner is as follows:

Particulars	Unit	2017-18	2018-19	2019-20	POI (Excluding Apr 2020 – June 2020)	POI (A) (Excluding Apr 2020 – June 2020)
PBIT	Rs. Lacs	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	(100)	(182)	(171)	(124)	(166)
PBIT	Rs. /Pc	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	(100)	(114)	(143)	(245)	(245)
ROCE	%	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	(100)	(182)	(201)	(163)	(163)

135. It can be seen that domestic industry is having negative return on capital employed during the injury investigation period.

e. Inventories

136. Inventory with the domestic industry has been examined as below:

Particulars	Unit	2017-18	2018-19	2019-20	POI (Excluding Apr 2020 – June 2020)	POI (A) (Excluding Apr 2020 – June 2020)
Average inventory	Pcs	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	97	82	76	76

137. It can be seen that average inventory of the domestic industry has declined.

f. Productivity

138. The number of employees as well as the productivity per employee is as follows:

Particulars	Unit	2017- 18	2018- 19	2019- 20	POI (Excluding Apr 2020 – June 2020)	POI (A) (Excluding Apr 2020 – June 2020)
Employees	No.	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	103	89	98	98
Production/ Employee	Pcs	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	110	84	67	67
Production/ day	Pcs	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	113	75	65	65

139. It can be seen that number of employees has remained more or less stable but the productivity of the domestic industry has declined during the investigation period.

g. Growth

140. Information related to growth parameters of the domestic industry during the injury period is given below:

S.No	Particulars	2018-19	2019-20	POI (A) (Excluding Apr 2020 – June 2020)
1.	Production	13%	(34)%	16%
2.	Domestic Sales	20%	(13)%	(10)%
3.	Profit/Loss – Rs Lacs	(105)%	5%	(8)%
4.	PBIT - Rs Lacs	(82)%	6%	3%
5.	Cash Profit - Rs Lacs	(31)%	22%	11%
6.	ROI %	(3.93)%	(0.93)%	1.81%

141. It can be seen that domestic industry has experienced negative growth in volume parameters. In so far as price parameters are concerned, the domestic industry has seen negative profitability, negative cash profits and negative ROCE during the injury investigation period.

h. Ability to Raise Fresh Investment

142. The applicant has submitted that the profitability of the domestic industry has been adversely impacted by dumped imports in the past and considering the significant capital investment being undertaken in the country by other producers, protection against the dumped imports is necessary.

i. Magnitude of Injury Margin

143. The Authority has determined the NIP for the domestic industry on the basis of principles laid down in the Anti-Dumping Rules read with Annexure III, as amended. The NIP of the product under consideration has been determined by adopting the information/data relating to the cost of production provided by the domestic industry and duly certified by the practicing accountant for the period of investigation. The NIP has been compared with the landed price from the subject country for calculating injury margin.

144. For determining the NIP, the best utilization of the raw materials and utilities has been considered over the injury period. Best utilization of production capacity over the injury period has been considered. Extraordinary or non-recurring expenses have been excluded from the cost of production. A reasonable return (pre-tax @ 22%) on average capital employed (i.e., average net fixed assets plus average working capital) for the PUC was allowed as pre-tax profit to arrive at the NIP as prescribed in Annexure III of the Rules and being followed.

145. Based on the landed price and NIP determined as above, the injury margin for producers/exporters as determined by the Authority is provided in the table below:

INJURY MARGIN TABLE

S. No.	Producer/Exporter	NIP (Rs/Pc)	Landed Value (Rs/Pc)	IM (Rs/Pc)	IM %	Range
6.	a. Conant Optics (Jiangsu) Co., Ltd. b. Shanghai Conant Optics Co., Ltd.	***	***	***	***	Negative
7.	Zhejiang Weixing Optical Co., Ltd.	***	***	***	***	Negative
8.	Carl Zeiss Vision (China) Limited	***	***	***	***	Negative
9.	Daejeon Daemyung Optical (Hangzhou) Co., Ltd.	***	***	***	***	Negative
10.	All others	***	***	***	***	20-30

I. CONCLUSION ON INJURY

146. The Authority notes that the volume of imports from China PR has increased in absolute terms during the injury investigation period with a marginal decline in the POI. The volume of imports in relation to production and consumption in the country has also increased continuously during the injury investigation period. The landed price of imports from China PR during the POI is below the cost of sales of the domestic industry. Domestic industry has not been able to increase its selling price despite the increase in cost of sales. The price pressure exerted by the subject imports has affected the profitability, ROCE and other economic parameters of

the domestic industry indicating material injury. The domestic industry is suffering significant financial losses during the injury investigation period and its losses have also increased during the injury investigation period. Therefore, the Authority concludes that the domestic industry has suffered material injury.

J. CAUSAL LINK AND NON-ATTRIBUTION ANALYSIS

147. As per the AD Rules, the Authority, inter alia, is required to examine any known factors other than dumped imports which are injuring or are likely to cause injury to the domestic industry, so that the injury caused by these other factors may not be attributed to the dumped imports. While the present investigation is an anti-dumping investigation, causal link has to be examined. The Authority has examined whether other known listed factors have caused or are likely to cause injury to the domestic industry. It was examined whether other factors listed under the AD Rules could have contributed or are likely to contribute to the injury suffered by the domestic industry.

148. The listed known factors have not caused injury, as is seen from the following:

a. Volume and Price of Imports from Third Countries

149. Imports from third countries are at higher prices and have remained lower than imports from China PR.

b. Contraction in Demand

150. The demand for subject goods has increased during the injury investigation period except for a small decline during the POI due to Covid-19 pandemic.

c. Change in Pattern of Consumption

151. The pattern of consumption with regard to the product under consideration has not undergone any change.

d. Trade restrictive practices

152. There is no trade restrictive practice.

e. Development of Technology

153. Technology for production of the product concerned has not undergone any change.

f. Export performance

154. Injury information examined by the Authority is for domestic operations only.

K. CONCLUSION ON CAUSAL LINK

155. The Authority notes that the domestic industry has not suffered injury on account of other known factors listed above.

156. The Authority, thus, concludes that the domestic industry has suffered material injury on account of the dumped imports of subject goods from the subject country.

L. POST DISCLOSURE STATEMENT SUBMISSIONS BY INTERESTED PARTIES

J.1. Post disclosure statement submissions by the other interested parties

157. Following are the post disclosure statement submissions made by the other interested parties:

- i. See World Optical Co., Ltd.'s 2020 annual report does not show Danyang ILT Optics Co., Ltd. as a related party. See World Optical Co., Ltd.'s 2017 annual report shows Danyang ILT Optics Co., Ltd. as a related party.
- ii. Essilor Group had withdrawn its investment and shareholding from Danyang ILT in 2018, thereby ending its relationship with Danyang ILT. This claim is supported by information available in public domain, which was also provided during desk verification of questionnaire responses.
- iii. Essilor Group does not have access to Danyang ILT's annual reports since it is an unrelated party.
- iv. Shanghai Essilor Optical Co., Ltd. had extended loans to Danyang ILT prior to 2018 when Danyang ILT was a related party, and no fresh loans have been extended since then. Working capital loans have also been extended to other unrelated parties.
- v. Shanghai Essilor Optical Co., Ltd. had purchased the subject goods from Danyang ILT and then resold to Essilor Amara Pte. Limited ("Amara") at a gross mark-up/profit. Thereafter, Amara had sold the subject goods to India at a gross mark-up/profit. This means that Shanghai Essilor Optical Co., Ltd. had sold the subject goods to Amara at higher prices than the prices at which it had purchased the same goods from Danyang ILT. Amara had further resold the same subject goods to India at even higher prices.

- vi. Shanghai Essilor Optical Co., Ltd. and Amara combined have not suffered loss on exports of the subject goods that were produced by Danyang ILT. Detailed explanation in this regard was provided in Desk Verification response.
- vii. Allocation of expenses on the subject goods gives an impression of loss by Shanghai Essilor Optical Co., Ltd. on the aforesaid resales but if it is examined holistically, Shanghai Essilor Optical Co., Ltd. is not a loss-making enterprise.
- viii. Shanghai Essilor Optical Co., Ltd. had also purchased the subject goods from its related parties namely See World Optical Co., Ltd. and Chemilens (Jiaxing) Co., Ltd and sold the same in the domestic market. The Authority's observation that Danyang ILT is the sole supplier of the subject goods to Shanghai Essilor Optical Co., Ltd. is factually incorrect.
- ix. Exports from China PR where Danyang ILT is the producer accounts for low % of Essilor Group's purchases of the subject goods from China PR.
- x. Danyang ILT cannot be regarded as related to Essilor Group under the definition of the term 'related' defined vide. Trade Notice No. 09/2018 dated 10 May 2018. 'Relation' between two parties cannot be examined in a casual manner and it should fit within the four corners of the definition of related.
- xi. The Hon'ble Supreme Court in Commr. of Cus (Imports), Mumbai vs. Bayer Corp. Science Ltd., 2015 (324) ELT 17 (SC) has held that mere sole distributorship is not the conclusive consideration to deem two parties as related.
- xii. Jiangsu Wanxin manufactures semi-finished ophthalmic lenses and finished ophthalmic Lenses. Jiangsu Wanxin Optical Co., Ltd. had not exported the subject goods to India during the POI. Jiangsu Wanxin had only exported finished ophthalmic lenses to India during the POI, which is non-PUC.
- xiii. Jiangsu Creasky manufactures both finished ophthalmic lenses and semi-finished ophthalmic lenses. Jiangsu Creasky Opticals Co., Ltd. had not exported the subject goods to India during the POI.
- xiv. Related parties that had not exported the subject goods to India during the POI and are not required to file the exporter questionnaire response in terms of Trade Notice No. 6/2021 dated 29 July 2021.
- xv. Observation of the Authority in the disclosure statement is that Essilor Group has not stated names of Jiangsu Wanxin, Jiangsu Governor and Jiangsu Creasky as related parties in Exhibit A-6 is incorrect. In terms of Paragraph 8(i) of the Trade Notice No. 6/2021 dated 29 July 2021, in case of non-market economy countries, only those related producers involved in the production of the product under consideration whose product has been exported to India are required to furnish information in Part I, II and III. Question 6 falls under Section A of Part I of the exporter questionnaire format. Essilor Group has answered Question 6 in respect of those related producers whose goods were exported to India during the period of investigation. Also, as none of the three companies have exported the subject goods to India, it has not impacted the present investigation and Essilor Group's cooperation in any manner.
- xvi. Response of Essilor Group to Section A Question 7 is in line with the Trade Notice No. 6/2021 dated 29 July 2021. Question 7 requires a producer/exporter to place on record copies of such 'agreements' wherein any financial or contractual links and joint ventures with any other company have been entered into. Essilor Group has responded correctly in the exporter questionnaire responses that there are no such contractual or financial links with any other company as described in the question.
- xvii. Since 2018, Danyang ILT is not a related party to Essilor Group. Essilor Group has also not extended any fresh loans to Danyang ILT since the time it became unrelated.
- xviii. Essilor Group humbly requests the Authority to determine individual dumping margin and injury margin for the group. Essilor Group has answered all the concerns and issues raised by the Authority in the disclosure statement.
- xix. The Authority has observed that information on actual export price and landed value has been considered for cooperating producers/exporters, namely, (i) Daejeon Daemyung Optical (Hangzhou) Co., Ltd. (ii) Conant Optics (Jiangsu) Co., Ltd. and Shanghai Conant Optics Co., Ltd. (iii) Zhejiang Weixing Optical Co., Ltd. & (iv) Carl Zeiss Vision (China) Ltd. The Authority is requested to confirm the same in its final findings.
- xx. The Authority has noted negative dumping and injury margins for cooperating producers/exporters in the subject investigation. The Authority is requested to confirm the same in its final findings.
- xxi. GKB Ophthalmics Limited constitutes eligible domestic industry in terms of Rule 2(b) of the AD Rules. The Authority has rightly determined that GKB Ophthalmics Limited is not related to GKB Vision Private Limited in terms of explanation to Rule 2(b) of the AD Rules. Imports of the subject goods by GKB Vision

- Private Limited in order to meet consumer demand during a period of disrupted production cannot prejudice the standing of the applicant as the domestic industry.
- xxii. The relationship between GKB Ophthalmics Limited and Essilor Group, if any, needs to be ascertained in view of the explanation given under Rule 2(b) of the AD Rules. None of the three conditions prescribed under explanation to Rule 2(b) for considering domestic producer and exporter/importer as related parties are satisfied in case of GKB Ophthalmics Limited and Essilor Group. Essilor Group does not directly or indirectly control GKB Ophthalmics Limited or vice versa. Both of them are also not controlled by any third entity.
 - xxiii. GKB Ophthalmics Limited and Essilor group together do not control GKB Vision Pvt. Ltd in terms of clause (c) of explanation to Rule 2(b) of AD Rules. The Authority has rightly noted that Essilor group is itself holding majority shares in GKB Vision Private Limited and is having operational and legal control over GKB Vision Private Limited all by itself.
 - xxiv. Even if GKB Ophthalmics Limited and Essilor Group together controlled GKB Vision Pvt. Ltd., it is still relevant for the Authority to examine whether behaviour of GKB Ophthalmics Limited is influenced by such a relationship to the extent that it is causing GKB Ophthalmics Limited to behave differently with GKB Vision Pvt. Ltd. as compared to non-related producers.
 - xxv. GKB Ophthalmics Limited is (i) primarily a domestic producer of the subject goods (ii) has not shifted its focus to imports of the subject goods or imports of the subject goods from Essilor Group (iii) is not specially seeking exclusion of product types exported by Essilor Group (iv) is competing with Essilor Group Ltd. for the Indian market and (v) is seeking imposition of anti-dumping duty on imports despite strong opposition by Essilor Group establishes that behaviour of GKB Ophthalmics Limited is not influenced by alleged relationship with Essilor Group.
 - xxvi. The Authority has permitted the domestic industry to submit revised information post the oral hearing in the subject investigation. This indicates that initiation of subject investigation was not based on a fully documented and substantiated petition. Thus, the initiation was itself bad in law *ab initio* and cannot be maintained.
 - xxvii. The Authority does not have the power under any provision of the AD Rules to permit the domestic industry to file a revised petition after the stage of oral hearing. This is in violation of Rule 5(1) and Rule 5(3) of the AD Rules.
 - xxviii. Even after the opportunity to file a revised petition, the Applicant has failed to file appropriate application in the form and manner prescribed by Trade Notice 5 of 2021 dated 29th July 2021.
 - xxix. The Authority has revised the scope of the PUC at the stage of the disclosure statement.
 - xxx. The Authority has rightly excluded subject goods of refractive indexes higher than 1.60 from the scope of the PUC. The applicant has failed to provide any positive evidence to substantiate its claim that it has the capacity to manufacture such lenses. Any type of the PUC which the domestic industry does not manufacture and supply in the domestic market should be excluded from the scope of the PUC. However, the PUC is still defined in a very simplistic manner without identifying and laying down any technical features or characteristics. Definition of the PUC does not explain what constitutes “semi-finished” lens.
 - xxxi. The methodology of segregating the data for identifying PUC and non-PUC has not been declared by the Authority. The Authority has also not provided transaction-wise import data to allow verification of the same.
 - xxxii. The applicant is related to one of the major importers of the subject goods from the subject country and does not have the standing to file this petition initiating the subject investigation in terms of Rule 2(b) of AD Rules and explanation thereunder. M/s GKB Vision Private Limited and Essilor Group are related to the applicant through common directorship and common control. They have been importing the subject goods from the subject country in large volumes during the injury investigation period and the POI. Mr Krishna Gopal Gupta, Chairman & Managing Director of GKB Ophthalmics Ltd. is also a Director in GKB Vision Private Limited.
 - xxxiii. M/s GKB Vision Private Limited has imported the subject goods from the subject country during the POI as a result of business exigency forced by COVID-19 lockdown. AD Rules does not entitle the Designated Authority to provide leeway to the applicant to be considered as domestic industry despite acknowledged relationship with known importers of the dumped articles.
 - xxxiv. The applicant is a 100% Export Oriented Unit (“EOU”). Para 6.08 of the Foreign Trade Policy (2015-2020) mandates that the entire production of EOU units shall be exported. Sales to domestic tariff area (‘DTA’) is

allowed only when it is authorized by the Development Commissioner who determines the extent of the DTA sales allowed and issues authorization in terms of value.

- xxxv. Since the applicant is a 100% EOU, volume and price injury analysis needs to be carried out with regard to its “domestic sales entitlements” certified by jurisdictional Development Commissioner. In the absence of the same, injury analysis conducted by the Authority in the subject investigation is erroneous.
- xxxvi. As per Paragraph (v) of Annexure II of the AD Rules, injury caused due to factors other than dumped imports must not be attributed to dumped imports. It is known that during the lockdown period of April 2020 to June 2020, all non-essential economic activities in India were adversely impacted. Adverse impact to the domestic industry during this period cannot be attributed to dumped imports.
- xxxvii. The Authority has determined negative injury margin for all four cooperating producers/exporters from China PR. Most of the imports from the subject country are accounted for by the cooperating producers/exporters in the subject investigation.
- xxxviii. The applicant incurred financial burden due to huge investments in setting up new plants and modernizing existing plants for up-scaling its production. The Authority has not examined injury that may have been cause on account of the same.
- xxxix. The user industry has raised serious quality concerns for products manufactured by the applicant. The quality is of utmost importance for end consumers. It is the key criteria for price differentiation.
 - xl. The increase in imports from the subject country can be attributed to significant demand supply gap. The installed capacity of the applicant is not sufficient to cater to demand of the PUC in India.
 - xli. Imposition of duty would have an adverse impact on the end users. This would adversely affect the consumption of eyewear glasses which is a necessary item for vision correction.
 - xlii. The average inventory with the applicant shows a declining trend which is an indicator of good economic health of the domestic industry.
 - xliii. In spite of adverse impact of Covid-19 pandemic, the employment of domestic industry was not adversely impacted. Salaries and wages too observed a positive trend overall. Productivity per day has remained almost the same in the POI as in the base year.
 - xliv. Imports into India have declined in the POI as compared to 2019-20. The increase in imports in the POI as compared to the base year or overall increase in imports during the injury investigation period is in response to the increase in demand of the subject goods. This increase in imports during the 4 years period cannot be termed as significant increase in imports of the subject goods into India.

J.2. Post disclosure statement submissions made by the domestic industry

158. Following are in brief the post disclosure statement submissions made by the domestic industry:

- i. The Authority should reconsider its proposal to exclude semi-finished ophthalmic lenses with refractive index higher than 1.60 from the scope of the PUC.
- ii. It is scientifically proven that all refractive indexes of 1.498 and 1.74 can be produced chemically and can be made from different materials such as glass, CR39, Trivex, 1.53, 1.56 Blue Cut, Polycarbonate, 1.60, 1.67 etc. All lenses serve the end objective of providing power to spectacles for better vision to the end customer. The material of lens is substitutable but not the power.
- iii. Semi-finished ophthalmic lenses produced by the domestic industry is substitutable to the extent described above from which lenses of varied power can be made. Refractive Indexes of 1.50 and 1.56, manufactured by the domestic industry is substitutable by other refractive indexes without impacting the user's vision. Basic casting process for all refractive indexes remains the same and there is only a change in monomers and additives based on a particular refractive index.
- iv. The domestic industry possesses adequate infrastructural and technical know-how to produce the PUC with Refractive Indexes 1.60, 1.67 and 1.74. The domestic industry has an entire factory set up enabled for producing lenses with aforesaid refractive indexes. The domestic industry has the requisite capabilities to manufacture lenses with Refractive Indexes higher than 1.60 as well.
- v. Due to incessant dumping from China PR, the domestic industry is forced to only sell ophthalmic lenses with Refractive Indexes up to 1.56 at a discounted price which is lower than the cost of production. Production of lenses with Refractive Index higher than 1.56 cannot be commenced due to losses incurred by the domestic industry on account of dumped goods from China PR. The domestic industry will be able to produce lenses with Refractive Index higher than 1.56 once remedy has been provided against dumping of the subject goods from China PR.

- vi. The domestic industry is currently manufacturing entry stage products in the current segment of lenses and is willing to expand to include the remaining products not forming part of the PUC provided it gets support in the form of trade remedies to eliminate injury caused to the domestic industry due to unfair trade practices.
- vii. The Authority has incorrectly computed PCN-wise NIP for the domestic industry. The Authority has arbitrarily determined NIP without considering the information provided by the domestic industry. Non-furnishing of basis for computation of NIP is violative of principles of natural justice.
- viii. The Authority has arrived at its conclusion in its disclosure statement and finalized PCN wise NIP without providing essential information to the domestic industry in contravention to Rule 16 of the AD Rules.
- ix. Before issuing its final findings, the Authority should share the detailed workings capturing reasons for difference between the computation of PCN-wise NIP submitted by the domestic industry and the PCN wise NIP determined by the Authority and allow opportunity to the domestic industry to provide its reasoned comments on the same.

J.3. Examination by Authority

- 159. The Authority has examined the post disclosure statement submissions of the domestic industry and the other interested parties. The Authority notes that most of the submissions are reiterations which have already been examined suitably and addressed adequately in the relevant paragraphs of these final findings. The issues raised for the first time in the post disclosure statement submissions by the domestic industry and other interested parties have been examined by the Authority to the extent considered relevant.
- 160. With regard to the claim that Refractive Index higher than 1.60 should be included within the scope of the PUC, the Authority notes that domestic industry has not produced semi-finished ophthalmic lens with Refractive Index 1.67, 1.70 and 1.74. Semi-finished ophthalmic lenses of Refractive Index of 1.56 produced by the domestic industry cannot technically and commercially substitute semi-finished ophthalmic lenses with Refractive Indexes 1.67, 1.70 and 1.74. They are significantly more expensive when compared to lenses with Refractive Index 1.56 and occupy a low share in the total imports of semi-finished ophthalmic lenses. The Authority has followed its consistent practice of excluding those imported products that are not technically and commercially substitutable with the product produced by the domestic industry.
- 161. With regard to the claim that the Authority has incorrectly computed PCN-wise NIP for the domestic industry, the Authority notes that it has determined NIP as per the procedure prescribed in Annexure-III of the AD Rules and in accordance with its consistent practice.
- 162. With regard to the claim that the Authority should share the detailed workings capturing reasons for difference between the computation of PCN-wise NIP submitted by the domestic industry and the PCN wise NIP determined by the Authority, the Authority notes that it has disclosed NIP workings to the domestic industry as per consistent practice followed by the Authority.
- 163. With regard to various submissions by Essilor group concerning the Authority's decision not to determine individual dumping margin for Essilor Group, the Authority notes that it has provided detailed explanation in these final findings in its examination in Section G concerning 'Determination of normal value, export price and dumping margin' for Essilor Group. Examination of the Authority in response to specific issues raised by Essilor Group is additionally noted below:
 - i. With regard to the submission of Essilor Group that See World Optical Co., Ltd.'s 2020 annual report does not show Danyang ILT Optics Co., Ltd. as a related party, the Authority has noted the submission and has not relied on See World Optical Co., Ltd.'s 2020 annual report in its examination relating to determination of dumping margin for Essilor Group.
 - ii. With regard to the submission of Essilor Group that because of sale of shareholding by Essilor Group in Danyang ILT on 14th November 2018 in favour of Danyang Shuoshi Optical Glasses Co., Ltd., there is no relationship of Essilor Group with Danyang ILT, the Authority notes that credit report published by National Enterprise Credit Information Publicity System also notes that the shares sold to Danyang Shuoshi Optical Glasses Co., Ltd. on 14th November 2018 were pledged back to Shanghai Essilor Optical Co., Ltd. (company within the Essilor Group) by Danyang Shuoshi Optical Glasses Co., Ltd. on 16th November 2018. This crucial information relating to pledge of shares of Danyang ILT Optics Co., Ltd. by Danyang Shuoshi Optical Glasses Co., Ltd. to Shanghai Essilor Optical Co., Ltd. has not been disclosed to the Authority by the Essilor Group in their questionnaire response, in response to the two deficiency letters issued by the Authority and in the comments on the disclosure statement. In fact, the report published by National Enterprise Credit Information Publicity System, which was submitted by Essilor Group as Exhibit 2 to its comments on the disclosure statement omits the relevant pages, which specifically contains the information regarding the pledging of shares of Danyang ILT Optics Co., Ltd. by Danyang Shuoshi Optical

- Glasses Co., Ltd. to Essilor Group on 16th November 2018. Therefore, Essilor Group has continued to impede the investigation by providing partial and incomplete information even after the issuance of the disclosure statement.
- iii. In response to the clarification sought by the Authority regarding the pledging of shares, the Essilor Group has responded by providing Equity pledge Agreement and by explaining terms and conditions of the Agreement. In this regard, the Authority notes that the information relating to pledge of shares of Danyang ILT Optics Co., Ltd. by Danyang Shuoshi Optical Glasses Co., Ltd. to Essilor group had not been disclosed to the Authority till 27 September 2022 by the Essilor Group. As per facts available, transfer of shares by Essilor International in Danyang ILT Optics Co. Ltd. has not led to cessation of control of Essilor Group in Danyang ILT Optics Co. Ltd. as claimed by Essilor Group because Shanghai Essilor Optical Co. Ltd. still controls Danyang ILT Optics Co. Ltd. indirectly.
 - iv. With regard to the relationship between of Danyang ILT Optics Co., Ltd and Essilor Group, the Authority also notes that in the absence of annual reports of Danyang ILT Optics Co., Ltd., the Authority is unable to examine further information about the terms and conditions attached to the pledging of shares. This information is necessary to understand the complete nature of relationship between Danyang ILT Optics Co., Ltd., and Essilor Group.
 - v. Rule 6(8) of the AD Rules provides that in a case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the designated authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as it deems fit under such circumstances. In absence of complete, correct and timely disclosure of necessary information by Essilor Group, the Authority concludes that Essilor Group has refused access to or has not provided necessary information within a reasonable period and has significantly impeded the investigation. Accordingly, information regarding sales of shares by Essilor Group to Danyang Shuoshi Optical Glasses Co., Ltd. on 14th November 2018 cannot be considered as complete and conclusive information to determine that Danyang ILT Optics Co., Ltd., and Essilor Group are unrelated entities.
 - vi. With regard to the claim of Essilor Group that they had understood from the requirement prescribed in Trade Notice 06/2021 dated 29 July 2021 that names of only those producers who are involved in export of the subject goods to India should be disclosed cannot be relied upon because Essilor Group has omitted the names of only three entities namely Jiangsu Wanxin Optical Co., Ltd., Jiangsu Creaksy Optical Co., Ltd. and Jiangsu Governor Dragon Optical Co., Ltd. in Exhibit A-6 while providing names of other related entities of Essilor Group. In fact, Trade Notice 06/2021 dated 29 July 2021 provides for filing of questionnaire response by only these related entities of producers/exporters in case of China PR who have not claimed market economy status. However, this trade notice does not govern the requirements about disclosure of names of related entities of participating producer/exporter in the questionnaire response. In all the other anti-dumping investigations being conducted by the Authority, interested parties are providing details of all the related entities in response to Question 6 of Part 1 of Section A irrespective of the fact whether the related entity has exported the subject goods to India or not.
 - vii. With regard to the claim that response of Essilor Group to Section A Question 7 is correct and in line with the Trade Notice 06/2021 dated 29 July 2021, the Authority notes that there is no relation between Section A Question 7 and Trade Notice 06/2021 dated 29 July 2021. Also, the information in Section A Question 7 is not factually correct because working capital loans were extended by Shanghai Essilor Optical Co., Ltd. to Danyang ILT Optics Co., Ltd., which remained outstanding during the POI.
 - viii. Essilor Group has noted that response of the Shanghai Essilor Optics Co., Ltd to Question 7 Section A about absence of financial and contractual link of Essilor Group with any other company is correct because since the time it became unrelated on 14 November 2018, Essilor Group has not extended any fresh loans to Danyang ILT. The Authority notes that this claim of Essilor Group cannot be relied upon because even if these loans were extended prior to 14th November 2018, it was necessary to disclose this financial link in the form of working capital loan that remained outstanding during the period of investigation. Also, after the selling of shares of Danyang ILT Optics Co., Ltd. to Danyang Shuoshi Optical Glasses Co., Ltd. on 14 November 2018, shares of Danyang ILT Optics Co., Ltd. held by Danyang Shuoshi Optical Glasses Co., Ltd. were pledged to Shanghai Essilor Optics Co., Ltd on 16th November 2018. This resulted in a financial and contractual link between Essilor Group and Danyang ILT Optics Co., Ltd. after 14th November 2018.

- ix. With regard to the submission that Shanghai Essilor Optical Co., Ltd. had purchased the subject goods from Danyang ILT Optics Co., Ltd. and then resold to Essilor Amera Pte. Limited at a gross mark-up/profit, the Authority notes that this submission of Essilor Group cannot be accepted because they are looking at gross profits without considering the SGA expenses incurred by the companies. It is the consistent practice of the Authority to consider net profit after taking into account SGA expenses incurred by the companies. Also, SGA expenses have been allocated on the basis of sales turnover as per the consistent practice of the Authority while determining profitability of Essilor Amera Pte. Limited. The Authority reiterates that during the POI, Shanghai Essilor Optical Co., Ltd. has purchased ***% of the subject goods exported to India from Danyang ILT Optics Co., Ltd. and sold the same to its related entity namely Essilor Amera Pte. Limited at a loss. The same goods were then resold/exported by Essilor Amera Pte. Limited to India at a profit. Shanghai Essilor Optical Co., Ltd. and Essilor Amera Pte. Limited taken together have exported the subject goods to India at a loss.
- x. With regard to the submission that Shanghai Essilor Optical Co., Ltd. has also purchased goods from See World Optical Co., Ltd. and Chemilens (Jiaxing) Co., Ltd. and sold the same in the domestic market and therefore Danyang ILT Optics Co., Ltd. is not the sole supplier of Shanghai Essilor Optical Co., Ltd, the Authority notes as follows:
 - i. Essilor Group has itself noted that goods purchased from See World Optical Co., Ltd. and Chemilens (Jiaxing) Co., Ltd. are sold in the domestic market whereas the Authority has observed that Danyang ILT Optical Co., Ltd. is the sole supplier of Shanghai Essilor Optical Co., Ltd. for the subject goods exported by Shanghai Essilor Optical Co., Ltd. to India and to the third countries.
 - ii. Even the fact that Shanghai Essilor Optical Co., Ltd. has purchased goods from See World Optical Co., Ltd. and Chemilens (Jiaxing) Co., Ltd. and sold the same in the domestic market are not borne out of facts on record because in the questionnaire response submitted by Shanghai Essilor Optical Co., Ltd., they have not reported any domestic sales of the subject goods in Appendix 1 and Appendix 4A of the questionnaire.
164. With regard to the submission that the application filed by the domestic industry before initiation of investigation was deficient, the Authority notes that the domestic industry is a MSME unit and was not completely familiar with the procedure and data requirements of the petition. All interested parties were given the opportunity to respond to the revised petition filed by the domestic industry. The Authority has examined the revised petition and the Authority notes that information provided in the revised petition has remedied the deficiencies.
165. With regard to the claim that the applicant is a 100% EOU, the Authority notes that it has only considered domestic sales of the domestic industry for determination of standing of the domestic industry. Further, the Authority has also considered only domestic performance of the domestic industry for its injury analysis.
166. With regard to the submission that injury caused due to lockdown period of April 2020 to June 2020 cannot be attributed to dumped imports, the Authority notes that the period of April 2020 to June 2020 has already been excluded from the POI for injury analysis. Therefore, adverse impact caused due to other known factor has not been attributed to dumped imports from China PR.
167. With regard to the submission that most of the imports from the subject country are from cooperating producers/exporters in the subject investigation, the Authority notes that the majority of the imports into India of the subject goods are from other non-cooperating producers/exporters. The imports from non-cooperating producers/exporters are substantial in relation to total Indian production and total Indian consumption.
168. With regard to the submission that increase in imports is due to demand-supply gap, the Authority notes that existence of demand-supply gap cannot justify imports of goods into India at dumped and injurious prices.
169. With regard to the claim that GKB Ophthalmics Ltd. is related to GKB Vision Pvt. Ltd and Essilor Group, the Authority notes that under Rule 2(b) of the Anti-dumping Rules, the Authority has the discretion to treat a domestic producer as eligible domestic industry even when the domestic producer is related to an importer of alleged dumped article. The Authority holds that imports of subject goods made by GKB Vision Private Limited during April to June 2020 lockdown period under extra ordinary circumstances would not disentitle GKB Ophthalmics Ltd. to constitute domestic industry in terms of Rule 2(b) of the AD Rules. Also, Essilor Group is not related to GKB Ophthalmics Limited because it is not controlling GKB Ophthalmics Limited either directly or indirectly through GKB Vision Private Limited.

M. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST AND PUBLIC INTEREST

170. The Authority notes that the purpose behind the imposition of anti-dumping duty or any other duty as a consequence of trade remedial investigations, is to establish a level playing field for the domestic industry which has been suffering injury as a consequence of unfair imports making way into the territory of India. The Anti-dumping Rules, 1995 ensure that amount of duty levied is restricted to what is necessary to redress the

injury to the domestic industry. The application of lesser duty rule makes it certain that the domestic industry does not receive any undue advantage.

171. The Authority considered whether imposition of anti-dumping duty shall have any adverse impact on the interest of the public. In order to determine such impact, the Authority weighed the impact of the imposition of duties on the availability of the goods in the Indian market, the impact on the users of the product as well as the domestic industry and the impact on the general public at large.
172. It is noted that after initiation of investigation, views from all interested parties were invited including importers, users and consumers. The Authority also issued questionnaire for the users/user association to provide relevant information with regard to present investigation including any possible effects of anti-dumping duty on their operations. It is noticed that none of the users / user association have made any submissions or provided evidence that can be considered as relevant.
173. The Authority has also noted that the effect of anti-dumping duty measures on public interest is commonly studied from the perspective of the importers, users and consumers.
 - i. It is noted that the imposition of anti-dumping duty on imports of the subject goods would be in the interest of domestic producers of the subject goods in India. The measures would prevent further injury to the domestic industry and give time to them to compete against the exporters from the subject country.
 - ii. The Authority has also analysed the effect of imposition of anti-dumping duty from the consumer's point of view and observed that it would be in the interest of domestic consumers of subject goods to have reliable Indian domestic producers capable of competing with foreign producers. This is possible when the domestic producers are able to recover from the injury suffered due to the imports. If the current situation is allowed to continue, the Indian domestic producers would face further injury giving foreign producers increased leverage as against domestic producers. Further, if the domestic industry is allowed to suffer, it will eventually be wiped out and the consumers will be left at the mercy of the imported goods.
174. The Authority has already narrowed the scope of the PUC and excluded subject goods having Refractive Index more than 1.60 as the domestic industry was not manufacturing the same.
175. The Authority notes that no anti-dumping duty is recommended on 5 cooperating producers/exporters from China PR and therefore importers/users would be able to import the subject goods from these producers/exporters without payment of anti-dumping duty.
176. There are imports of the subject goods from third countries as well. These imports would continue to come into India without payment of anti-dumping duty and accordingly users will continue to have wide choice for procurement of the subject goods.
177. With regard to the impact of imposition of anti-dumping duty on public at large, the Authority notes that the PUC constitutes only 10-11% of cost of the spectacles. If the Authority imposes 10-20% anti-dumping duty on the subject goods, the price of the final product i.e., spectacles may increase only by 1-2% and the end consumer of spectacles will not face any significant increase in prices due to imposition of anti-dumping duty.

N. CONCLUSION

178. After examining the issues raised and submissions made by the interested parties and facts made available before the Authority as recorded in the present findings, the Authority concludes that:
 - i. The applicant is an eligible domestic industry within the meaning of Rule 2(b) of the AD Rules, 1995. The application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the AD Rules, 1995.
 - ii. The product produced by the domestic industry is like article to the product under consideration imported from the subject country.
 - iii. Considering the normal value and export price for the subject goods, there is positive and significant dumping margin for the subject goods from the subject country except for exports made by 5 cooperating producers/exporters.
 - iv. Total imports of the subject goods from China PR have increased during the injury investigation period except for a small decline during the POI.
 - v. Imports of the subject goods from China PR into India have increased in relation to production and consumption in India.
 - vi. Majority of the imports from China PR are dumped imports. Dumped imports are significant in relation to Indian production and Indian consumption.
 - vii. The domestic sales increased in 2018-19 and have thereafter consistently declined during the injury investigation period.
 - viii. The import prices are suppressing and depressing the prices of the domestic industry. While the cost of sales has increased during the injury investigation period, the selling price of the domestic industry has declined during the same period. The landed price of imports from China PR during the POI is below the cost of sales of the domestic industry.

- ix. The Domestic industry is unable to the increase selling price despite the increase in cost of sales. The domestic industry is incurring significant losses during the injury investigation period.
- x. Cash profits, profit before interest & tax and return on investment were negative during the injury investigation period.
- xi. Productivity of the domestic industry has declined during the investigation period.
- xii. In view of the foregoing, the Authority concludes that the domestic industry has suffered material injury as a result of dumped imports from China PR.
- xiii. There are no other factors which could have caused injury to the domestic industry.
- xiv. It would also be in the interest of domestic consumers of the subject goods to have reliable Indian domestic producers capable of competing with foreign producers. This is possible when the domestic producers are able to recover from the injury suffered due to the imports.
- xv. The analysis of the impact of imposition of anti-dumping duties on public at large shows that the product under consideration is a very low value product and, therefore, the end consumer of the subject goods will not face any significant increase in prices if the anti-dumping duty is imposed.

O. RECOMMENDATIONS

179. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the domestic industry, Embassy of the subject country, exporters, importers and the other interested parties to provide positive information on the aspect of dumping, injury and causal link. Having initiated and conducted the investigation into dumping, injury and causal link in terms of the provisions laid down under the Rules, the Authority is of the view that imposition of antidumping duty is required to offset dumping and the consequent injury. Therefore, the Authority considers it necessary to recommend imposition of the definitive antidumping duty on the imports of the subject goods from the subject country in the form and manner described hereunder for a period of 5 years.
180. In terms of the provisions contained in Rule 4(d) & Rule 17(1)(b) of the Rules, the Authority recommends imposition of the anti-dumping duty equal to the lesser of margin of dumping and the margin of injury so as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, definitive anti-dumping duty equal to the amount mentioned in Column 7 of the Duty Table below is recommended to be imposed for five (5) years from the date of the Notification to be issued by the Central Government, on imports of the product under consideration described at Column 3 of the Duty Table, originating in or exported from China PR.

DUTY TABLE

S. No	Heading/ Sub- Heading	Description of Goods	Country of origin	Country of Export	Producer	Duty Amount	Unit	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	9001 5000*	Semi-Finished Ophthalmic Lenses**	China PR	Any country including China PR	Conant Optics (Jiangsu) Co., Ltd.	Nil	Piece	USD
2.	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Shanghai Conant Optics Co., Ltd.	Nil	Piece	USD
3.	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Zhejiang Weixing Optical Co., Ltd.	Nil	Piece	USD
4.	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Carl Zeiss Vision (China) Limited	Nil	Piece	USD
5.	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Daejeon Daemyung Optical (Hangzhou) Co., Ltd.	Nil	Piece	USD

6.	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Any producer other than those mentioned at S. Nos. 1, 2, 3, 4 & 5	0.15	Piece	USD
7.	-do-	-do-	Any country other than China PR	China PR	Any	0.15	Piece	USD

**Customs classification is only indicative, and the determination of the duty shall be made as per the description of PUC.*

*** The product under consideration is semi-finished ophthalmic lenses made up of plastic. Semi-finished ophthalmic lenses are semi-finished blanks which have the front surface of the lens made of ophthalmic quality and the back surface unfinished. Semi-finished blanks are surfaced to the desired prescription powers to produce finished lenses. Semi-finished ophthalmic lenses come in many forms, single vision, bifocal, and multifocal (progressive) types with different refractive indexes, segment styles and sizes.*

The following types of products are excluded from the scope of product under consideration:

- (i) Semi-finished ophthalmic lenses having refractive index higher than 1.60.*
- (ii) Polarized lenses - Polarized lenses have a special chemical molecule which are lined up specifically to block irrelevant light from passing through the lens. Only light rays that approach your eyes vertically can fit through those openings. The lenses block all the horizontal light waves bouncing off from any surface. As a result of this filtering, the image you see is a bit darker than usual. Objects look crisper and clearer with polarized lenses, and details are easier to see.*
- (iii) Polycarbonate lenses - Polycarbonate is a specific type of plastic which is very strong and is used for many purposes such as eyeglass lenses, car headlights, and other industrial applications. Polycarbonate is over 200 times stronger than glass and is often thinner than other types of lenses. Since lighter and thinner eyeglasses are less likely to slip off your nose and are more comfortable for everyday wear, polycarbonate lenses are widely used as eyeglass lens.*
- (iv) Transition lenses - Transition lenses or photochromic lenses darken in the sunlight and lighten in softer light or the dark. These are ideal for sunglasses without having to wear them over your prescription glasses or having to constantly switch between the two. These can also cut down on the harmful glare of electronic devices making it an excellent lens material.*
- (v) High and special purpose lenses - Special purpose lenses are wide-angle photographic lenses with different focal lengths or features that change the size of subject matters and are typically used in cameras. They are intended to produce special effects such as including more subject matter – wide angle, making larger images of distant subjects – telephoto, optionally varying image size – zoom and making large images of small objects – macro enlarging.*

P. FURTHER PROCEDURE

181. An appeal against the order of the Central Government arising out of these final findings shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the provisions of the Customs Tariff Act, 1975.

ANANT SWARUP, Designated Authority